सर्वाधिकार सुरक्षित
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

www.agup.nic.in

उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवेदन संख्या : 4 (वर्ष 2013)

सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना पर
निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतिवेदन संख्या : 4 (वर्ष 2013)

विषय सूची

विषय		पृष्ठ
प्रस्तावना		v
कार्यकारी सार		vii
अध्याय–1 परिचय		
1.1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट	1
1.2	मनरेगा के उददेश्य	1
1.3	संगठनात्मक ढ़ांचा	1
1.4	उत्तर प्रदेश में मनरेगा का भौतिक/वित्तीय निष्पादन	3
1.5	लेखापरीक्षा के उद्देश्य	3
1.6	लेखापरीक्षा के मापदण्ड	3
1.7	कार्य क्षेत्र एवं कार्य–विधि	4
1.8	लेखापरीक्षा में बाधायें	4
1.9	अभिस्वीकृति	4
अध्याय–2 क्षमता निर्माण		
2.1	राज्य रोजगार गारंटी परिषद	5
2.2	कार्मिकों की कमी	5
2.3	स्टाफ पर अनियमित व्यय	7
2.4	अपर्याप्त प्रशिक्षण	9
2.5	सूचना, शिक्षा एवं संचार	10
2.6	निष्कर्ष	11
2.7	संस्तुतियाँ	11
अध्याय–3 नियोजन		
3.1	ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का अभाव	13
3.2	जनपद स्तर पर अपर्याप्त नियोजन	14
3.3	राज्य स्तर पर अपर्याप्त नियोजन	15
3.4	निष्कर्ष	17
3.5	संस्तुतियाँ	17
अध्याय–4 वित्तीय प्रबंधन		
4.1	वित्त पोषण पैर्टन	19
4.2	रोजगार गारंटी निधि	19
4.3	समग्र वित्तीय स्थिति	20

4.4	राज्य रोजगार गारंटी निधि बैंक खाते	21
4.5	वित्तीय अनियमिततायें	22
4.5.1	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली	22
4.5.2	रिवाल्विंग फण्ड	24
4.5.3	श्रम बजट	25
4.6	प्रशासनिक व्यय	26
4.7	उच्च दर पर एनजीओ/सीएसओ का अनाधिकृत रूप से लगाया जाना	26
4.8	मानदेय का अग्राह्य भुगतान	27
4.9	बकाया वसूलियाँ	27
4.10	भुगतान एवं लेखा अभिलेखों का नियंत्रण एवं अनुश्रवण	27
4.11	निष्कर्ष	29
4.12	संस्तुतियां	29
अध्याय–5 पंजीकरण एंव रोजगार उत्पत्ति		
5.1	पंजीकरण, जॉब कार्ड का निर्गमन एवं रोजगार प्रदान करना	31
5.2	महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व	32
5.3	मांग किया जाना एवं रोजगार उपलब्ध कराना	32
5.3.1	100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार की प्राप्ति न होना	33
5.3.2	100 दिन से अधिक का रोजगार	33
5.4	बेरोजगारी भत्ता	34
5.5	निष्कर्ष	35
5.6	संस्तुतियां	35
अध्याय–6 कार्य एवं उनका निष्पादन		
6.1	योजना के बिना कार्यों का निष्पादन	37
6.2	बिना अनुमोदन के कार्यों का निष्पादन	38
6.3	बढ़े हुये आगणनों पर स्वीकृति	39
6.4	कम प्राथमिकता वाले कार्यों का निष्पादन	39
6.5	अननुमन्य कार्यों का निष्पादन	40
6.6	पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन	42
6.7	अपूर्ण/परित्यक्त कार्य	43
6.8	सामग्रियों का क्रय	44
6.9	रायल्टी की अनियमित कटौती	44
6.10	मजदूरी का भुगतान	44
6.11	श्रम–सामग्री अनुपात	45
6.12	फर्जी/दोहरे कार्यों का उन्मूलन	46

6.13	परियोजना समापन प्रतिवेदन एवं कार्यों का हस्तांतरण	47
6.14	कार्यस्थल पर सुविधायें	47
6.15	अन्य रोचक बिन्दु	47
6.16	निष्कर्ष	48
6.17	संस्तुतियाँ	48
अध्याय–7 कन्वर्जेंस		
7.1	बाटम–अप दृष्टिकोण का अभाव	49
7.2	विभागीय योजनागत कार्यों में मनरेग्स निधि का अभिसरण	50
7.3	मनरेग्स निधि से विभागीय परिसम्पत्तियों का सृजन	51
7.4	अपूर्ण कार्य	51
7.5	निष्कर्ष	51
7.6	संस्तुतियाँ	52
अध्याय–8 नरेगासॉफ्ट की सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा		
8.1	पर्याप्त वैधीकरण नियंत्रण का अभाव	53
8.2	कुशल आईटी कर्मिकों का अभाव	55
8.3	एमआईएस पर दिये गये आँकड़ों और भौतिक अभिलेखों में विसंगतियाँ	56
8.4	प्रशासनिक व्यय में आधिक्य	57
8.5	निष्कर्ष	58
8.6	संस्तुतियाँ	58
अध्याय–9 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली		
9.1	अनुश्रवण हेतु यन्त्र	59
9.1.1	सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति	59
9.1.2	जिला/राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स	59
9.1.3	राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन	60
9.1.4	कार्य के भौतिक सत्यापन द्वारा अनुश्रवण	60
9.2	गैर सरकारी संगठनों को अनियमित भुगतान	61
9.3	सामाजिक लेखापरीक्षा	62
9.4	शिकायतों का निवारण	62
9.5	मनरेगा के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग	63
9.6	पारदर्शिता	63
9.7	निष्कर्ष	64
9.8	संस्तुतियाँ	64
अध्याय–10 निष्कर्ष		65

परिशिष्टियाँ

संख्या	विवरण	पृष्ठ संख्या
I	योजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि	69
II	नमूना जांच में लिये गये ग्राम पंचायतों, ब्लाकों एवं जिलों के नाम	70
III	उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं में विसंगति एवं उपलब्ध न करायी गयी सूचनाएँ	75
IV	मनरेगा के अन्तर्गत चरणवार अधिसूचित जिलों का विवरण	77
V	लेखाकरण में विसंगतियाँ	78
VI	बैंकिंग प्रबंधन	80
VII	मजदूरों को विलम्ब से किये गये भुगतान का विवरण	81
VIII	महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व	82
IX	100 दिन के प्रत्याभूत रोजगार की प्राप्ति न होना	83
X	100 दिन से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराना	84
XI	कार्य पूर्ण दर्शाये गए किन्तु वास्तव में निष्पादित नहीं किये गये	87
XII	ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर सामग्री अंश पर किये गये व्ययाधिक्य का विवरण	88
XIII	बिना विशेष पहचान संख्या वाले कार्यों का विवरण	90
XIV	बिना फोटोग्राफी वाले कार्यों का जनपदवार विवरण	91
XV	कार्यस्थल पर बोर्ड लगाये बिना निष्पादित कार्य	92
XVI	नमूना जांच में लिये गये जनपदों में मनरेगा अनुदान के उपयोग के लिये इकाईवार निर्धारित लक्ष्य	93
XVII	मनरेगा निधियों का विभागीय कार्यो में अभिसरण	95
XVIII	विभागीय सम्पत्तियों के सृजन/रख–रखाव पर व्यय	97
XIX	लाइन विभागों द्वारा क्रियान्वित अपूर्ण कार्य	99
प्रथमाक्षरी		100

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएण्डएजी) का वर्ष 2007–12 की अवधि का प्रतिवेदन जिसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेग्स) की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणाम सम्मिलित हैं, को संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अधीन, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया गया है।

भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के कियान्वयन की लेखापरीक्षा की जिम्मेदारी नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से लेने का अनुरोध किया था। तदनुसार ग्रामीण विकास विभाग (आरडीडी), उत्तर प्रदेश सरकार, नमूना स्वरूप चुने गये 18 जिलों, 46 ब्लाकों, 460 ग्राम पंचायतों एवं प्रत्येक चयनित जिलों से सम्बन्धित दो लाइन विभागों के अभिलेखों की जांच के माध्यम से निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना दिसम्बर 2005 में शुरू की गयी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाने के लिये 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना था।

लेखापरीक्षा, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये ऑडिटिंग स्टैन्डर्ड जो सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन के ऑडिटिंग स्टैन्डर्ड पर आधारित है, के अनुरूप की गयी।

प्रतिवेदन दिनांक 28.09.2012 को आरडीडी को अग्रेषित की गयी। विभाग का आंशिक उत्तर दिनांक 04.01.2013 को प्राप्त हुआ। अग्रेतर, दिनांक 12.01.2013 को राज्य सरकार के साथ समापन बैठक आयोजित किया गया। राज्य सरकार द्वारा दिये गये उत्तरों को ध्यान में रखा गया एवं प्रतिवेदन में उचित रूप से समाहित किया गया।

कार्यकारी सार

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट, 2005 (मनरेगा), प्रत्येक परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम करने के इच्छुक हों, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी उपलब्ध कराकर ग्रामीण इलाकों में आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के उददेश्य से अधिनियमित किया गया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा में वर्ष 2007–12 की अवधि की मनरेग्स से सम्बन्धित अभिलेखों की जांच, प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास लखनऊ, मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं आयुक्त ग्रामीण रोजगार गारंटी, लखनऊ के कार्यालय में की गयी। नमूना जांच मार्च 2012 से जून 2012 तक की गयी। नमूना जांच में लिये गये 18 जिलों की जिला पंचायतों, 46 ब्लाकों की क्षेत्र पंचायतों (इन्हीं जिलों के अन्तर्गत), 460 ग्राम पंचायतों (इन्हीं ब्लाकों के अन्तर्गत), इन्हीं ग्राम पंचायतों में कराये गये 4,453 कार्यों एवं प्रत्येक चयनित जिलों में दो लाइन विभागों के अभिलेखों की जांच की गयी। इसके अलावा 4,600 लाभार्थियों (प्रत्येक ग्राम पंचायत में दस) का साक्षात्कार भी लिया गया।

लेखापरीक्षा में आच्छादित अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में मनरेगा के क्रियान्वयन में कुल ₹ 22,174.00 करोड़ खर्च हुये।

निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिये गये हैं:

- सरकार ने एसईजीसी का गठन किया परन्तु पीआरआई से अकार्यालयीय सदस्य 19 महीनों के विलम्ब से नामित किये गये एवं साथ ही सभाओं की आवृत्ति एवं आवश्यक कोरम का निर्धारण भी नहीं किया। परिणामस्वरूप, एसईजीसी की बैठक वर्ष में एक/दो बार ही हो सकी, जिससे मनरेगा के कार्यान्वयन में इसकी भूमिका एवं उत्तरदायित्व सीमित रही।

 सरकार को एसईजीसी द्वारा प्रभावकारी भूमिका एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के उददेश्य से मीटिंग के लिये कोरम एवं अवधि निर्धारित करनी चाहिए।

- भारत सरकार द्वारा सुझाये गये प्रशासनिक ढांचे का अनुपालन करना था। परन्तु स्टाफ की कमी के कारण ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर प्रबन्धकीय सहयोग सीमित रहा। सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए व्यापक नियोजन की कमी के कारण सूचना का प्रभावी संचार भी नहीं था।

 सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि उत्तरदायी केन्द्रों के प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित एवं पर्याप्त श्रमशक्ति तैनात हो ताकि योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा सके एवं साथ ही साथ वह लाभार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति भी बना सकती है।

- ग्राम पंचायतों को उनके अधीन आने वाले क्षेत्रों, जिलों को अपने सम्पूर्ण क्षेत्र के लिये वार्षिक विकास योजना बनानी थी। तथापि, विभिन्न स्तरों पर मुख्य कार्मिकों द्वारा नियोजन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया। जिला स्तर पर नियोजन अपर्याप्त था जो रोजगार सृजन एवं सतत विकास के लिये मनरेगा के अधीन लिये जाने वाले कार्यों की पहचान न होने का कारण बना।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि नियोजन गतिविधियों को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के लिये, जैसा उपबन्धित है, उस तरह से शुरू किया जाए।

- नियोजन प्रकिया का अनुपालन न किये जाने के कारण, आवश्यक श्रम बजट निर्धारित तिथियों पर भारत सरकार को प्रस्तुत (2008–12) नहीं किया गया, जो अंततः केन्द्रांश एवं राज्यांश के जारी होने में विलम्ब का कारण बना। इसके अतिरिक्त, राज्यांश की अवमुक्ति में कमी के कारण एक्ट में निर्धारित अंशों की भागीदारी शर्तों का अनुपालन नहीं हुआ।

 सरकार, श्रम बजट को भारत सरकार को निर्धारित तिथि पर प्रस्तुत कर सकती है जिससे कि निधियों का समय से अवमुक्त होना सुनिश्चित हो सके।

- 2007–12 की अवधि के समेकित वार्षिक लेखे तैयार नहीं किये गये थे। जनपद स्तर पर तथा निचले स्तर पर तैयार किये गये वार्षिक लेखे सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति प्रकट नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त वित्त पोषण के लिए बैंकिंग रूट पुनः स्थापित करने से, लेखांकन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

 सरकार पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर के लिये लेखे का समान प्रारूप निर्धारित कर सकती है ताकि लेखों पर नियंत्रण सुनिश्चित होने के साथ ही साथ लेखे सत्य एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करें।

- वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी जिसके कारण भिन्न–भिन्न समयों पर निधियों के अंतरण के लिये अलग–अलग मापदण्ड अपनाना पड़ा। इसके अलावा, एमओआरडी द्वारा विकसित इण्टरनेट आधारित एमआईएस का उपयोग करने की जगह, ₹ 2.13 करोड़ परिहार्य आवर्ती वार्षिक व्यय पर वेब आधारित बजट एवं फण्ड फ्रेमवर्क साफ्टवेयर विकसित किया गया।

 सरकार अपर्याप्त वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सुधार कर सकती है एवं संशोधनों के साथ एमआईएस अपना सकती है, जिससे कि ₹ 2.13 करोड़ वार्षिक व्यय की बचत हो सके।

- योजना के निष्पादन से सम्बन्धित आँकड़ों का विश्लेषण, पिछले वर्ष (2010–11) की तुलना में 2011–12 के दौरान परिवारों को रोजगार प्रदान करने में सारभूत गिरावट (14.54 प्रतिशत) को प्रकट करता था।

- जॉब कार्ड, लाभार्थियों को डोर–टू–डोर सर्वे के माध्यम से उचित पहचान करने के बाद जारी करने की जगह, प्राप्त हुये आवेदनों के आधार पर जारी किये गये। परिणामस्वरूप, राज्य में महिलाओं का सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व (उन लोगों के सापेक्ष जिन्होंने मजदूरी रोजगार प्राप्त किया), 33 प्रतिशत के लक्ष्य के विरूद्ध 18 से 22 प्रतिशत के बीच (2008–12) रहा।

 सरकार, डोर–टू–डोर सर्वे कर कार्य के लिए इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण कराना सुनिश्चित कर सकती है, ताकि योजना को अक्षरशः क्रियान्वित किया जा सके।

- वर्ष 2007–12 की अवधि में, 100 दिन का रोजगार केवल 2.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत मजदूरों को उपलब्ध कराया गया। इसके अतिरिक्त, ऐसे परिवारों के मामले थे, जिन्हें 100 दिन से अधिक का रोजगार मुहैया कराया गया।

सरकार पंजीकृत लोगों को 100 दिन का रोजगार मुहैया कराना सुनिश्चित कर सकती है।

- राज्य में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग जैसे कम प्राथमिकता वाले कार्य को अधिक प्राथमिकता दी गयी, जबकि जल संरक्षण एवं जल संग्रह, जिसे उच्च प्राथमिकता दिया जाना था, को कम प्राथमिकता दी गई। इसके अतिरिक्त, कार्य जो अनुमन्य नहीं थे उन्हें भी क्रियान्वित किया गया।

 सरकार सुनिश्चित कर सकती है कि दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकता के अनुसार अनुमन्य कार्यों को ही कियान्वित किया जाय।

- योजना के अधीन सामग्री की प्राप्ति के लिये नियम न तो आवश्यकतानुसार तैयार किये गये और न ही मौजूद खरीद नियमों का पालन ही किया गया। मजदूरी के अधिक एवं कम भुगतान तथा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात के अतिक्रमण के भी मामले थे।

 सरकार क्रय के लिये नियम बना सकती है एवं सुनिश्चित कर सकती है कि योजना के अधीन सामग्री की प्राप्ति के लिये इनका पालन किया जाय। मजदूरी का अधिक एवं कम भुगतान तथा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात के अतिक्रमण से भी बचना चाहिए।

- कई प्रकरणों में मांग आधारित बाटम–अप योजना को टाप–डाउन आवंटन आधारित योजना के रूप में संशोधित कर दिया गया। अन्य कार्यक्रमों से मनरेग्स के कार्यों में निधियों के अन्तरण की जगह, मनरेग्स की निधि को विभागीय कार्यों एवं योजनओं के क्रियान्वयन के लिये बड़े पैमाने पर अन्तरण किया गया। इसके अतिरिक्त उत्तरवर्ती वर्षों में उन्हें कम प्राथमिकता देने के कारण अधूरे कार्यों में निधि अवरूद्ध रही।

 सरकार आवंटन नियत करते समय बाटम–अप एप्रोच तथा अधूरे कार्यों को पूर्ण करने के लिये समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण करना सुनिश्चित कर सकती है।

- आँकड़ों को फीड करने के लिए जिम्मेदार कर्मिक कुशल नहीं थे जिससे वे अपने कार्य की संगति एवं कार्यक्षेत्र से अनभिज्ञ थे। जिसके परिणामस्वरूप त्रुटिपूर्ण एवं अमान्य आँकडे अपलोड हुये।

 सरकार आँकड़ों को अपलोड करने के लिए प्रशिक्षित एवं कुशल कार्मिकों की नियुक्ति कर सकती है।

- नमूना जांच की गयी 460 में से 57 ग्राम पंचायतों में सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियाँ नहीं बनी थी तथा शेष 403 ग्राम पंचायतों में से, 30 में, जहां पर उन्हें बनाया गया था वे कार्यों, समय सीमा, गुणवत्ता पैरामीटर आदि के बारे में परिचित नहीं थीं। राज्य रोजगार गारंटी परिषद द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन भी अपर्याप्त था। ग्राम सभाओं द्वारा सोशल ऑडिट के माध्यम से (वर्ष में कम से कम दो बार) तथा राज्य सरकार द्वारा गठित सोशल आडिट समिति के माध्यम से मनरेगा के कियान्वयन में जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गयी।

 मनरेगा के कियान्वयन में जनता के प्रति जावबदेही सुनिश्चित करने के उददेश्य से निर्मित अनुश्रवण प्रणाली का पालन करना चाहिए।

अध्याय 1

परिचय

1.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट को अधिनियमित किया (सितम्बर 2005), जो फरवरी 2006 से प्रभाव में आया। एक्ट के अंतर्गत भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, कम से कम 100 दिन की मजदूरी रोजगार (प्रत्येक वित्त वर्ष में) देने की गारंटी दी। सरकार ने इस एक्ट को उत्तर प्रदेश राज्य में तीन चरणों (2005–08) में लागू किया। प्रथम चरण में 22 जिले (फरवरी 2006), द्वितीय चरण में 17 जिले (मई 2007) एवं शेष जिले तीसरे चरण (अप्रैल 2008) में अधिसूचित किये गये। अक्टूबर 2009 में, इस एक्ट का नाम परिवर्तित कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) किया गया।

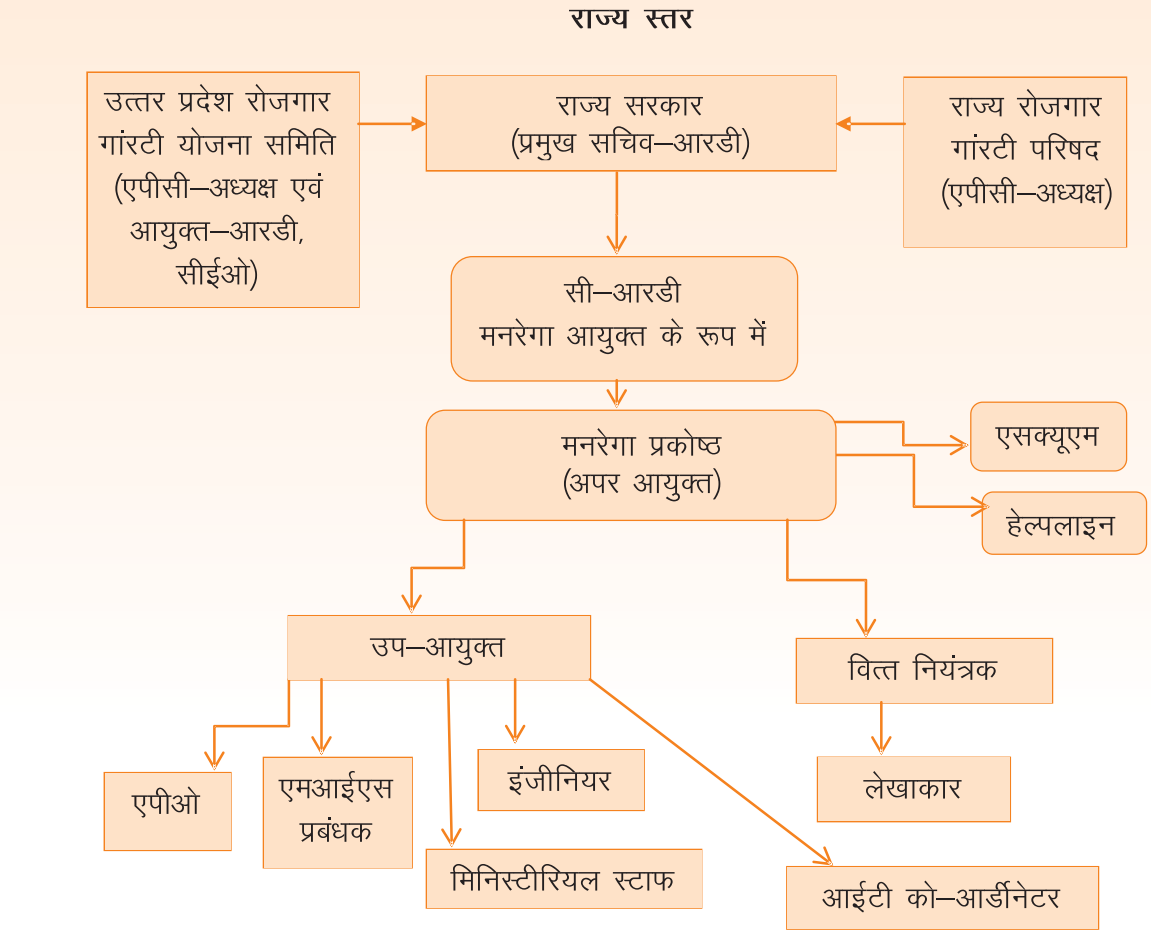
1.2 मनरेगा के उद्देश्य

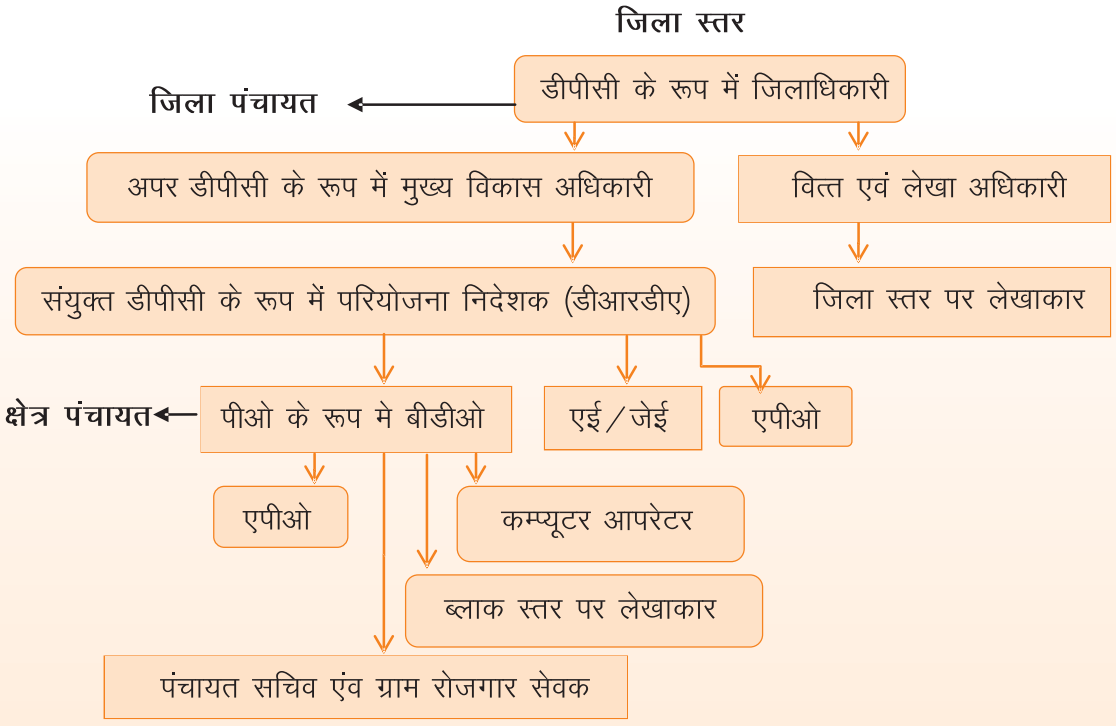
मनरेगा के उद्देश्य थे :

- पात्र समूहों को, जब अन्य रोजगार के अवसर कम अथवा अपर्याप्त हों, रोजगार का साधन उपलब्ध कराकर सशक्त सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना;
- कार्यों, जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी संपत्ति का सृजन और प्राकृतिक संसाधनों को मजबूती प्राप्त हो, के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर एक ग्रोथ इंजन के रूप में कार्य करना;
- अधिकार आधारित कानून के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को मजबूती प्रदान करना; एवं
- शासकीय सुधार, जो पारदर्शिता एवं जमीनी लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित हो, के मॉडल के रूप में व्यवसाय करने के नये तरीकों को लागू कराना।

1.3 संगठनात्मक ढांचा

ग्रामीण विकास विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, मनरेगा के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिये जिम्मेदार है। संगठनात्मक ढांचों का योजनागत आरेख नीचे दिया गया है।


राज्य स्तर
उत्तर प्रदेश रोजगार गारंटी योजना समिति (एपीसी–अध्यक्ष एवं आयुक्त–आरडी, सीईओ)
राज्य सरकार (प्रमुख सचिव–आरडी)
राज्य रोजगार गारंटी परिषद (एपीसी–अध्यक्ष)
सी–आरडी मनरेगा आयुक्त के रूप में
मनरेगा प्रकोष्ठ (अपर आयुक्त)
एसक्यूएम
हेल्पलाइन
उप–आयुक्त
वित्त नियंत्रक
एपीओ
एमआईएस प्रबंधक
इंजीनियर
लेखाकार
मिनिस्टीरियल स्टाफ
आईटी को–आर्डीनेटर


जिला स्तर
जिला पंचायत
डीपीसी के रूप में जिलाधिकारी
अपर डीपीसी के रूप में मुख्य विकास अधिकारी
वित्त एवं लेखा अधिकारी
संयुक्त डीपीसी के रूप में परियोजना निदेशक (डीआरडीए)
जिला स्तर पर लेखाकार
क्षेत्र पंचायत
पीओ के रूप मे बीडीओ
एई/जेई
एपीओ
एपीओ
कम्प्यूटर आपरेटर
ब्लाक स्तर पर लेखाकार
पंचायत सचिव एंव ग्राम रोजगार सेवक

1.4 उत्तर प्रदेश में मनरेगा का भौतिक/वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में कुल 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत किये गये तथा उन्हें जॉब कार्ड मुहैया कराये गये । इन परिवारों ने योजना के कियान्वयन के विभिन्न वर्षो के दौरान रोजगार की मांग की। समीक्षा अवधि के दौरान, रोजगार की माँग कुल 2.93 करोड़ परिवारों ने की थी, जिनमें से केवल 28.03 लाख परिवारों (9.56 प्रतिशत) को ही पूरे 100 दिन का रोजगार मुहैया कराया गया। तथापि, कुल 2.90 करोड़ परिवारों को रोजगार मुहैया कराया गया एवं 3.61 लाख परिवारों को रोजगार नहीं मिला।

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में कार्यक्रम लागत ₹ 22,174.34 करोड़ थी जिसमें से मजदूरी, सामग्री एवं प्रशासनिक व्यय क्रमशः ₹ 13,907.85 करोड़ (62.72 प्रतिशत) ₹ 7,476.89 करोड़ (33.72 प्रतिशत) एवं ₹ 789.60 करोड़ (3.56 प्रतिशत) **(परिशिष्ट–I)** थे।

1.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में यह सुनिश्चित करना था कि:

- राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त क्षमता निर्माण के उपाय किये गये है;
- विभिन्न स्तरों पर पर्सपेक्टिव योजना एवं वार्षिक योजना को तैयार करने के लिये प्रभावकारी कदम उठाए गये है;
- एक्ट/नियमों के प्रावधानों के अनुसार निधि जारी की गयी है, लेखा–जोखा रखा गया है एवं उसका उपयोग किया गया है;
- परिवारों के पंजीकरण, जॉब कार्डों के आवंटन, 100 दिन के वार्षिक रोजगार प्रदान करने इत्यादि के लिये प्रभावकारी प्रक्रिया थी;
- कार्य, सुनियोजित, दक्षतापूर्ण एवं प्रभावकारी ढंग से क्रियान्वित किये गये थे, स्थायी सम्पत्तियों के निर्माण एवं रख रखाव आदि किये गये थे;
- अन्य ग्रामीण विकास योजनाओं के साथ प्रभावी अभिसरण था;
- प्रत्येक स्तर पर प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन था; और
- विभिन्न स्तर पर सभी अभिलेखों का उचित रूप से रखरखाव किया गया था एवं मनरेगा एमआईएस डाटा सही एवं विश्वसनीय थे।

1.6 लेखापरीक्षा के मापदण्ड

लेखापरीक्षा के मापदण्ड थे:

- मनरेगा एक्ट 2005;
- मनरेगा संचालन दिशानिर्देश – 2008;
- समय–समय पर केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी सुसंगत आदेश; और
- उत्तर प्रदेश रोजगार गारंटी शिकायत निवारण तंत्र नियम, 2009।

1.7 कार्य क्षेत्र एवं कार्यविधि

वर्ष 2007–12 की अवधि में मनरेगा एक्ट से जुड़े अभिलेखों की जांच मार्च 2012 से जून–2012 के दौरान प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, लखनऊ, मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एवं आयुक्त, ग्रामीण रोजगार गारंटी लखनऊ के कार्यालयों में की गयी।

नमूने का चयन, बहुस्तरीय नमूना अभिकल्प जैसे – जिला, ब्लाक, ग्राम पंचायत (जीपी), कार्य एवं लाभार्थी स्तर का प्रयोग करके किया गया था।

नमूना जॉच में 18 जनपदों के जिला पंचायतों (जेडपी), 46 ब्लाकों (इन्ही जिलों में से) की क्षेत्र पंचायतों (केपी), 460 ग्राम पंचायतों (इन्हीं ब्लाकों में से), इन्हीं ग्राम पंचायतों में 4453 कार्यो एवं प्रत्येक चयनित जनपद से दो लाइन विभागों के अभिलेखों की जॉच लेखा परीक्षा में की गयी। इसके अतिरिक्त 4600 लाभार्थियों का साक्षात्कार भी किया गया। चयनित जनपदों, ब्लाकों तथा ग्राम पंचायतों के नाम संलग्न हैं (**परिशिष्ट II**)।

परिचयात्मक बैठक का आयोजन 2 मई 2012 को प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के साथ आयोजित की गई। बैठक में लेखापरीक्षा के उद्देश्यों, मापदण्डों, क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की चर्चा की गई। समापन बैठक का आयोजन भी प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास के साथ 12 जनवरी 2013 को किया गया, जिसमें लेखा परीक्षा निष्कर्ष पर चर्चा की गई। चर्चा के परिणाम के साथ ही साथ राज्य सरकार के उत्तर को यथा आवश्यक उचित रूप से समाहित किया गया है।

1.8 लेखापरीक्षा में बाधायें

लेखा परीक्षा, राज्य सरकार द्वारा अभिलेखों/प्रतिक्रियाओं को उपलब्ध कराने में विलम्ब के कारण बाधित हुयी। राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा परिणाम की प्राप्ति एवं उत्तर प्रस्तुत करने के लिये नोडल अधिकारी नामित नहीं किया, यद्यपि परिचयात्मक बैठक में आश्वासन दिया गया था। कई अवसरों पर लेखा परीक्षा के समापन के दिन सूचनाएं प्रस्तुत की गयीं। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा द्वारा ऐसे अभिलेखों की प्रमाणिकता एवं सत्यता की जाँच नहीं की जा सकी। कुछ सूचनाएं अभी तक लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गयी। विवरण **परिशिष्ट–III** में संलग्न है। उक्त सभी ने लेखापरीक्षा के सम्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया।

1.9 अभिस्वीकृति

लेखापरीक्षा, राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों द्वारा निष्पादन लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये सहयोग एवं योगदान की अभिस्वीकृति करता है।

अध्याय 2

क्षमता निर्माण

यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना वांछित उद्देश्यों को पूरा करें, यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर पर्याप्त क्षमताएं विद्यमान हो। मनरेगा योजना में जमीनी स्तर यथा ग्राम पंचायत तक पहुँच सम्मिलित है। एक्ट में क्षमता निर्माण की विभिन्न पहलुओं का वर्णन अंकित है। इनमें नियमों को लागू करना, आवश्यक प्रशासनिक ढाँचा स्थापित करना, कार्मिकों की स्थापना एवं इनको समुचित प्रशिक्षण प्रदान करना, सूचनाओं का प्रसार एवं शिक्षा तथा संचार सम्मिलित है।

लेखा परीक्षा में क्षमता निर्माण के क्षेत्र में कई कमियां पायी गयीं जिनको आगे के प्रस्तरों में वर्णित किया गया है:

लेखा परीक्षा के परिणाम

2.1 राज्य रोजगार गांरटी परिषद्

मनरेगा की धारा 12, राज्य सरकार को राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) की अध्यक्षता में योजना के क्रियान्वयन हेतु सलाह देने, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने हेतु राज्य रोजगार गांरटी परिषद (एसईजीसी) के गठन का प्रावधान करती है। एसईजीसी के अन्य उत्तरदायित्वों में, प्राथमिकता वाले कार्यों को निश्चित करना एवं भारत सरकार को कार्यों के प्रस्ताव को संस्तुत करना था।

मनरेग्स प्रकोष्ठ, लखनऊ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि राज्य सरकार ने 16 सदस्यीय एसईजीसी का गठन (मई 2006) किया तथापि 15 गैर सरकारी सदस्य 19 महीनों के विलम्ब से नामित किये गये। अग्रेतर, राज्य सरकार द्वारा एसईजीसी की बैठक के लिए कोई कोरम या आवर्तता निर्धारित नहीं की गई। परिणामस्वरुप, एसईजीसी की बैठक वर्ष में केवल एक/दो बार ही हुई। राज्य सरकार ने एक आयुक्त भी नामित नहीं किया जिसके दिशा–निर्देशों के अधीन योजना क्रियान्वित होनी थी। लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि आयुक्त, ग्रामीण विकास को विभिन्न चरणों में आयुक्त, मनरेगा के रुप में आवधिक रूप से नामित किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि आयुक्त, ग्रामीण विकास पदेन राज्य रोजगार गांरटी आयुक्त थे एवं एक स्वतंत्र आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रियाधीन थी।

इस प्रकार, शीर्ष स्तर पर ही योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में समझौता किया गया।

2.2 कार्मिकों की कमी

भारत सरकार ने पदानुक्रम के प्रत्येक स्तर के लिये प्रशासनिक प्रारुप का सुझाव दिया था (जनवरी 2006; मार्च 2007)। एक्ट के अनुसार, राज्य सरकार को जिला एवं ब्लाक स्तर पर क्रमशः एक कार्यक्रम समन्वयक एवं एक कार्यक्रम अधिकारी (पीओ) को नामित करना था एवं एक्ट के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक स्टाफ एवं तकनीकी सहयोग आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना था। इसके अतिरिक्त, संचालन दिशा–निर्देशों में **(प्रस्तर 3.1.1)** प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम रोजगार सेवक (जीआरएस) एवं प्रत्येक पांच से दस ग्राम पंचायतों में एक तकनीकी सहायक (टीए) की नियुक्ति का भी सुझाव

दिया गया था। तथापि, लेखा परीक्षा में एकत्रित आकड़ों में पाया गया कि मार्च 2012 तक राज्य में स्वीकृत पदों के सापेक्ष कार्मिकों की नियुक्ति में कमी थी। विवरण नीचे सारणी 2.1 में हैं:

सारणी 2.1: मार्च 2012 तक स्टाफ की तैनाती की स्थिति

स्तर	इकाईयों की संख्या	कार्मिक	आवश्यकता (प्रति इकाई पदों की सं0)	स्वीकृत पद	व्यक्तियों की तैनाती	कमी
						कोष्ठक में प्रतिशत
ग्राम पंचायत	51,980	ग्राम रोजगार सेवक	1	48946[1]	41491	7455(15)
		तकनीकी सहायक	नियुक्ति नहीं			
ब्लाक	820	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी	1	783	704	79(10)[2]
		लेखा सहायक	1	792	660	132(17)
		तकनीकी सहायक[3]	1	7931	5398	2533(32)
		कम्प्यूटर सहायक	1	745	554	191(26)
जिला	72	कार्य प्रबंधक	1	72	49	23(32)
		आईटी प्रबंधक कम्प्यूटर सहायक के साथ	1	53	35	18(34)
		लेखा प्रबंधक लेखा सहायक के साथ	1	47	22	25(53)
		प्रशिक्षण समन्वयक	1	49	36	13(27)
		सोशल आडिट एवं शिकायत निवारण समन्वयक	1	273	256	17(6)

(**स्रोतः** अपर आयुक्त, मनरेग्स प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

कार्मिकों के सभी संवर्ग में उनकी कमी 6 प्रतिशत से 53 प्रतिशत के बीच थी। उपर्युक्त सारणी, मार्च 2012 की समाप्ति तक, ग्राम पंचायतों एवं ब्लाक के महत्वपूर्ण स्तरों पर क्रमशः 15 प्रतिशत ग्राम रोजगार सेवकों एवं 32 प्रतिशत तकनीकी सहायकों के मुख्य संवर्ग में वृहद कमी को दर्शाती है। नमूना जांच में यह पाया गया कि गाजियाबाद जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर 405 ग्राम रोजगार सेवकों एवं 41 तकनीकी सहायकों की आवश्यकता के सापेक्ष कोई भी ग्राम रोजगार सेवक एवं तकनीकी सहायक तैनात नहीं था। इसी प्रकार, बुलंदशहर जनपद में भी 899 ग्राम रोजगार सेवकों की आवश्यकता के सापेक्ष कोई भी ग्राम रोजगार सेवक तैनात नहीं था। शेष 16 जिलों में भी इन कार्मिकों की कमियां पाई गयी।

अग्रेतर, पीओ की नियुक्ति के संबंध में, एक्ट की धारा 15(1) का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया गया। तथापि कार्यक्रम अधिकारी के रुप में खण्ड विकास अधिकारी के नामित किये जाने के साथ अन्य व्यक्ति को अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी के रुप में नियुक्ति किया गया।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वांछित कर्मचारी उपलब्ध नहीं थे इसलिए एपीओ की नियुक्ति बीडीओ के साथ की गयी। अग्रेतर, यह बताया गया कि अपेक्षित

[1] आवश्यकतानुसार इसे 51980 होना चाहिए।
[2] राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित
[3] इसमें ग्राम पंचायत के तकनीकी सहायक भी शामिल है।

स्टॉफ को काम पर लगाये जाने के लिए पर्याप्त प्रशासनिक व्यय अर्जन हेतु कई जनपदों में पर्याप्त संख्या में कार्य दिवस सृजित नहीं किये गये थे।

उत्तर इस आधार पर सही नहीं था क्योंकि राज्य स्तर पर प्रशासनिक व्यय के लिए खोले गये बैंक खाते में 2010–11 में ₹ 20.80 करोड़ एवं 2011–12 में ₹ 20.44 करोड़ की राशि अव्ययित थी। प्रमुख सचिव ने चर्चा (जनवरी 2013) के दौरान आश्वस्त किया कि ब्लाकों में अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के रिक्त पदों पर पुनर्विचार किया जाएगा।

इस प्रकार, ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर अपर्याप्त प्रबंधन सहायता के कारण राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन पर विपरीत प्रभाव पड़ा।

2.3 स्टाफ पर अनियमित व्यय

मनरेग्स प्रकोष्ठ

भारत सरकार ने राज्य सरकार को मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यालय स्थापित करने का निर्देश (जुलाई 2008) दिया था तथा कार्यालय की स्थापना के लिए तद्नुसार पदों के सृजन का सुझाव दिया था। इस प्रकार राज्य सरकार ने कई कार्मिकों जैसे–आईईसी (सूचना, शिक्षा एवं संचार) समन्वयक, प्रशिक्षण समन्वयक, नियोजन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समन्वयक, कार्य प्रबंधक, आईटी प्रबन्धक, सोशल आडिट आफिसर, शिकायत निवारण प्रबंधक, वित्त प्रबंधक, एवं एपीओ की नियुक्ति की। उन्हें श्रम शक्ति आपूर्ति सेवा प्रदाता से संविदा के आधार पर लिया गया एवं भारत सरकार के मानक के अनुसार भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने संबंधित सभी को दिशा–निर्देश जारी किया (अक्टूबर 2008, फरवरी 2009) कि सेवा प्रदाता से अनुबन्ध एक वर्ष के लिए वैध होगा जब तक कि संतोषजनक सेवाओं के आधार पर उत्तरवर्ती वर्ष के लिए उनका नवीनीकरण न किया जाए। सेवा प्रदाता से बैंक प्रत्याभूति[4] जमा किया जाना अपेक्षित था। तथापि लेखा परीक्षा ने प्रक्रिया में कई कमियां पायी जिनका विवरण निम्नवत् है:

- सेवा प्रदाता की नियुक्ति में प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी।
- मनरेगा प्रकोष्ठ ने मेसर्स डाटामेशन कंसल्टेन्ट प्राइवेट लिमिटेड (फर्म) के साथ विभिन्न कार्मिकों को मुहैया कराने का अनुबन्ध किया (जून 2009)। इसमें अनेक कार्मिक ऐसे थे जो कि भारत सरकार के दिशा–निर्देशों में प्राविधानित नहीं थे जैसे–क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, हेल्पलाइन एक्जीक्यूटिव, प्रबंधक शिकायत निवारण, एमआईएस विश्लेषक एवं डाटा इंट्री ऑपरेटर।
- संविदा जिसका वार्षिक आधार पर नवीनीकरण होना था, वह स्वतः वर्ष दर वर्ष नवीनीकृत होती रही।
- सेवा प्रदाता को भुगतान (₹ 83.04 लाख) करते समय ₹ 1.67 लाख आयकर की कम कटौती की गई।
- बैंक प्रत्याभूति जो कि नियमों के अंतर्गत आवश्यक थी, को सेवा प्रदाता से नहीं लिया गया।

[4] संविदा के क्रियान्वयन के पूर्व उन्हें देय वार्षिक धनराशि के 2 प्रतिशत के दर से फिक्सड् डिपॉजिट के रुप में।

- आईइसी समन्वयक को प्रतिमाह ₹ 30,000 का भुगतान अनुमन्य किया गया था जबकि भारत सरकार द्वारा सुझाए गये स्टाफिंग प्रारुप में एपीओ पद के लिए अधिकतम ₹ 20,000 प्रतिमाह था।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि भारत सरकार के आदेशानुसार (जुलाई 2008) सूचना, शिक्षा एवं संचार समन्वयक लगाए गये थे जिसमें मानदेय के भुगतान के लिए कोई दर निर्धारित नहीं थी। राज्य सरकार ने आगे कहा (जनवरी 2013) कि वे अब एपीओ को देय दर (₹ 20,000 प्रति माह) पर लगाए गये है। लेकिन इस दावे के समर्थन में लेखा परीक्षा को कोई अभिलेख नहीं दिखाया गया। आयकर कटौती के संदर्भ में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि इसे भविष्य में भुगतान योग्य राशि में समायोजित कर लिया जाएगा।

इस प्रकार शासन ने मनरेग्स प्रकोष्ठ के लिए लगे कार्मिकों के मामले में सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन किया। मनरेग्स प्रकोष्ठ के लिए कार्मिकों की नियुक्ति में भी भारत सरकार के दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया गया एवं गैर अनुमोदित स्टॉफ जैसे– क्लर्क, डीईओ इत्यादि की नियुक्ति की गई। सेवा प्रदाता के साथ बिना प्रतिस्पर्धात्मक निविदा प्रक्रिया का अनुसरण किये, अनुबन्ध किया गया एवं बैंक प्रत्याभूति लिये बिना, इस निमित्त न केवल ₹ 83.04 लाख का अनियिमत भुगतान सेवा प्रदाता को किया गया बल्कि इससे राज्य में योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही भी प्रदर्शित होती है।

एपीओ की नियुक्ति

राज्य सरकार ने ब्लाक के अलावा अन्य कार्यालयों में भी एपीओ[5] की तैनाती की। इसके लिए राज्य सरकार ने योजना में अध्याय 8 एवं 9 को द्वितीय संशोधन द्वारा शामिल किया (अक्टूबर 2008)। बार–बार मांगने पर भी लेखा परीक्षा को उन पर हुए वास्तविक व्यय उपलब्ध नहीं कराये गये। तथापि नमूना जांच में लिये गये 14 जिलों की लेखा परीक्षा में पाया गया कि मार्च 2009 से मार्च 2012 की अवधि में वहां तैनात 37 एपीओ को ₹ 1.43 करोड़ का भुगतान किया गया। इस प्रकार, एक ओर जहां मुख्य निष्पादन अभिकरण (ब्लाक) स्तर पर एपीओ (79) का स्थान रिक्त था वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के प्रशासनिक कार्यालयों में सहायक स्टाफ के रुप में एपीओ की तैनाती की गई थी।

अग्रेतर, लेखा परीक्षा में पाया गया कि योजना के द्वितीय संशोधन (अक्टूबर 2008), जिसके द्वारा इन एपीओ का प्रावधान किया गया था, को माननीय उच्च न्यायालय, उ0प्र0, इलाहाबाद द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया (सितम्बर 2009)। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।

तकनीकी संसाधन सहायता समूह

नियोजन, अभिकल्प, अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं गुणवत्ता लेखा परीक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए संचालन दिशा–निर्देशों में राज्य एवं जनपद स्तर पर तकनीकी संसाधन सहायता समूह (टीआरएसजी) की स्थापना परिकल्पित था। सरकार ने ग्रामीण विकास विभाग के अधीन स्थापित प्राविधिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ (टीएसी) के इंजीनियरों (राज्य

[5]मुख्य विकास अधिकारी एवं संयुक्त विकास आयुक्त के कार्यालयों में प्रत्येक में दो एपीओ एवं आयुक्त कार्यालय मनरेगा में चार।

सरकार के कर्मचारी) से सेवाएं लेने का निर्णय लिया (दिसम्बर 2010)। तथापि आयुक्त, मनरेगा ने उनके वेतन व भत्तों के लिये जनवरी 2011 से मार्च 2012 की अवधि हेतु ₹ 2.04 करोड़ का भुगतान किया और उसे मनरेगा के प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत पुस्तांकित किया। चूंकि कार्य में लगे इंजीनियर राज्य सरकार के स्थायी कर्मचारी थे और वे समर्पित मनरेगा कार्मिक नहीं थे, अतः उनके वेतन एवं भत्तों का भुगतान मनरेगा निधि से अनुमन्य नहीं था।

इसके अलावा, लगाये गये 20 इंजीनियर प्रभागीय स्तर पर तैनात थे (उनमें से पांच दोहरे प्रभार वाले थे)। वे राज्य के 72 जिलों के लिए पर्याप्त नहीं थे। इस प्रकार, वृहद पैमाने पर, जिले, बिना तकनीकी सहायता के रहे एवं निधि जिसका उपयोग टीआरएसजी स्टॉफ के लिए किया जा सकता था, उसे राज्य सरकार में नियुक्त इंजीनियरों के वेतन के भुगतान के लिये अपवर्तित कर दिया गया।

अग्रेतर, लेखा परीक्षा ने पाया कि टीआरएसजी के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा जारी ₹ 54.20 लाख की पहली किस्त (2008), राज्य स्तर पर मार्च 2012 तक अव्ययित रही। परिणामस्वरुप, भारत सरकार ने कोई उत्तरवर्ती किस्त जारी नहीं की।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि प्रावधिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ के कर्मचारियों को मनरेगा निधि से वेतन का भुगतान जनवरी 2013 से रोक दिया गया।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि पूर्व में हुए ₹ 2.04 करोड़ के अमान्य भुगतान को मनरेग्स को वापस किये जाने की अपेक्षा थी।

2.4 अपर्याप्त प्रशिक्षण

संचालनात्मक दिशा–निर्देश 2008 के प्रस्तर 3.3 के अनुसार राज्य सरकार से, प्रभावी नियोजन, कार्य मापन, जन–जागरण, सोशल आडिट इत्यादि के लिए मुख्य कार्याधिकारियों जैसे जिला कार्यक्रम समन्वयक (डीपीसी), कार्यक्रम अधिकारी, इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था कराया जाना अपेक्षित था। विभिन्न हितधारकों की विविध आवश्यकताओं के अनुरुप प्रशिक्षण माड्यूल विकसित करना तथा प्रशिक्षण कैलेन्डर बनाया जाना था। अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

प्रशिक्षण सत्र एवं प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी

दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, लखनऊ से विभिन्न स्तरों पर मुख्य कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना अपेक्षित था। लेखा परीक्षा के संज्ञान में आया कि संस्थान ने लक्षित 771 सत्रों के सापेक्ष केवल 235 सत्र (30 प्रतिशत) आयोजित किये (2011–12)। इसी प्रकार लक्षित 30,863 प्रशिक्षुओं के सापेक्ष केवल 6,987 प्रशिक्षुओं (23 प्रतिशत) को ही प्रशिक्षण दिया गया। यह कमी, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत राशि ₹ 19.88 करोड़ में से ₹ 9.94 करोड़ की पहली किस्त (मार्च 2011) राज्य सरकार को अवमुक्त किये जाने के बावजूद थी। यह भी पाया गया कि ₹ 2.06 करोड़ संस्थान को एवं ₹ 45.80 लाख 31 जिलों को, प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए उपलब्ध कराये गये एवं ₹ 5.36 लाख, प्रशिक्षण/कार्यशाला पर खर्च किये गये। मार्च 2012 तक ₹ 7.37 करोड़ की अवशेष धनराशि अव्ययित रही। इसके अलावा, ₹ 2.06 करोड़ जो कि संस्थान को स्थान्तरित थी, उनमें से ₹ 1.33 करोड़ मार्च 2012 तक अव्ययित पड़ी रही। जैसा कि अपेक्षित था, अव्ययित अवशेष को एमओआरडी को वापस नहीं किया गया (मार्च 2012)।

शासन द्वारा बताया गया कि (जनवरी 2013) राज्य में विधानसभा चुनावों के कारण प्रशिक्षण पर व्यय नहीं हुआ।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि चुनाव केवल फरवरी–मार्च 2012 तक हुए थे।

जिला स्तर पर प्रशिक्षण

लेखा परीक्षा में पाया गया कि जिला ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा जिला विकास योजनाओं के तैयार करने के लिए सीतापुर जिले के 9 ग्राम पंचायतों के कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया। तथापि शेष 16 नमूना जांच जिलों की 427 ग्राम पंचायतों में ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया। जहां कहीं प्रशिक्षण दिया गया, वहां समुचित ज्ञान की कमी ने नियोजन प्रक्रिया को प्रभावित किया, जैसा कि 18 नमूना जांच के जिलों की सभी 460 ग्राम पंचायतों में 2008–12 की अवधि में जिला विकास योजना की तैयारी में विलम्ब के तथ्य से पता चलता है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रशिक्षण, जिलों (जिला ग्रामीण विकास संस्थान) द्वारा आयोजित किये गये।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि अभिलेखों की नमूना जांच की अवधि में संबंधित ग्राम पंचायतों ने बताया था कि कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया।

इस प्रकार यह महत्वपूर्ण संसाधन, जिसे प्रभावी क्षमता निर्माण हेतु परिकल्पित किया गया था, अपर्याप्त रुप से प्रयुक्त हुआ और प्रशिक्षण, जैसा कि संचालन दिशा–निर्देशों में दिया गया था, प्रदान नहीं किया गया था।

2.5 सूचना, शिक्षा एवं संचार

मनरेग्स को, मांग आधारित रोजगार सृजक योजना के रुप में लिया गया था। अतः इस योजना के लक्षित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इच्छुक लाभार्थी को पर्याप्त सूचना उपलब्ध कराये जाने एवं उन्हें जागरूक करने की आवश्यकता थी। संचालनात्मक दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 3.2 के अनुसार सरकार को एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों को प्रचारित करने के लिए गहन सूचना, शिक्षा एवं संचार का कार्य शुरु करना एवं विभिन्न प्रक्रियाओं का पालन करना था, जैसे पंजीकरण की प्रक्रिया इत्यादि।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि आईसी की गतिविधियों के लिए न ही कोई राज्य स्तरीय व्यापक योजना तैयार की गई थी और न ही लेखा परीक्षा को उपलब्ध करायी गयी। योजना के प्रारम्भिक चरण के दौरान कुछ पैम्फलेट्स छापे गये थे जो लाभार्थियों को व्यापक सूचना प्रसार के लिए अपर्याप्त थे। आईसी घटक के अधीन अप्रभावकारी गतिविधि का मामला एसईजीसी की बैठक में उठाया गया था (मार्च 2009) एवं प्रत्येक ब्लाक के लिए ₹ 10000 का बजट, पैम्फलेट्स छपाई, दृश्य एवं प्रिन्ट मीडिया तथा प्रलेखन के माध्यम से संबंधित गतिविधि के लिए अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2007–12 की अवधि में, नमूना जांच के 16 जिलों में, ₹ 3.06 करोड़, प्रचार, दीवार की पुताई इत्यादि पर व्यय किये गये।

सरकार ने योजना से संबंधित सूचना को प्रचारित करने के लिए दीवार पर स्लोगन लेखन का निर्णय लिया (सितम्बर 2008)। इसके अनुसार जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए), जिला बलरामपुर ने 3800 स्थानों पर स्लोगन लिखने के लिए

फर्म को कार्य आदेश जारी किया (नवम्बर 2008)। फर्म ने 2,819 स्लोगन लेखन के लिए ₹ 9.77 लाख का बिल प्रस्तुत किया। लेखा परीक्षा में पाया गया कि भुगतान जारी करने से पूर्व, कनिष्ठ इंजीनियर ने केवल 546 लेखन को सत्यापित किया। फिर भी, नौ लाख रूपये का भुगतान (जनवरी 2010) ठेकेदार को इस आधार पर किया गया कि समय व्यतीत होने एवं बारिश के कारण लिखे स्लोगन मिट गये होगें, अतः ₹ 9.00 लाख का अनियमित व्यय हो गया। इसी तरह दिसम्बर 2007 में, 1.50 लाख कलेण्डर ₹ 31 प्रति कलेण्डर की दर से, उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड लखनऊ से बिना क्रय प्रक्रिया का पालन किये खरीदे गये (लागत ₹ 46.50 लाख) जबकि ग्रामीण विकास विभाग की जांच में यह पाया गया कि उस समय बाजार में कलेण्डर केवल छः रुपये प्रति की दर से उपलब्ध थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि 30,000 कलेण्डर की आपूर्ति, आपूर्तिकर्ता ने की थी, फिर भी 1.50 लाख कलेण्डर के लिए भुगतान किया गया। इस प्रकार ₹ 44.70 लाख का अमान्य भुगतान किया गया।

उत्तर में सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि प्रकरणों की जांच आर्थिक अपराध शाखा के अधीन थी। इस जांच के परिणाम प्रतीक्षित थे।

इस प्रकार, राज्य में मनरेग्स को, लाभार्थियों के बीच तक सूचना के प्रभावी प्रसार के बिना कार्यन्वित किया गया क्योंकि सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए कोई भी व्यापक नियोजन नहीं था। पैम्फ्लेट्स के वितरण, दीवार पर लेखन जैसी गतिविधियां तदर्थ आधार पर की गयी थीं। इसके अतिरिक्त अनियमित (₹ 9.00 लाख) एवं अमान्य (₹ 44.70 लाख) व्यय किये गये।

2.6 निष्कर्ष

राज्य में मनरेग्स के लिए क्षमता निर्माण तदर्थ आधार पर था। शीर्ष स्तर पर एसईजीसी की भूमिका एवं उत्तरदायित्व तथा ग्राम पंचायत, ब्लाक एवं जिला स्तर पर प्रबंधन सहायता सीमित थी। मनरेगा प्रकोष्ठ में विभिन्न संवर्गों के पदों के सृजन के बावजूद, सेवा प्रदान करने वालों को अनियमित रुप से सम्बद्ध किया गया था। इसके अलावा, प्रभावकारी नियोजन, कार्य मापन इत्यादि के लिए मुख्य कार्मिकों को प्रशिक्षण देने का उद्देश्य वृहद पैमाने पर अपूर्ण रहा। योजना के संबंध में सूचना, शिक्षा एवं संचार के लिए कोई व्यापक नियोजन नहीं था।

2.7 संस्तुतियां

- सरकार को एसईजीसी की बैठक के लिए कोरम एवं आवृत्ति निर्धारित करनी चाहिए जिससे योजना के क्रियान्वयन में प्रभावकारी सुझावों को सुनिश्चित किया जा सके।

- सरकार को प्रत्येक स्तर पर प्रशिक्षित एवं पर्याप्त मानव शक्ति को सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि ऐसी कमियां योजना के क्रियान्वयन में प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं।

- सरकार को प्रभावी सूचना, शिक्षा एवं संचार नीति बनानी चाहिए क्योंकि यह मांग आधारित योजना है इसमें लाभार्थियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरुक होने की आवश्यकता है।

अध्याय 3

नियोजन

मनरेगा के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये नियोजन महत्वपूर्ण है। सफलता का प्रथम सूचक, समय से रोजगार सृजित करना एवं साथ ही साथ यह सुनिश्चित करना है कि कार्य का अभिकल्प एवं चयन ऐसा हो कि अच्छी गुणवत्ता वाली सम्पत्तियों का सृजन हो सके। समयबद्ध निष्पादन के लिये अग्रिम नियोजन की आवश्यकता होती है।

3.1 ब्लाक एवं ग्राम स्तर पर नियोजन प्रकिया का अभाव

परियोजना की प्राथमिकता को विधिवत इंगित करने वाली वर्ष की विकास योजना[1] की तैयारी हेतु कार्यों के चिन्हीकरण एवं उनकी संस्तुतियाँ करने के लिये प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को संवेदी एवं सहभागी ग्राम सभा के आयोजन को सुनिश्चित करना कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व था। प्रत्येक ग्राम पंचायत को विकास योजना एवं सम्भावित कार्यों/परियोजनाओं का शेल्फ तैयार करना था ताकि जब भी कार्य के लिये मांग हो तो उसे पूरा किया जा सके। योजना में श्रम मांग का आकलन, आकलित मांग को पूरा करने हेतु कार्य एवं कार्य व मजदूरी की आकलित लागत शामिल की जानी थी। इन परियोजनाओं के परिणामस्वरूप समुदाय को पहुंचने वाले लाभ को भी योजना में उल्लिखित किया जाना था। नियोजन प्रक्रिया में विभिन्न चरणों के लिये नियत तिथि का प्रवाह दर्शित करने वाला आरेख नीचे दिया गया है:



[1]यह गांव की एक वार्षिक योजना है जिसमें ग्राम सभा द्वारा संस्तुत कार्य एवं उनके क्रियान्वयन को इंगित किया जाता है।

तथापि, लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि:

- नमूना जांच में लिये गये 18 जिलों की 439 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा उपर्युक्त तिथि को आयोजित नहीं की गई थी। गोण्डा (19), रामपुर (10) एवं जालौन (20) जिलों की 49 ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन संवेदी एवं सहभागी नहीं था।

- 14 जिलों[2] की 339 ग्राम पंचायतों ने शेल्फ आफ प्रोजेक्ट्स तैयार नहीं किया था तथा कुशीनगर एवं मुरादाबाद जिले की 60 ग्राम पंचायतों ने विकास योजनाएँ तैयार नहीं की थी। कुशीनगर एवं मुरादाबाद जिले में 38 ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं ने श्रम की मांग आकलित नहीं की थी क्योंकि न तो कार्यों की पहचान की गयी थी और न ही श्रम मांग की पूर्ति के लिये कार्यों एवं मजदूरी की लागत का आकलन किया गया था।

- योजना में, नमूना जांच के 18 जिलों में से किसी भी जिले में, जहां कहीं भी विकास योजनाएँ बनायी गयी थीं, ग्राम पंचायतों द्वारा समुदाय को मिलने वाले लाभ का वर्णन नहीं किया गया था।

- 18 जिलों की नमूना जांच की गयी 460 ग्राम पंचायतों में से किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा विकास योजना, कार्यक्रम अधिकारी को यथा निर्धारित, 15 अक्टूबर तक प्रस्तुत नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, ब्लाक की समेकित योजना, निर्धारित तिथि 30 नवम्बर तक, डीपीसी को प्रस्तुत नहीं की गयी थी।

इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर प्रमुख कार्यकर्त्ताओं द्वारा नियोजन प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने उपर्युक्त विसंगतियों का कारण पंचायत सचिवों द्वारा एक से अधिक ग्राम पंचायतों का प्रभार सम्भालना बताया (जनवरी 2013)।

उत्तर सांगठनिक अपर्याप्तता को सामान्य तर्कों द्वारा विवेचित करना मात्र है, इसी का परिणाम उपरोक्त वर्णित लेखापरीक्षा आपत्तियाँ हैं।

3.2 जनपद स्तर पर अपर्याप्त नियोजन

रोजगार सृजन एवं स्थायी विकास के लिये मनरेग्स के अधीन कराये जाने वाले कार्यों की प्रकृति की पहचान करके जिला पर्सपेक्टिव योजना (डीपीपी) की तैयारी करना अनिवार्य था, ताकि अग्रिम नियोजन को आसान बनाया जा सके। योजना के अनुमोदन एवं स्वीकृति के लिये एक जिला नियोजन समिति का गठन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधि को भी योजना के अनुमोदन के लिये राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में उपस्थित रहना था। अनुमोदित योजनाएँ राज्य वेबसाइट पर अपलोड की जानी थी। तथापि, लेखापरीक्षा में, जिला पर्सपेक्टिव योजना की तैयारी में कई विसंगतियां पायी गयी जिनका विवरण नीचे के प्रस्तरों में दिया गया है–

1. मनरेगा के प्रथम चरण के अन्तर्गत सभी 22 जिलों की योजना को तैयार करने का कार्य छः सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को सौंपा गया था। इन संस्थाओं द्वारा

[2] इलाहाबाद, आजमगढ़, बलरामपुर, बाँदा, बरेली, बुलन्दशहर, चित्रकूट, गाजियाबाद, गोण्डा, जालौन, रामपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी।

उन्नाव जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों की योजनाएँ तैयार की गयीं जिन्हें अगस्त 2009 में आयोजित राज्य रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में अनुमोदित किया गया। बैठक, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनिवार्य प्रतिनिधित्व के बिना आयोजित की गई थी।

2. अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि भारत सरकार ने 42 जिलों को योजना की तैयारी के लिये प्रथम किस्त के रूप में ₹ 4.27 करोड़ की राशि उपलब्ध करायी। इसमें से 21 जिलों ने योजना तैयार की (व्यय ₹ 1.29 करोड़)। तीन जिलों बरेली, गाजियाबाद एवं रामपुर ने ₹ 6.52 लाख व्यय किये किन्तु डीपीपी नहीं तैयार किये। अवशेष ₹ 2.98 करोड़ की निधि अप्रयुक्त रही।

3. लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये 18 जनपदों में से आठ जनपदों[3] में डीपीपी तैयार की गयी थी एवं शेष 10 जनपदों[4] (56 प्रतिशत) में डीपीपी तैयार नहीं की गयी थी, यद्यपि उनमें से छः[5] को, डीपीपी की तैयारी के लिये प्रत्येक को ₹ 10.00 लाख की स्वीकृति दी गई थी। यह पाया गया कि यद्यपि जनपद सीतापुर को पहले चरण के अन्तर्गत स्वयं ही लिया गया था, फिर भी डीपीपी को तैयार करने के लिये राशि जिले को उपलब्ध नहीं कराई गई थी। तथापि, इसने डीपीपी तैयार की एवं अपने श्रम बजट से ₹ 4.00 लाख का भुगतान किया।

4. तैयार योजनायें राज्य वेबसाइट पर अपलोड भी नहीं की गई थीं।

राज्य के शेष जनपदों में डीपीपी तैयार नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त जहां पर डीपीपी तैयार की गई थी, जिलों द्वारा वार्षिक योजना बनाते समय उन्हें संज्ञान में नहीं लिया गया था। इस प्रकार किया गया व्यय निष्फल रहा। यह भी पाया गया कि डीपीसी ने ब्लाक योजना को जिला योजना में समेकित नहीं किया था।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि, योजना, एसईजीसी के अनुमोदन के पूर्व ही जिला नियोजन समितियों द्वारा अनुमोदित थी। राज्य सरकार ने यह भी बताया (जनवरी 2013) कि भारत सरकार ने वर्ष 2008–09 के बाद वार्षिक योजना की तैयारी पर जोर दिया।

उत्तर संतोषजनक नहीं थे, क्योंकि विकास योजना में प्रारम्भिक चरण से ही एकीकृत नियोजन की कमी थी।

इस प्रकार, जिला स्तर पर नियोजन की कमी थी जिसके कारण रोजगार उत्पत्ति एवं संधारित विकास सुनिश्चित करने के लिये मनरेगा के अधीन लिये गये कार्य की पहचान नहीं हो पायी थी।

3.3 राज्य स्तर पर अपर्याप्त नियोजन

एक्ट की धारा 23 (3), राज्य सरकार को योजना के उचित क्रियान्वयन के लिये व्यवस्थापन का अधिकार देती है। तद्नुसार राज्य सरकार से, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्रभावी एवं दक्षतापूर्ण योजना बनाने के लिये, मैनुअल/रिसोर्स अभिलेख तैयार किये जाने की अपेक्षा थी।

[3] इलाहाबाद, आजमगढ़, बांदा, चित्रकूट, जालौन, कुशीनगर, सीतापुर एवं वाराणसी।
[4] बलरामपुर, बुलन्दशहर, बरेली, गाजियाबाद, गोण्डा, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सुल्तानपुर एवं उन्नाव।
[5] बुलन्दशहर, गाजियाबाद, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर एवं सुल्तानपुर।

तथापि, लेखापरीक्षा में हमने पाया कि राज्य में एक्ट के पांच वर्ष के संचालन के बाद भी आवश्यक मैनुअल/रिसोर्स अभिलेख तैयार नहीं किये गये थे (2011 तक)। राज्य में योजना समय–समय पर जारी शासनादेशों के माध्यम से क्रियान्वित होती रही। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायतें शासनादेशों के सीमित परिचालन के कारण उनसे अनभिज्ञ रहीं। विलम्बतः, 2011 में, ग्रामीण विकास विभाग ने रोजगार पुस्तिका प्रकाशित की जिसमें योजना के विभिन्न पहलुओं, जैसे कार्यो को लेना, बेरोजगारी भत्तों का भुगतान इत्यादि समाविष्ट थे। अपेक्षित मैनुअल/रिसोर्स अभिलेख तैयार न होने के परिणामस्वरूप, शेल्फ आफ प्रोजेक्टस तैयार नहीं किये गये और वार्षिक योजना इत्यादि के अनुमोदन में देरी हुयी।

जिला योजना पर आधारित श्रम बजट, जिला पंचायत से समुचित रूप से अनुमोदित होने के बाद एमओआरडी, भारत सरकार का प्रत्येक वर्ष 31 जनवरी को अग्रसारित किया जाना था। इसका उददेश्य केन्द्रांश का यथासमय अवमुक्त करना था। तथापि लेखापरीक्षा के दौरान हमने पाया कि श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब हुआ। विलम्ब 23 दिनों (2010–11) से 74 दिनों (2011–12) के बीच था जो कि मुख्यतः वर्ष 2008–12 की अवधि में वार्षिक योजना की तैयारी/अनुमोदन में देरी के कारण था, जैसा कि नीचे सारणी में दिया गया है जो अपर्याप्त नियोजन की ओर इंगित करता है।

सारणी 3.1: श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब का विवरण

वर्ष	भारत सरकार को श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि	भारत सरकार को श्रम बजट के प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि	प्रस्तुतीकरण में विलम्ब
2008–09	31 जनवरी, 2008	15 मार्च, 2008	44 दिन
2009–10	31 जनवरी, 2009	17 मार्च, 2009	46 दिन
2010–11	31 जनवरी, 2010	23 फरवरी, 2010	23 दिन
2011–12	31 जनवरी, 2011	15 अप्रैल, 2011	74 दिन

(स्रोतः मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना)

भारत सरकार को श्रम बजट के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के परिणामस्वरूप केन्द्रांश न केवल 5 से 25 भागों में जारी हुआ अपितु समानुपातिक राज्यांश भी दो से दस भागों में जारी हुआ।

इस प्रकार, वार्षिक योजनाओं/जिला योजनाओं को तैयार करने के लिये अपर्याप्त नियोजन के कारण, 2008–12 की अवधि में निर्धारित तिथि तक अपेक्षित श्रम बजट प्रस्तुत नही किये गये जिसके कारण उसी अवधि के दौरान केन्द्रांशों एवं राज्यांशों की अवमुक्ति में विलम्ब हुआ।

राज्य सरकार द्वारा (जनवरी 2013 में) बताया गया कि आम जनता के प्रयोग हेतु समय–समय पर विभिन्न शासकीय आदेश वेबसाइट पर पहले ही डाल दिये गये हैं। राज्य सरकार ने यह भी कहा (जनवरी 2013) कि योजना के विलम्ब से प्रस्तुतीकरण के कारण भारत सरकार द्वारा श्रम बजट के अनुमोदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना के क्रियान्वयन में मैनुअल/रिसोर्स अभिलेखों की कमी थी जो कि पंचायती राज संस्थाओं को दक्षतापूर्वक एवं प्रभावी रूप से योजना

बनाने में कुशल बनाते हैं और श्रम बजट की उपर्युक्त सारणी विलम्ब की अन्यथा स्थिति प्रदर्शित कर रही थी।

3.4 निष्कर्ष

एक्ट में जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायत से राज्य स्तर तक नियोजन प्रक्रिया को प्राथमिकता दिया जाना स्पष्ट रूप से परिभाषित है। योजना के क्रियान्वयन में विस्तृत नियोजन प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी थी। निधि के लिये मांग भारत सरकार को अत्यधिक विलम्ब से अग्रसारित की गयी थी जो कि केन्द्रांश एवं राज्यांश को जारी करने में विलम्ब का कारण बनी। इसके अतिरिक्त, जिला, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर समेकित नियोजन शिथिल था। पुनः, ग्राम सभा की संवेदी एवं सहभागी बैठकों का आयोजन भी नहीं किया गया था।

3.5 संस्तुतियाँ

- जिले में स्थायी विकास सुनिश्चित करने के लिये सभी जिलों द्वारा जिला पर्सपेक्टिव योजना को तैयार किया जाना एवं वार्षिक योजना बनाते समय इस पर विचार किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- नियोजन गतिविधियाँ प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को प्रारम्भ की जानी चाहिए एवं 30 नवम्बर तक पूरी कर लेनी चाहिए जिससे श्रम बजट तैयार करते समय डीपीसी के पास योजना की उपलब्धता एवं भारत सरकार को श्रम बजट का समय से प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

अध्याय

4 वित्तीय प्रबन्धन

योजना, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य लागत साझेदारी (90:10) के आधार पर वित्त पोषित है। रोजगार गारण्टी निधि को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर बनाया जाना था। मनरेगा में अधिसूचित होने के बाद जिले को अवमुक्त प्रथम किश्त मूल धनराशि थी। उत्तरवर्ती अवमुक्तियॉं कार्यदायी संस्थाओं द्वारा एकीकृत मॉग एंव उपलब्ध धनराशि के 60 प्रतिशत के व्यय के उपभोग प्रमाण पत्र के प्रस्तुतीकरण आदि पर आधारित थी। किसी वर्ष के व्यय न किये गये अवशेष का समायेाजन अगले वर्ष में उतना ही कम अवमुक्त कर किया जाता था।

अग्रेतर, जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में अगले वित्तीय वर्ष के लिए श्रम बजट बनाना था जिसमें जिले में अकुशल शारीरिक कार्यों के लिए प्रत्याशित मॉग का विवरण तथा योजना में आच्छादित कार्यों के लिए मजदूरों को लगाने की योजना शामिल करना था। भारत सरकार को निधियों की स्वीकृति के पूर्व, इन श्रम बजटों में दर्शाये गये अनुमानों की जॉच करनी थी।

4.1 वित्त पोषण पैटर्न

योजना के लिए वित्त पोषण नीचे सारणीबद्ध है:

तालिका 4.1: भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच वित्त पोषण का पैटर्न

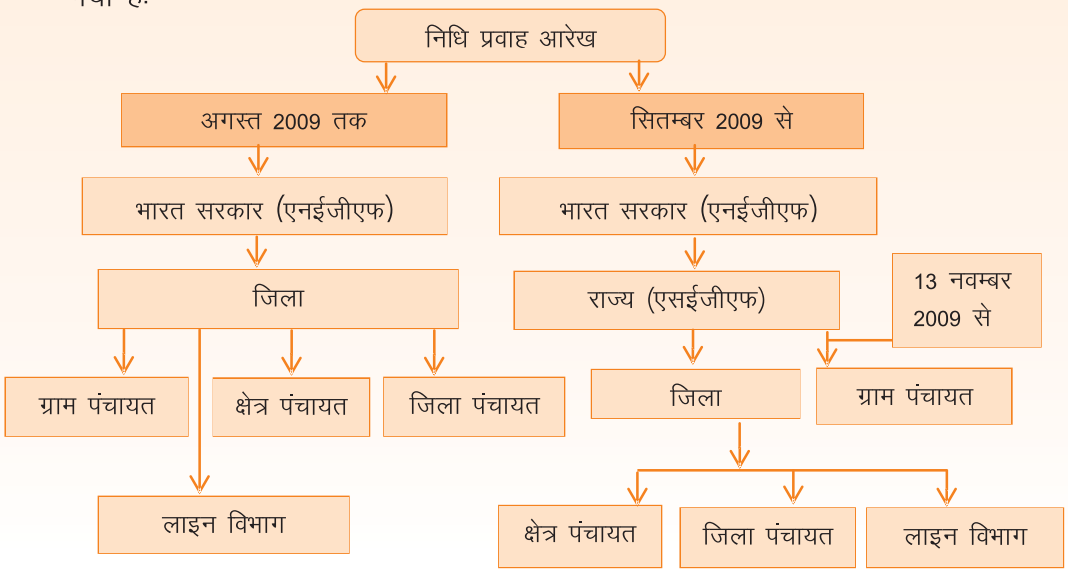
भारत सरकार	राज्य सरकार
अकुशल श्रमिकों की मजदूरी की सम्पूर्ण लागत	–
कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत	कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों की मजदूरी तथा सामग्री की लागत का 25 प्रतिशत
केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया प्रशासनिक व्यय	प्रार्थनापत्र दिये जाने के 15 दिन के अन्दर सरकार द्वारा रोजगार प्रदान न कराने के प्रकरण में देय बेरोजगारी भत्ता
केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद के प्रशासनिक व्यय	राज्य रोजगार गारण्टी परिषद के प्रशासनिक व्यय

4.2 रोजगार गारण्टी निधि

भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि की स्थापना की है। राज्य सरकार श्रम बजट के सापेक्ष इस निधि से अनुदान प्राप्त करती है जोकि कार्यदायी संस्थाओं की एकीकृत मॉग की प्रस्तुति के बाद मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा प्रसंस्कृत तथा एमओआरडी द्वारा स्वीकृत होता है। अगस्त 2009 तक भारत सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी निधि से सीधे कार्यदायी संस्थाओं[1] को निधि अवमुक्त किया था। सितम्बर 2009 से राज्य

[1] **ग्राम पंचायतः** ग्राम सभाओं के अनुमोदन के अनुसार ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रों में परियोजना के पहचान करने, रोजगार नियत करने तथा कम से कम 50 प्रतिशत कार्यों का कार्यान्वयन तथा इनके अतिरिक्त इन कार्यों के पर्यवेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है। ग्राम स्तर पर परिवारों का पंजीकरण करने, जॉब कार्ड निर्गत करने तथा समयबद्ध रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी कार्य भी सम्मिलित है। **क्षेत्र पंचायतः** क्षेत्र पंचायत भी उन कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है जिनका कार्यान्वयन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं किया गया है। **जिला पंचायतः** जिला पंचायत जिला योजना को अनुमोदित करती है तथा दो या अधिक क्षेत्र पंचायत के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों का कार्यान्वयन भी करती है। **अन्य कार्यदायी संस्थाएँः** लाइन विभाग, केन्द्र एवं राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम, केन्द्र एवं राज्य सरकार के अंशदायी सदस्यों सहित कोआपरेटिव सोसायटी, प्रतिष्ठित गैर सरकारी संस्थाएँ तथा स्वयं सहायता समूह भी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था थे।

रोजगार गारण्टी निधि की स्थापना के बाद से भारत सरकार ने धनराशि को आगे कार्यदायी संस्थाओं तथा लाइन विभागों को अवमुक्त करने के लिए राज्य रोजगार गारण्टी निधि को अवमुक्त किया। निधि प्रवाह का योजनावार सरल आरेख नीचे दिया गया है:–



लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.3 समग्र वित्तीय स्थिति

योजना के अन्तर्गत, 2007–12 की अवधि में कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 22567.89 करोड़ के सापेक्ष इसी अवधि में ₹ 22174.35 करोड़ व्यय किया गया। 2007–12 की अवधि में वर्षवार अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि तथा व्यय की समस्त स्थिति नीचे तालिका में संक्षेपित की गयी है।

तालिका 4.2 अनुमोदित श्रम बजट के सापेक्ष अवमुक्तियां तथा व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुमोदित श्रम बजट	अवमुक्त[2] निधि		कुल अवमुक्तियां	व्यय	व्यय के सापेक्ष अधिक (+)/कम (–) अवमुक्त
		भारत सरकार	राज्य			
2007-08	2,500.00	1,648.31	200.00	1,848.31	1,898.25	(-) 49.94
2008-09	4,686.40	3,944.50	300.00	4244.50	3,576.06	(+) 668.44
2009-10	7,380.10	5,318.88	550.00	5868.88	5,906.04	(-) 37.16
2010-11	8,779.00	5,266.58	499.90	5766.48	5,627.85	(+) 138.63
2011-12	8,787.24	4,355.75	483.97	4839.72	5,166.15	(-) 326.43
Total	**32,132.74**	**20,534.02**	**2,033.87**	**22,567.89**	**22,174.35**	**(+) 393.54**

(**स्रोतः** मनरेगा प्रकोष्ठ, लखनऊ)

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा साझा दायित्व (कुल अवमुक्त का 10 प्रतिशत) की तुलना में अवमुक्त धनराशि ₹ 222.42 करोड़ कम थी। अग्रेतर, लेखापरीक्षा अवधि (2007–12) में उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना समिति द्वारा समेकित वार्षिक लेखों के न बनाये जाने के कारण लेखापरीक्षा में प्रत्येक वित्तीय

[2] राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर संशोधित।

वर्ष के अन्त में व्यय न की गयी अवशेष धनराशि[3] का निर्धारण नहीं किया जा सका। वर्ष 2009–10 में, समिति की स्थापना के बाद, मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा, 2007–12 के वार्षिक लेखों को बनाया गया परन्तु लेखे भारत सरकार की अवमुक्तियों[4] को सही तरीके से समाहित नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त प्रकोष्ठ ने दोनों स्रोतों यथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की प्राप्तियों एवं व्यय के अलग–अलग अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया था।

इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा कम धनराशि अवमुक्त किये जाने के कारण एक्ट में प्रावधानित साझा (शेयरिंग) का पालन नहीं किया जा सका। अग्रेतर, लेखा अभिलेखों का रख–रखाव न किया जाना, साथ ही, भारत सरकार तथा राज्य सरकार के बीच साझा दायित्व के अभिलेखों की कमी, वित्तीय अनुशासन के विपरीत थी और इस कारण केन्द्रीय निधि के दुरूपयोग किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार[5] एवं राज्य सरकार[6] के साझा/दायित्वों के सन्दर्भ में व्यय के लेखों पर कठोर नियन्त्रण करना अनिवार्य था जिससे कि शेयर धारक उपलब्ध कराये गये रोजगार के व्यय को एक्ट द्वारा विहित प्रावधान के अनुसार वहन कर सकें।

4.4 राज्य रोजगार गारण्टी निधि बैंक खाते

योजना को राज्य के सभी जिलों में फरवरी 2006 से अप्रैल 2008 **(परिशिष्ट–IV)** के बीच तीन चरणों में लागू किया गया था। तद्नुसार इन जिलों में निधि की जमा/निकासी के लिए समय–समय पर बैंक खातों को खोला गया था। सितम्बर 2009 तक, भारत सरकार इन खातों में सीधे निधि को अवमुक्त करती थी। ऐसा इस कारण से था कि आवश्यक कानूनी प्राधिकार समिति का गठन, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत नहीं किया गया था तथा भारत सरकार के अनुस्मारक (नवम्बर 2008) के बावजूद एक्ट की धारा 21 (1) के क्रम में एसईजीएफ को स्थापित नहीं किया गया था। जून 2009 में, राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना समिति गठित की तथा मौजूदा बैंक खाते को राज्य निधि खाता के नाम से संसूचित किया। तथापि, विनियामक मुद्दे की उपेक्षा करते हुये राज्य सरकार ने इसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि मनरेगा योजना के बैंक खातों को खोलने तथा संचालन हेतु अधिसूचित योजना में दी गयी व्यवस्था के संदर्भ में एसईजीएफ बैंक खाता खोलने हेतु अलग से अधिसूचना किये जाने की आवश्यकता नहीं थी तथा शासनादेश (अगस्त 2009) में भी था कि बैंक खाता संख्या–30125947162 जो कि समिति के लिए खोला गया था, का मनरेगा खाते के लिए प्रयोग किया जायेगा। उत्तर मान्य नहीं था

[3] वास्तविक अव्ययित अवशेष धनराशि जो एक वर्ष में निधि की कुल उपलब्धता का हिस्सा हो गया उसे लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

[4]

(₹ करोड़ में)

वर्ष	भारत सरकार की ग्रान्ट	उ.प्र.सरकार की ग्रान्ट	कुल
2007–08	0.20	200.00	200.20
2008–09	67.88	300.00	367.88
2009–10	3,083.85	550.00	3,633.85
2010–11	5,266.59	499.90	5,766.49

[5] इसमें अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी का 100 प्रतिशत, कुशल व अर्ध कुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी और सामग्री की लागत का 75 प्रतिशत, कार्यदायी संस्थाओं का प्रशासनिक व्यय तथा केन्द्रीय रोजगार गारन्टी परिषद का प्रशासनिक व्यय शामिल है।

[6] इसमें कुशल तथा अर्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी और सामग्री की कीमत का 25 प्रतिशत, बेरोजगारी भत्ता तथा राज्य रोजगार गारन्टी परिषद का प्रशासनिक व्यय शामिल है।

क्योंकि एक्ट की धारा 4(1) के अन्तर्गत योजना को अधिसूचित (फरवरी 2007) किया जाना था तथा जून 2009 में समिति के गठन के बाद, एक्ट की धारा 21 (1) के अन्तर्गत एसईजीएफ खाते को खोलने के लिए अलग से अधिसूचना की आवश्यकता थी।

4.5 वित्तीय अनियमितायें

लेखापरीक्षा में पाया गया कि समीक्षा अवधि में, नमूना जॉच किये गये 18 जनपदों में भारत सरकार तथा राज्य सरकार ने ₹ 6,348.23 करोड़[7] अवमुक्त किये। तथापि, 2007–12 की अवधि में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 7,680.82 करोड़ के सापेक्ष इसी अवधि में ₹ 6,438.28 करोड़[8] व्यय किया गया। निधि के उपयोग में पायी गयी वित्तीय अनियमितायें निम्न प्रस्तरों में वर्णित हैं।

4.5.1 वित्तीय प्रबंधन प्रणाली

राज्य सरकार को संचालन दिशा–निर्देशों–2008 के क्रम में निधि के वितरण एवं उपयोग में पारदर्शिता, प्रभावकारिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित किये जाने तथा निधि के अन्तिम उपयोग पर निगाह रखने हेतु वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (एफएमएस) बनाना आवश्यक था। एफएमएस, बजट प्रस्तावों के बनाने, निधियों के लिये मांग करने, बैंकिंग की व्यवस्था करने, कार्यदायी संस्थाओं को निधियों का वितरण, व्यय का लेखांकन, संस्वीकृतियों एवं अवमुक्ति की लेखापरीक्षा, अग्रिम भुगतान के सापेक्ष उपभोग प्रमाण पत्रों/देयकों/प्राधिकार पत्रों, प्रगति रिपोर्ट भेजने, बैलेन्स शीट आदि बनाने तथा अन्त में चूक के प्रकरणों में अधिकारियों/कर्मचारियों की जवाबदेही नियत करने में सहायक था। लेखापरीक्षा में निम्नलिखित मुद्दे संज्ञान में आये।

एसईजीएफ से जनपदों को निधि का हस्तांतरण

ग्राम पंचायतों को निधि का वितरण तीन दिनों के अन्दर सुनिश्चित करने के लिये, नवम्बर 2009 में, सरकार ने एसईजीएफ से सीधे ग्राम पंचायतों को निधि जारी करने का निर्णय लिया। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एफएमएस के अभिकल्प का कार्य पूर्ण नहीं था। विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं (ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा लाइन विभागों) को वितरित की जाने वाली धनराशि के लिये कोई मापदण्ड नियत नहीं किया गया था इस कारण निधि के वितरण में पूर्णरूपेण समरूपता या पद्धति नहीं थी। कुछ प्रकरणों में निधि को एक समान दर पर अवमुक्त किया गया तथा अन्य प्रकरणों में जिलों के कार्मिकों के द्वारा की गयी मांग के अनुसार अवमुक्त किया गया था।

[7] वर्ष 2007–12 की अवधि में क्रमशः ₹ 576.07 करोड़, ₹ 1208.44 करोड़, ₹ 1664.93 करोड़, ₹ 1585.91 करोड़ तथा ₹ 1312.88 करोड़।

[8] वर्ष 2007–12 की अवधि में क्रमशः ₹ 597.01 करोड़ तथा ₹ 1162.12 करोड़, ₹ 1723.02 करोड़, ₹ 1526.72 करोड़ तथा ₹ 1429.41 करोड़।

प्रकरण का अध्ययन

नमूना जांच में परसेन्डी ब्लाक (जिला सीतापुर) को निधि वितरण करने में विलम्ब पाया गया जैसा कि नीचे वर्णित है:

- 2007–08 में ग्राम पंचायतों को एक मुश्त आधार पर धनराशि किश्तों में अवमुक्त की गयी। ब्लाक ने 4 मार्च 2008 को ₹ 1.49 करोड़ की मांग की परन्तु जिले ने 18 मार्च 2008 को केवल ₹ 49.25 लाख ही अवमुक्त किये।
- 2008–09 में, ब्लाक द्वारा, 29 मार्च 2008 को मांगे गये ₹ 1.49 करोड़ के सापेक्ष जिले ने 17 अप्रैल 2008 को ₹ 25 लाख ही अवमुक्त किये।
- 2009–10 में, 26 मार्च 2009 को, ब्लाक द्वारा की गयी मांग को जिले ने 21 मई 2009 को दो माह बाद पूरा किया।
- 2010–11 में, 3 अक्टूबर 2011 को ग्राम पंचायत अहमदपुर कांजा ने चार लाख रूपये की मांग की और इसे मनरेगा प्रकोष्ठ ने 9 जनवरी 2012 को बजट वेबसाइट पर अंतिम रूप दिया। धनराशि इलाहाबाद बैंक की शाखा कसरैला के ग्राम पंचायत के खाते में 30 जनवरी 2012 को प्राप्त हुयी। इस प्रकार धनराशि के वितरण की प्रक्रिया में लगभग चार माह का समय लगा।
- 2011–12 में, ग्राम पंचायत खदनिया ने 3 दिसम्बर 2011 को चार लाख की मांग की तथा इसे मनरेगा प्रकोष्ठ ने 17 मार्च 2012 को वेबसाइट पर अन्तिम रूप दिया लेकिन ग्राम पंचायत के खाते में धनराशि 31 मार्च 2012 तक जमा नहीं हुयी थी।

इस प्रकार धनराशि के वितरण में न केवल देरी हुई बल्कि वितरित धनराशि अपर्याप्त भी थी क्योंकि धनराशि की अवमुक्ति तद्र्थ आधार पर थी और किसी मापदण्ड पर आधारित नहीं थी।

निधि के हस्तांतरण के लिये परिहार्य आवर्ती व्यय

एमओआरडी ने श्रम बजट से संबंधित आंकड़ों, व्यय आदि को अपलोड करने के लिये इण्टरनेट आधारित एमआईएस साफ्टवेयर को विकसित किया जो कि मनरेग्स के कियान्वयन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इण्टरनेट आधारित एमआईएस की उपलब्धता के बावजूद, मनरेग्स प्रकोष्ठ ने निधि के वितरण के लिये स्वयं का वेब आधारित साफ्टवेयर[9] 'बजट तथा फण्ड फ्रेमवर्क' वार्षिक आवर्ती लागत ₹ 2.13 करोड़[10] में विकसित (2011–12) किया। इण्टरनेट आधारित एमआईएस साफ्टवेयर (नरेगा साफ्ट) में 'बजट तथा फण्ड फ्रेमवर्क' के एक अपवाद–'ग्राम पंचायतों के बैंक खातों की विस्तृत सूचना' के अलावा सारी कार्यक्षमतायें थी। यह अतिरिक्त सूचना एमओआरडी द्वारा विकसित एमआईएस साफ्टवेयर में शामिल की जा सकती थी तथा वार्षिक आवर्ती व्यय ₹ 2.13 करोड़ पूर्ण रूप से परिहार्य था।

[9]उ.प्र. डेवलपमेन्ट सिस्टम कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से, जो उ.प्र. सरकार का उपक्रम है।

[10]₹ 1,800.00 प्रति नामित यूजर प्रतिमाह की दर से प्रति वर्ष पॉच प्रतिशत वृद्धि के साथ। तद्नुसार वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 2.13 करोड़ जो 10.30 प्रतिशत सेवाकर को शामिल करते हुए ब्लाक स्तर के 820 यूजर तथा जिले स्तर के 72 यूजर (1800 x12x892) के लिए था तथा वर्ष 2012–13 के लिए ₹ 2.23 करोड़ यूपीडीईएससीओ का भुगतान किया गया।

निधि के अवमुक्ति में पायी गयी विसंगतियाँ

बीएफएफ साफ्टवयेर में संरक्षित आंकड़ों के डाटा विश्लेषण में साफ्टवेयर के साथ ही साथ प्रक्रिया में निम्नलिखित कमियाँ परिलक्षित हुयीं:

- जैसा कि नियम में आवश्यक था, 1990 ग्राम पंचायतों को उपभोग प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ही अगली किश्त अवमुक्त कर दी गयी।
- 82696 रिकार्ड में से 85 रिकार्ड में निधि की मांग शून्य पायी गयी तथापि निधि की मांग की संख्या तथा अनुरोध की तिथि अंकित थी।
- 51 जनपदों ने अपने वास्तविक व्यय से अधिक उपभोग प्रमाण पत्र (₹ 2560.63 करोड़) प्रस्तुत किया। इसको मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।
- 42139 सीबीएस खातों में, 130 खाते डुप्लीकेट पाये गये।
- 2011–12 की अवधि में 29,401 ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि (₹ 2,284 करोड़) उनकी मांग (₹ 1,322.24 करोड़) से अधिक थी। इसी प्रकार 4,834 ग्राम पंचायतों को अवमुक्त धनराशि (₹ 409.22 करोड़) उनके श्रम बजट से (₹ 335.13 करोड़) अधिक थी।
- 12,006 ग्राम पंचायतों द्वारा सामग्री घटक पर व्यय, निर्धारित 40 प्रतिशत से अधिक था। आगरा जनपद के 79 ग्राम पंचायतों ने केवल सामग्री पर व्यय (₹ 1.38 करोड़) किया तथा मजदूरी पर व्यय शून्य था।
- यद्यपि 1,312 ग्राम पचांयतों के प्रारम्भिक अवशेष, (₹ 106.69 करोड़) उनके श्रम बजट (₹ 79.47 करोड़) से अधिक थे तथापि इनमें से 734 ग्राम पंचायतों को अतिरिक्त धनराशि (₹ 21.75 करोड़) अवमुक्त की गयी।
- ग्राम पंचायतों को राज्य से सीधे निधि के वितरण किये जाने की नीति के क्रियान्वयन के बाद संबंधित डीपीसी ने भी 5,475 ग्राम पंचायतों को धनराशि (₹ 99.53 करोड़) अवमुक्त किया।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि उपभोग प्रमाण पत्र की प्रत्याशा में धनराशि को अवमुक्त किया गया तथा ग्राम पंचायतों की मांग की पूर्ति के लिये श्रम बजट से अधिक धनराशि अवमुक्त की गयी। तथापि, शासन ने ग्राम पंचायातों की मांग के बिना, धनराशि अवमुक्त किये जाने का उत्तर नहीं दिया।

उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि निधि के अधिक/बिना मांग के अवमुक्त किये जाने के असंगत निर्णय, निधि के वितरण की योजना में कमी को प्रदर्शित करता था।

4.5.2 रिवाल्विंग फण्ड

एक्ट की धारा 21 के अन्तर्गत एसईजीएफ खातों में पड़ी हुयी धनराशि का व्यय तथा वितरण राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा किया जाना था। तथापि, संचालन दिशा निर्देशों–2008 के अनुसार, एसईजीएफ लेखों को रिवाल्विंग फण्ड की तरह संचालित किया जाना था। इसी प्रकार, जनपद, ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर के खातों को भी रिवाल्विंग फण्ड की तरह संचालित किया जाना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सितम्बर 2009 के पहले, भारत सरकार से धनराशि सीधे जनपद में खोले गये मनरेगा खातों में जमा की जाती थी। अगस्त 2009 में, राज्य सरकार ने ब्लाक स्तर पर मनरेगा खातों को रिवाल्विंग फण्ड की तरह संचालन/रख–रखाव के लिए आदेश निर्गत किये। तथापि, संचालन एवं रख–रखाव हेतु नियम नहीं बनाये गये। तदनुसार, ब्लाकों को निधि[11] अवमुक्त की जाती थी। नवम्बर 2009 के बाद, जब एसईजीएफ से सीधे ग्राम पंचायतों को धनराशि वितरित करने का निर्णय लिया गया, रिवाल्विंग फण्ड का रखरखाव बंद हो गया जिससे संचालन दिशा–निर्देशों–2008 के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि रिवाल्विंग फण्ड, निधि की आकस्मिक आवश्यकता प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक थी परन्तु एसईजीएफ से सीधे ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण के प्रारम्भ होने के बाद रिवाल्विंग फण्ड की आवश्यकता नहीं थी।

उत्तर संचालन दिशा निर्देशों–2008 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिसमें खातों को रिवाल्विंग फण्ड की तरह संचालित किया जाना था, औचित्यपूर्ण नहीं था।

4.5.3 श्रम बजट

एक्ट की धारा 14(6) के अनुसार डीपीसी को अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष दिसम्बर माह में श्रम बजट बनाना था जो कि मजदूरी की मांग के आकलन, इसे प्राप्त करने के लिए कार्यों का चिन्हीकरण तथा कार्यों एवं मजदूरी की प्राक्कलित लागत पर आधारित होना था। ग्राम पंचायतों की विकास योजनायें इसके लिए आधार थी।

तथापि, श्रम बजट विकास योजनाओं के अनुरूप वास्तविक प्राक्कलनों पर आधारित नहीं थे क्योंकि डीपीसी के पास विकास योजनायें उपलब्ध नहीं थी। परिणामस्वरूप, 2011–12 के सीडी मीडिया में उपलब्ध कराये गये 72 जनपदों के आंकडों के विश्लेषण से लेखापरीक्षा में मासिक श्रम बजट तथा वास्तविक व्यय में भिन्नता पायी गयी। इन आंकड़ों की जॉच में निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित हुये:

- 59 जनपदों के लिए अनुमानित मानव दिवसों के सृजन (2011–12) को भारत सरकार ने श्रम बजट स्वीकृत करते समय कम (10 प्रतिशत) कर दिया था। 2011–12 में अनुमानित 46793 करोड़ मानव दिवसों के सापेक्ष, भारत सरकार ने 42000 करोड़ मानव दिवसों की स्वीकृति दी। मनरेग्स प्रकोष्ठ ने, इसके सापेक्ष, मानव दिवसों को जनपदों में एक से लेकर 35 प्रतिशत तक कम कर दिया।
- भारत सरकार द्वारा एक तरफ स्वीकृत अनुमानित मानव दिवसों को घटाया गया जबकि दूसरी तरफ 26 जनपदों के श्रम बजट को उनके अनुमानित श्रम बजट से अधिक (₹ 124 करोड़) स्वीकृत किया गया।
- आठ जनपदों में, अनुमानित मानव दिवसों में, 8.38 लाख मानव दिवस की वृद्धि के साथ श्रम बजट में ₹ 49.59 करोड़ की वृद्धि भी की गयी।

इस प्रकार जनपदों द्वारा अनुमानित मानव दिवसों, उनके स्वीकृत श्रम बजट एवं भारत सरकार द्वारा स्वीकृत मानव दिवसों में कोई पारस्पकि सम्बन्ध नहीं था। राज्य स्तर पर ग्राम पंचायतों के श्रम बजट में कमी/बढ़ोत्तरी में कोई अनुपात नहीं था।

[11] ₹ 20 करोड़ से अधिक श्रम बजट वाले ब्लाक को ₹ 50 लाख तथा ₹ 20 करोड़ से कम श्रम बजट वाले ब्लाक को ₹ 25 लाख।

4.6 प्रशासनिक व्यय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार ने राज्य के विभिन्न स्तरों के कार्मिकों द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक व्यय को निर्धारित (मई 2010) किया था। मनरेगा प्रकोष्ठ ने धनराशि को पहले जनपदों को वितरित किया और इसके बाद अपने आकस्मिक व्यय को पूरा करने के लिए बैंक ड्राफ्ट से धनराशि वापस प्राप्त की।

जैसा कि निर्धारित था, जनपदों को ₹ 0.75 प्रति सृजित मानव दिवस की दर से धनराशि मनरेग्स प्रकोष्ठ को वापस भेजनी थी। पुनः लेखापरीक्षा ने देखा कि, जनपदों से मनरेग्स प्रकोष्ठ ने एक करोड़ रूपये (2010–11) से छः करोड़ रूपये (2011–12) की धनराशि प्राप्त (स्वीकार्य से अधिक) की। इसके परिणामस्वरूप, वर्ष के अन्त में बैंक खातों में ₹ 20.79 करोड़[12] शेष था। बैंक में भारी मात्रा में धनराशि के अवशेष रहने से, निधि के अवरूद्ध होने के साथ ही साथ उसके दुरूपयोग का खतरा भी रहता है जो कि आन्तरिक नियंत्रण में शिथिलता का द्योतक है।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार निधि एकत्रित की गयी थी। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि एकत्रित निधि स्वीकार्यता से अधिक थी।

4.7 उच्च दर पर एनजीओ/सीएसओ का अनाधिकृत रूप से लगाया जाना

संचालन दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 5.2.5 के अनुसार, एक्ट के अंतर्गत स्वेच्छा से पंजीकरण कराने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिए डोर–टू–डोर सर्वे किया जाना था। ग्राम पंचायतों में सर्वे, ग्राम प्रधान के नेतृत्व में एक टीम द्वारा किया जाना था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि राज्य सरकार ने 2010–11 की अवधि में लभार्थियों का पंजीकरण, ₹ 3.56 करोड़ की लागत से प्रारम्भ की गयी एक परियोजना ''10 लाख वंचित परिवार–100 दिन का रोजगार'' के माध्यम से राज्य के 26 जनपदों में कराये जाने का निर्णय (अगस्त 2010) लिया। इस परियोजना का उद्देश्य, गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) तथा सिविल सोसाइटी संगठन के माध्यम से अनुबंध के आधार पर लाभार्थी पंजीकरण हेतु सर्वेक्षण किया जाना था तद्नुसार, मेसर्स एनआर–इंटरनेशनल–एनआरएमसी प्रोएक्ट कन्सोर्टियम, नई दिल्ली, एक एनजीओ को नोडल एजेन्सी के रूप में और 22 सीएसओ को सम्बद्ध किया गया। लेखापरीक्षा ने अग्रेतर पाया कि भारत सरकार ने राज्य सरकार को इसे निरस्त करने के लिए सुझाव (सितम्बर 2010) दिये। परन्तु इसको निरस्त करने के स्थान पर, राज्य सरकार ने परियोजना को 31 जनपदों तक बढ़ा (नवम्बर 2010) दिया तथा योजना पर आने वाले व्यय को आईसी से करने का निर्णय लिया। भारत सरकार ने इसको निरस्त करने का सुझाव नवम्बर 2010 में पुनः दिया। तथापि, राज्य सरकार ने इसे जारी रखा तथा एनजीओ/सीएसओ को ₹ 1.44

[12]

वर्ष	कार्य दिवस (लाख में)	कुल व्यय	राज्य स्तर पर देय प्रशासनिक निधि	उपलब्ध आकारिमक निधि	अतिरिक्त निधि (राज्य स्तर पर उपलब्ध)	व्यय	अवशेष निधि
(₹ लाख में)							
2010–11	3348.50	562784.83	2511.38	2669.61	158.23	589.78	2079.83
2011–12	2759.81	516615.00	2069.86	2756.85	686.99	712.74	2044.11

करोड़ का भुगतान किया। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य समन्वय की कमी को प्रदर्शित करता है।

उत्तर में कहा गया कि राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार एनजीओ को लगाया गया था। इस प्रकार भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के विपरीत सरकार ने पंजीकरण अभियान जारी रखा।

4.8 मानदेय का अग्राह्य भुगतान

एमओआरडी के स्पष्टीकरण (मार्च 2007) के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को मानदेय अग्राह्य था। लेखापरीक्षा ने पाया कि मनरेगा प्रकोष्ठ ने ₹ 8.17 लाख के मानदेय का भुगतान (2010–12) मनरेगा प्रकोष्ठ में कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को किया तथा व्यय को अनियमित रूप से प्रशासनिक व्यय से पूरा किया गया।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि मानदेय का भुगतान भारत सरकार की अन्य प्रायोजित योजनाओं की तरह किया गया। उत्तर एमओआरडी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण के परिप्रेक्ष्य में स्वीकार्य नहीं था।

4.9 बकाया वसूलियाँ

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 10.4 के अनुसार, एक्ट के द्वारा प्रदत्त हकदारी, कानूनी तौर पर न्यायोचित है। अन्य कारणों के साथ ही साथ इस कारण भी अभिलेखों, विशेष रूप से वित्तीय लेनदेन के अभिलेखों का रखरखाव महत्वपूर्ण है। किसी अनियमितता के प्रकरण में समय पर वसूली एवं हानि को बचाने के उद्देश्य से समय पर समुचित कार्यवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।

तथापि, मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा लेखापरीक्षा को प्रदत्त की गयी सूचनाओं के अनुसार, 2010–12 की अवधि में ₹ 3.31 करोड़ की 198 वित्तीय अनियमितताएँ थी। जिनमें, मार्च 2012 के अंत में ₹ 2.60 करोड़ की वसूली बाकी थी। शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वसूली प्रक्रियाधीन है। वसूली की निगरानी लेखापरीक्षा में किया जाना आवश्यक है।

4.10 भुगतान एवं लेखा अभिलेखों का नियंत्रण एवं अनुश्रवण

लेखे में महत्वपूर्ण कमियाँ

वर्ष 2007–12 की अवधि में योजना के समेकित वार्षिक लेखे नहीं बनाये गये थे। जनपद स्तर पर बनाये गये वार्षिक लेखे, जो कि वित्तीय अनुश्रवण तथा नियन्त्रण के लिये मूल आंकड़े प्रस्तुत करते हैं, अनियमिततओं से भरी थी, जैसे लेखों के प्रारूप निर्धारित न किया जाना, लेखों को आम सभा द्वारा अपनाया न जाना, वार्षिक लेखों का न बनाया जाना, लेखों में सम्पूर्ण आंकड़ों को शामिल न किया जाना, प्राप्त अनुदान को वितरण के आधार पर व्यय मान लेना, मासिक स्क्वायरिंग लेखों का न बनाया जाना एवं बन्द योजनाओं की निधि का अन्तरण न किया जाना आदि। ये अनियमिततायें लेखों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती हैं। अनियमितताओं का संक्षिप्त वर्णन संलग्न है **(परिशिष्ट–V)**।

बैंकों के माध्यम से निधि का संचालन

कार्यदायी संस्थाओं को निधि के समय से वितरण को सुनिश्चित किये जाने के उददेश्य से भारत सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम का वित्त पोषण बैंकों के माध्यम से किया जाना स्वीकार किया। इसके बावजूद लेखा परीक्षा में पाया गया कि:

- प्राधिकार एवं भुगतान/चेक निर्गत करने का प्राधिकार एक ही अधिकारी के पास था जैसे राज्य स्तर पर आयुक्त, ग्रामीण रोजगार गांरटी स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी थे तथा मुख्य लेखा अधिकारी के साथ चेक पर संयुक्त हस्ताक्षरी भी थे। जनपदों में सीडीओ, डीपीसी[13] के रूप में, बीडीओ परियोजना अधिकारी के रूप में, ग्राम पंचायतों में ग्राम प्रधान स्वीकृतिकर्ता तथा चेक आहरण अधिकारी थे, इस कारण आन्तरिक नियंत्रण कमजोर था।
- देयक संस्वीकृतियाँ उप–देयकों के साथ समर्थित नहीं थीं।
- बैंकों के साथ लेन–देनों का मासिक मिलान नहीं किया जा रहा था।
- कार्यदायी संस्थाओं को, उपभोग प्रमाण पत्र के मिलान तंत्र के बिना धनराशि अवमुक्त की गयी।
- एमपीआर तथा एमआईएस के आंकड़ों में अन्तरों का मिलान नहीं किया जा रहा था।
- बिना विशिष्ट पहचान संख्या के मस्टर रोल को ब्लाकों के स्थान पर डीआरडीए[14] द्वारा निर्गत किया गया था।
- समीक्षा में बताये गये नियंत्रण अभिलेखों को नहीं बनाया गया था।

कोषागार के मूल सुरक्षात्मक पहलुओं को सुनिश्चित किये बिना, बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण किये जाने के कारण लेखांकन पर नियंत्रण प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ।

उत्तर में राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि बैंक खातों को, जनपद, ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर संयुक्त रूप से दो अधिकारियों ने संचालित किया तथा लेखापरीक्षा में पायी गयी अन्य कमियों पर सुधारात्मक उपाय किया जा चुका है। उत्तर इंगित करता है कि चेक पर हस्ताक्षर करने वाले दो अधिकारियों में से एक स्वीकृतिकर्ता प्राधिकारी भी थे।

बैंकिंग व्यवस्था

योजना में राज्य, जनपद, ब्लाक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों के लिये अलग–अलग बैंक खाता खोला जाना था। मनरेगा खाते की निधि का उपयोग केवल मनरेगा कार्यों पर सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के प्राप्त होने के बाद ही किया जाना था। ग्राम पंचायतों के खातों से किया गया भुगतान अगली बैठक में ग्राम सभा को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाना था। बैंकों (या पोस्ट आफिस) के माध्यम से मनरेगा मजदूरी का भुगतान, भुगतान संस्थाओं तथा कार्यदायी संस्थाओं को

[13] 7 जनवरी–2009 से प्रभावी, जिलाधिकारी को डीपीसी तथा सीडीओ को एडीपीसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया।
[14] डीआरडीए बरेली ने वर्ष 2008–09 से 2010–11 (4/11) के रूहेल खण्ड नहर डिवीजन बरेली को यूआईडी नम्बर आबंटित किये बिना 1999 मस्टर रोल जारी किया।

पृथक करने के महत्वपूर्ण साधन थे। एक्ट के प्रावधानों को क्रमशः क्रियान्वित करने एवं कामगारों को जीवनयापन की सुरक्षा हेतु समयबद्ध भुगतान (साप्ताहिक और 15 दिन से अधिक नहीं) सुनिश्चित करना आवश्यक था।

पृथक बैंक खातों का न होना, ग्राम सभा को सूचित न किये गये भुगतानों, बैंक खाते न खोले जाने एवं मजदूरी के भुगतानों में विलम्ब से सम्बन्धित लेखापरीक्षा परिणाम संलग्न है **(परिशिष्ट–VI तथा VII)**।

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि न खोले गये बैंक खाते अब खोले जायेंगे, तथापि भुगतानो में विलम्ब के सम्बन्ध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

4.11 निष्कर्ष

समेकित वार्षिक लेखे नहीं तैयार किये गये थे। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अपर्याप्त थी तथा अलग–अलग समयों पर अलग–अलग मापदण्डों को अपनाया गया। एमओआरडी द्वारा विकसित इण्टरनेट आधारित एमआईएस की उपलब्धता के बावजूद विसंगत वेब आधारित बजट एवं फण्ड फ्रेमवर्क अभिकल्पित किया गया और उस पर ₹ 2.13 करोड़ का परिहार्य वार्षिक आवर्ती व्यय किया गया। श्रम बजट भी वास्तविकता से पूर्ण नहीं थे। श्रमिकों की पहचान के लिए डोर–टू–डोर सर्वे हेतु, उच्च मूल्य पर एनजीओ/सीएसओ अनधिकृत रूप से लगाये गये थे।

4.12 संस्तुतियाँ

- जनपदों/ग्राम पंचायतों को निधि के वितरण में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार को पूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो कि वितरण की जाने वाली धनराशि को मांग आधारित सुनिश्चित करने के लिए विनियमित एवं अनुश्रवित करें एवं क्रियान्वयन स्तर पर इसके त्वरित वितरण को सुनिश्चित करें।

- लेखों के प्रारूपों को निर्धारित किया जाना चाहिए तथा वार्षिक आधार पर समेकित लेखे बनाये जाने चाहिए जिन्हें समिति की आम सभा के सम्मुख उसे स्वीकार करने हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मासिक लेखों का समाशोधन भी अलग से तैयार किया जाना चाहिए।

- कामगारों को समय से भुगतान किया जाना चाहिए। जहां खाते नहीं खुले हैं वहां तत्काल अलग बैंक खाते खोले जाने चाहिए तथा समस्त भुगतानों को अनिवार्य रूप से ग्राम सभा को सूचित किया जाना चाहिए।

अध्याय 5

पंजीकरण एवं रोजगार सृजन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना सभी ग्रामीण परिवारों के लिये उपलब्ध है, एवं पंजीकृत परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का मजदूरी रोजगार दिये जाने की गारन्टी दी गयी है। इस योजना के अधीन रोजगार प्राप्त करने की पात्रता हेतु पंजीकरण के लिये सादे कागज पर आवेदन, जिसमें उन वयस्क सदस्यों के नाम जो अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, को अंकित करके स्थानीय ग्राम पंचायत में दिया जा सकता है या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मौखिक आवेदन भी किया जा सकता है। ग्राम पंचायतें ऐसे प्रत्येक पंजीकृत परिवार को आवेदन/प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर जॉब कार्ड निर्गत करेंगी।

लेखापरीक्षा द्वारा पंजीकरण एवं रोजगार सृजन में अनेक कमियाँ पायी गयी जिन्हें आगे के प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

5.1 पंजीकरण, जाबकार्ड का निर्गमन एवं रोजगार प्रदान करना

मजदूरों के पंजीकरण एवं जॉब कार्ड के निर्गमन में निम्नलिखित कमियाँ पायी गयी :

- 17 जिलों[1] की 420 नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में एक्ट के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये अवसरों को लाभार्थियों तक पहुँचाने के लिये पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों की पहचान के लिये डोर–टू–डोर सर्वे नहीं किया गया था।

- बुलन्दशहर एवं वाराणसी जनपद (हरहुआ ब्लाक) के 1,298[2] परिवारों को वर्ष 2008–12 की अवधि में उनके पंजीकरण के बाद भी जॉब कार्ड निर्गत नहीं किये गये, तद्द्वारा उन्हें गारंटी युक्त रोजगार के अवसर से वंचित रखा गया।

- आज़मगढ़, बलरामपुर, सुल्तानपुर जनपद की नमूना जांच की गयी 14 ग्राम पंचायतों[3] में जॉब कार्ड रजिस्टर पर 960 लाभार्थियों की फोटोग्राफ चिपकाई नहीं गई थी जो एक लाभार्थी के पंजीकरण के स्थान पर किसी अन्य लाभार्थी को रोजगार उपलब्ध कराने की सम्भावना छोड़ जाती है।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि व्यापक प्रचार एवं विशेष अभियान के बाद लाभार्थियों से प्राप्त आवेदन के आधार पर जॉब कार्ड तैयार किये गये थे। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि डोर–टू–डोर सर्वे के बाद बलरामपुर जिले में जॉब कार्ड पंजिका को तैयार किया गया था।

[1] इलाहाबाद, आज़मगढ़, बलरामपुर, बांदा, बुलन्दशहर, चित्रकूट, गाजियाबाद, गोण्डा, जालौन, कुशीनगर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी जिले।

[2] बुलंदशहर जिले में कुल 1,05,369 पंजीकृत परिवारों के सापेक्ष 51 जॉब कार्ड एवं हरहुआ ब्लाक में 12,062 पंजीकृत परिवारों के सापेक्ष 1,247 जॉब कार्ड।

[3] आज़मगढ़ जिले की ग्राम पंचायतों चौरासी (15 प्रकरण) एवं महाजी देवरा जाहीद (10 प्रकरण), बलरामपुर की ग्राम पंचायत मुजेहना (12 प्रकरण) एवं सुल्तानपुर जिले की ग्राम पंचायतों पतीपुर (221 प्रकरण), बेलासुदा (39 प्रकरण) अभिआजा कला (145 प्रकरण), अलीपुर (62 प्रकरण), कुचमुच (8 प्रकरण) केनोरा (114 प्रकरण), महेसुवा (83 प्रकरण), सराय अचल (186 प्रकरण), उछेहरा (42 प्रकरण) और गाजियाबाद जिले की आरिफपुर (17 प्रकरण) एवं फिरोजपुर (6 प्रकरण)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सर्वेक्षण के समर्थन में न तो लेखापरीक्षा के समय दस्तावेज प्रस्तुत किये गये और न ही उत्तर के साथ उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये उत्तर का ऊपर वर्णित विसंगतियों से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था।

वर्ष 2007–12 की अवधि में परिवारों द्वारा मांग एवं उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने की स्थिति निम्नवत् है:

सारणी 5.1: राज्य स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराये जाने की स्थिति

(आँकड़े लाख में)

वर्ष	रोजगार की मांग	दिया गया रोजगार
2007–08	41.04	40.96
2008–09	43.79	43.36
2009–10	56.65	54.80
2010–11	81.76	81.15
2011–12	70.00	69.35
कुल	**293.24**	**289.62**

उपरोक्त सारिणी से स्पष्ट है कि पिछले वर्ष (2010–11) की तुलना में वर्ष 2011–12 में रोजगार उपलब्ध कराने में उल्लेखनीय गिरावट आयी।

5.2 महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 1.4 के अनुसार 33 प्रतिशत श्रम रोजगार महिलाओं को उपलब्ध कराना चाहिए। तथापि लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008–12 की अवधि में राज्य में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, उनमें से जिन्होंने रोजगार प्राप्त किया था, 18 से 22 प्रतिशत के मध्य था। नमूना जांच के 18 जिलों में वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान यह 13 प्रतिशत से 20 प्रतिशत के मध्य था एवं नमूना जांच किये गये 460 ग्राम पंचायतों में 14 से 27 प्रतिशत था। उनका प्रतिनिधित्व मुख्यतः 2007–08 में विशेष रूप से कम (14 प्रतिशत) था **(परिशिष्ट–VIII)** ।

राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि महिलाओं की भागीदारी निर्धारित 33 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये प्रयास किये जा रहे थे।

वर्ष 2010–11 की तुलना में 2011–12 में महिला प्रतिनिधित्व अनुपात में 6 प्रतिशत की गिरावट के परिप्रेक्ष्य में उत्तर औचित्यपूर्ण नहीं था।

5.3 मांग किया जाना एवं रोजगार उपलब्ध कराना

रोजगार उपलब्ध कराने में पायी गयी विसंगतियां निम्नलिखित है :

- तीन जिलों[4] में नमूना जांच की गयी 72 ग्राम पंचायतों ने रोजगार के लिये मौखिक मांग पर मजदूरों को पंजीकृत नहीं किया गया था, इस प्रकार उन्हें रोजगार से वंचित रखा गया।

[4] जालौन (18 ग्राम पंचायत), कुशीनगर (30 ग्राम पंचायत) एवं मुरादाबाद (24 ग्राम पंचायत) जिले।

- 18 जिलों की नमूना जांच की गयी 366 ग्राम पंचायतों में कार्य की मांग के लिये लिखित आवेदन के सापेक्ष दिनांकित पावती जारी नहीं की गई थी। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में निर्धारित 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार ने उत्तर में लेखा परीक्षा बिन्दुओं को भविष्य में अनुपालन के लिये संज्ञान में लिया (जनवरी 2013)।

5.3.1 100 दिनों के गारंटीयुक्त रोजगार की प्राप्ति न होना

राज्य स्तर पर वर्ष 2007–12 की अवधि के दौरान केवल 2.3 प्रतिशत से 6.8 प्रतिशत मजदूरों को ही 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया गया था। उसी अवधि के दौरान नमूना जांच किये गये 18 जिलों में स्थिति 2.14 प्रतिशत से 8.25 प्रतिशत के मध्य थी। इसी प्रकार, नमूना जांच किये गये 460 ग्राम पंचायतों में 100 दिनों का रोजगार 0.64 प्रतिशत से 2.03 प्रतिशत के मध्य था। वर्ष 2007–12 की अवधि में एक वर्ष में इन जिलों के प्रत्येक परिवारों को उपलब्ध कराये गये रोजगार का औसत 18 और 29 दिन एवं नमूना जांच की गयी ग्राम पंचायतों में रोजगार 16 से 23 दिन के मध्य था। नमूना जांच किये गये जनपदों एवं ग्राम पंचायतों में प्रदत्त रोजगार की स्थिति संलग्न है **(परिशिष्ट–IX)**।

राज्य सरकार ने 11 जनपदों में उठायी गयी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर कोई उत्तर नहीं दिया किन्तु बलरामपुर एवं सुल्तानपुर जनपदों के निष्कर्षों को स्वीकार किया। अवशेष जनपदों के प्रकरणों में, राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि रोजगार पंजीकृत परिवारों द्वारा मांग करने पर उपलब्ध कराया गया था। उत्तर इस आधार पर संतोषजनक नहीं है क्योंकि राज्य में 100 दिन का रोजगार केवल 2.3 से 6.80 प्रतिशत मजदूरों को प्रदान किया गया था।

5.3.2 100 दिन से अधिक का रोजगार

मनरेग्स के अंतर्गत परिवार के सदस्य एक वर्ष में 100 दिन से अधिक का रोजगार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। यदि उन्हें 100 दिनों से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है तो राज्य सरकार को अतिरिक्त उपलब्ध कराये गये रोजगार का व्यय वहन करना था।

लेखापरीक्षा में पाया गया (वेबसाइटः डब्लूडब्लूडब्लू.नरेगा.एनआईसी.इन से डाउनलोड आँकडों के माध्यम से) कि वर्ष 2009–12 की अवधि में राज्य में 55.76 लाख मानव दिवस का रोजगार (100 दिन से अधिक) उपलब्ध कराया गया जिस पर ₹ 57.98 करोड़ का भुगतान हुआ, जैसा कि विवरण नीचे सारणी में वर्णित है।

सारणी 5.2: 100 दिन से अधिक उपलब्ध कराये गये रोजगार

वर्ष	100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार	मनरेग्स के अंतर्गत अनुमन्य मानव दिवस	सृजित कुल मानव दिवस	अतिरिक्त मानव दिवसों के लिये उपलब्ध कराया गया रोजगार	अनुमन्य भुगतान (करोड़ में)
2009–10	4,28,873	4,28,87,300	4,51,62,403	22,75,103	22.75
2010–11	4,69,420	4,69,42,000	4,91,35,504	21,93,504	21.94
2011–12	3,07,949	3,07,94,900	3,19,02,656	11,07,756	13.29
कुल	**12,06,242**	**12,06,24,200**	**12,62,00,563**	**55,76,363**	**57.98**

(**स्रोतः** डब्लूडब्लूडब्लू.नरेगा.एनआईसी.इन पर उपलब्ध सूचना)

अतिरिक्त रोजगार पर हुए व्यय के लिये राज्य सरकार द्वारा एक्ट के अन्तर्गत वांछित अलग निधि का रख–रखाव नहीं किया गया था। वर्ष 2009–12 की अवधि में नमूना जांच किये गये 18 जनपदों में 12.90 लाख मानव दिवसों (100 दिन से अधिक) के सापेक्ष 12.13 लाख परिवारों को ₹ 13.38 करोड़ का भुगतान किया गया था **(परिशिष्ट–X)**।

उत्तर में, राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि 100 दिन से अधिक रोजगार नहीं उपलब्ध कराने एवं 100 दिन से अधिक प्रदत्त रोजगार हेतु भुगतान की गयी धनराशि की वसूली हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत कर दिए गये हैं।

लेखापरीक्षा में वसूली की स्थिति प्रतीक्षित है।

5.4 बेरोजगारी भत्ता

अधिकार आधारित योजना मनरेग्स के अधीन रोजगार, मांग के 15 दिनों की अवधि में ही उपलब्ध कराना था। यदि यह उपलब्ध नहीं कराया गया, तो श्रमिक बेरोजगारी भत्ते के भुगतान का अधिकारी था, जो कि राज्य के बजट से भुगतान किया जाना था। इस प्रकार राज्य सरकार को इस दायित्व को पूरा करने के लिये अलग से निधि उपलब्ध करानी थी।

डब्लूडब्लूडब्लू.नरेगा.एनआईसी.इन से डाउनलोड की गयी सूचनाओं में यह पाया गया कि राज्य ने प्राप्त मांग पर 15 दिनों के निर्धारित समय के अंदर श्रमिकों को रोजगार नहीं उपलब्ध कराया था। इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी भत्ता देय था। वर्ष 2009–12 की अवधि में ₹ 5.12 करोड़[5] की सीमा तक यह भत्ता राज्य सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया गया था, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

सारणी 5.3 – बेरोजगारी भत्तों हेतु सृजित दिवस

(₹ लाख में)

वर्ष	जिलों की संख्या	बेरोजगारी भत्ते के लिये दिवस	भुगतान किये गये भत्ते के दिवस	भुगतान की गई राशि	मजदूरी दर ₹100/120 प्रति दिन के समान देय धनराशि
2009–10	71	13,629	71	0.07	13.55
2010–11	72	3,67,239	147	0.18	367.09
2011–12	72	1,09,099	0	0	130.91
				कुल	**511.55**

(**स्रोतः** डब्लूडब्लूडब्लू.नरेगा.एनआईसी.इन)

अग्रेतर, सीतापुर जनपद के दो ब्लाकों[6] के 25 ग्रामों के श्रमिकों द्वारा बेरोजगारी भत्ते की मांग की गई (नवम्बर 2007) क्योंकि उन्हें उनकी मांग पर (मई से अक्टूबर 2007) रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया था। श्रमिकों (रामबेती एवं अन्य) का अनुरोध डीपीसी द्वारा इस आधार पर खारिज (दिसम्बर 2007) कर दिया गया कि उन्हें उस क्षेत्र की अन्य योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका था। परिणामस्वरूप, श्रमिक संघ द्वारा, आयुक्त से बेरोजगारी भत्ते के भुगतान हेतु अपील की गयी थी

[5] वर्तमान मजदूरी दर पर आगणित यद्यपि इसे पहले 30 दिन के लिये कम से कम मजदूरी के एक चौथाई से एवं उसके बाद आधे से कम नहीं होना चाहिए।

[6] मिश्रिख (15 गांव) एवं पिसवाँ (10 गांव)।

(दिसम्बर 2007)। आयुक्त द्वारा उन्हें ₹ 14.99 लाख का बेरोजगारी भत्ता भुगतान करने का डीपीसी को निर्देश दिया गया। डीपीसी द्वारा उक्त भुगतान मनरेग्स निधि से अनियमित रूप से किया गया।

राज्य सरकार ने कहा (जनवरी 2013) कि जनपदों द्वारा निर्धारित समयावधि में मांग पर रोजगार उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार द्वारा यह भी बताया गया (जनवरी 2013) कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिये आवश्यक निर्देश भी निर्गत कर दिए गये हैं।

तथापि, वेबसाइट पर उपलब्ध डाटा सरकार के कथन का खण्डन करता है। यदि सरकार के उत्तर को स्वीकार कर लिया जाए तो यह दर्शाता हैं कि नरेगा.एनआईसी.इन पर उपलब्ध आँकड़े सही नहीं है। किसी भी प्रकरण में सरकार को समय से रोजगार उपलब्ध कराने एवं इन्टरनेट पर सही आंकड़ें उपलब्ध कराने हेतु सुधारात्मक उपाय करने की आवश्यकता है।

5.5 निष्कर्ष

ग्रामीण इलाकों में वयस्क व्यक्तियों की पहचान, जो कि अकुशल कार्य करने के इच्छुक हों, के लिये कोई भी डोर–टू–डोर सर्वे नहीं किया गया था। महिलाओं की भागीदारी निर्धारित प्रतिशत के सापेक्ष बहुत कम थी। अभिलेखों का रख–रखाव उचित नहीं था अतः निचले स्तर के अभिलेखों से यह सुनिश्चित करना संभव नहीं था कि निर्धारित 15 दिनों के अन्दर रोजगार उपलब्ध कराया गया था या नहीं। मजदूरी चाहने वाले पात्र व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्तों का भुगतान भी राज्य निधि से नहीं किया गया था।

5.6 संस्तुतियाँ

- शासन को ग्राम पंचायत के स्तर पर सर्वेक्षण के पश्चात् कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों का पंजीकरण सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि योजना का अक्षरशः एवं उसकी मूल भावना के अनुसार कार्यान्वयन किया जा सके।

- दिशा निर्देशों के अनुसार शासन को पंजीकृत श्रमिकों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार देना सुनिश्चित करना चाहिए एवं जिन्हें निर्धारित समय में कार्य नहीं मिला, उन्हें बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाना चाहिए।

अध्याय 6

कार्य एवं उनका निष्पादन

जैसा कि उल्लिखित है, एक्ट के दो मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना एवं गरीब ग्रामीणों की आजीविका के संसाधन को सुदृढ़ करने के लिए स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन करना था। इसे सुनिश्चित करने हेतु एक्ट एवं संचालन दिशा–निर्देशों द्वारा कार्यों के निष्पादन हेतु कुछ शर्तें निर्धारित की गयीं यथा:

- ग्राम पंचायत स्तर एवं उसके ऊपर के कार्यों के लिए नियोजन;
- कार्यों का उचित आकलन;
- प्राथमिकतावार लिये जा सकने वाले अनुज्ञेय कार्यों की सूची;
- निर्धारित मजदूरी–सामग्री अनुपात 60:40 से कम न होना और
- ठेकेदारों/मशीनों के प्रयोग का निषेध।

आगामी प्रस्तरों में योजना के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन से सम्बन्धित निष्कर्षों की चर्चा की गयी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.1 योजना के बिना कार्यों का निष्पादन

वार्षिक योजना एक कार्य योजना है जो प्राथमिकता के आधार पर वर्ष में किये जाने वाले क्रियाकलापों को चिन्हित करती है। मनरेग्स के अर्न्तगत निष्पादित कार्य पंचायत द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर निष्पादित किये जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच किये गये 11 जनपदों[1] में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग वार्षिक कार्य योजना में शामिल किये बिना ही निष्पादित किये गये। लक्षित कार्यों एवं उनके सापेक्ष निष्पादित कार्यों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है:

सारणी 6.1 कार्यों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लक्षित ग्रामीण सम्पर्क मार्ग	पूर्ण ग्रामीण सम्पर्क मार्ग	अधिक निष्पादित कार्य
2007–08	27.79	80.86	53.07
2008–09	63.74	199.83	136.09
2009–10	53.44	112.03	58.59
2010–11	120.15	223.83	103.68
2011–12	15.86	69.20	53.34
योग	**280.98**	**685.75**	**404.77**

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि ग्राम पंचायत की प्राथमिकताओं एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के कार्य, अनुमोदित श्रम

[1]आजमगढ़, बलरामपुर, कुशीनगर, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, लखनऊ, रामपुर, गोण्डा, जालौन एवं वाराणसी।

बजट से अधिक निष्पादित किये गये थे। अग्रेतर ग्राम सभा की खुली बैठक के दौरान निर्णयों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप निष्पादित कार्यों की संख्या में भिन्नता आ गयी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि केवल वार्षिक योजना में अनुमोदित कार्यों को ही लिया जाना था। कार्य के निष्पादन में तदर्थता, सम्पूर्ण वार्षिक कार्य योजना के अप्रासंगिक एवं निरर्थक प्रयोग के जोखिम को प्रस्तुत करती है।

6.2 बिना अनुमोदन के कार्यों का निष्पादन

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या 6.4.1 के अनुसार मनरेग्स निधियों का व्यय उन कार्यों के लिए किया जाना था जिन्हें प्रशासनिक अनुमोदन एवं सक्षम अधिकारियों द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्राप्त हो। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच में लिए गये सात जनपदों द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 13.25 करोड़ के व्यय से 237 कार्य निष्पादित किये गये थे जो कि न तो प्रशासनिक तौर पर अनुमोदित थे और न ही उन्हें सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त थी। अननुमोदित कार्यों का जनपदवार विवरण नीचे दी गयी सारणी में दिया गया है:

सारणी 6.2: प्रशासनिक/तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्यों का निष्पादन

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत का नाम	कार्यों की संख्या	धनराशि (रू0 लाख में)
1	बरेली	क्षेत्र पंचायत–भादपुरा (05ग्राम पंचायत)	9	7.49
2	गाजियाबाद	क्षेत्र पंचायत–मुरादनगर (01 ग्राम पंचायत)	1	0.32
3	गोण्डा	क्षेत्र पंचायत–बाभनजोत (03ग्राम पंचायत)	6	0.71
4	कुशीनगर	जिला पंचायत–कुशीनगर	202	1,281.67
5	मुरादाबाद	क्षेत्र पंचायत–बहजोई, बिलारी एवं मुरादाबाद (07 ग्राम पंचायत)	15	29.30
6	सुल्तानपुर	क्षेत्र पंचायत– भदइया	1	0.31
7	उन्नाव	क्षेत्र पंचायत–सिकन्दरपुर कर्न (01 ग्राम पंचायत)	3	5.23
योग	**7 जनपद**	**6 क्षेत्र पंचायत, 17 ग्राम पंचायत, 01 जिला पंचायत**	**237**	**1,325.03**

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि कार्यदायी संस्थाओं को प्रत्येक मस्टर रोल पर कार्य की पहचान संख्या के अंकन के पश्चात् उन्हें कार्यदायी संस्थाओं को हस्तान्तरित किया जाता है एवं पहचान संख्या केवल कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के पश्चात् ही सृजित की जा सकती है। चूंकि इन मस्टर रोलों की एम आई एस फीडिंग प्रभावी ढंग से नहीं की गयी थी इसलिए बिना प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के निष्पादित कराये गये कुछ कार्यों का अनुश्रवण नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि बिना स्वीकृति के कार्य निष्पादित नहीं हों, क्योंकि इससे पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया दूषित होती है।

6.3 बढ़े हुए आगणनों पर स्वीकृति

मनरेग्स दिशा–निर्देश के अनुसार वास्तविक आगणन तैयार किये जाने चाहिये। लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि आगणन वास्तविक नहीं थे एवं इन कार्यों के वास्तविक एवं अनुमानित व्यय के मध्य व्यापक अंतर था। आठ जनपदों की 170 ग्राम पंचायतों की नमूना जांच में वर्ष 2007–12 की अवधि में वास्तविक एवं अनुमोदित व्यय के मध्य रू0 6.75 करोड़ था अंतर था। निष्पादित कार्यों, स्वीकृत धनराशियों एवं वास्तविक व्ययों का जनपदवार विवरण निम्नवत् है:

सारणी 6.3 : बढ़े हुए आगणनों के आधार पर निष्पादित कार्य

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	जनपदों का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	अनुमोदित धनराशि	वास्तविक व्यय	बढ़ा हुआ आगणन
1.	इलाहाबाद	29	176	2.66	1.25	1.41
2.	बरेली	30	155	2.10	1.27	0.83
3.	गाजियाबाद	08	28	0.37	0.19	0.18
4.	गोण्डा	30	195	4.13	2.17	1.96
5.	जालौन	17	37	0.77	0.33	0.44
6.	सुल्तानपुर	28	131	2.52	1.20	1.32
7.	उन्नाव	09	20	0.58	0.31	0.27
8.	वाराणसी	19	79	0.85	0.51	0.34
	योग	170	821	13.98	7.23	6.75

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वास्तविक कार्यों से अधिक का आगणन बनाया जाना अतिरिक्त कार्य प्रावधानित होने के कारण था जो कि निष्पादन के दौरान आवश्यक हो सकता था एवं अनुमानित कार्य की लागत का 0.5 प्रतिशत तकनीकी सहायकों को भी भुगतान किया जाना था।

उत्तर दिशा–निर्देशों के अनुरूप नहीं था क्योंकि यदि कोई अतिरिक्त कार्य किया जाना हो तो उसे सक्षम प्राधिकारी स्तर से अनुमोदित होना चाहिये था एवं उसे कार्यों के अनुमान में नहीं डाला जाना चाहिये था। सामग्री का क्रय भी अनुमोदित कार्यों की आवश्यकता से अधिक नहीं होना चाहिये था। इससे कार्यों के नियोजन एवं अनुमान के समय तकनीकी विशेषज्ञता की कमी का भी संकेत मिलता है।

6.4. कम प्राथमिकता वाले कार्यों का निष्पादन

एक्ट की अनुसूची–1 में निष्पादन के लिए प्राथमिकता के आधार पर आठ कार्य निर्धारित किये गये हैं। इसके अनुसार जल संरक्षण एवं जल संचयन के कार्य को उच्च प्राथमिकता एवं ग्रामीण सम्पर्क मार्ग को सबसे कम प्राथमिकता दी गयी थी।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2008–12 की अवधि में निष्पादित 15.55 लाख कार्यों में से 5.56 लाख कार्य (35.75 प्रतिशत) सबसे कम प्राथमिकता वाले अर्थात् ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के कार्य थे। जल संरक्षण कार्य (1.42 लाख कार्य जो कि कार्यों का 9.16 प्रतिशत प्रदर्शित करता है) निष्पादित कार्यों की सूची में चौथे स्थान पर था। ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे कम प्राथमिकता वाले कार्यो का निष्पादन

वर्ष 2007–12 की अवधि में 12 प्रतिशत एवं 79 प्रतिशत के मध्य रहा। यह भी देखा गया कि जिला पंचायत, कुशीनगर ने वर्ष 2008–11 की अवधि मे सबसे कम प्राथमिकता वाले ₹ 21.75 करोड़ मूल्य के 404 कार्य (₹ 23.13 करोड़ मूल्य के 425 कार्यों में से) निष्पादित किये थे जो संख्या एवं लागत दोनों दृष्टिकोण से 94 प्रतिशत थे।

शासन ने उत्तर में बताया (जनवरी 2013) कि आवश्यकताओं एवं योजना के बुनियादी ढांचे को सम्मान देते हुए, जो कि निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत को परियोजना संबंधी निर्णय लेने का विशेषाधिकार देती है, कार्य कराये गये।

उत्तर संतोषजनक नहीं था क्योंकि दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकताओं का अनुपालन नहीं किया गया था और इसलिए स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के सृजन के उद्देश्य के साथ समझौता किया गया।

6.5 अननुमन्य कार्यों का निष्पादन

कच्ची सड़कों का निर्माण

मनरेग्स दिशा–निर्देशों में उपबंधित है कि अस्थायी परिसम्पतियों जैसे कच्ची सड़कों के निर्माण को नहीं लिया जाना चाहिये क्योंकि ये ग्रामीण आबादी को सर्वऋतु पहुँच मार्ग उपलब्ध नहीं कराती है। लेखापरीक्षा में तथापि, देखा गया कि नमूना जांच किये गये 18 जनपदों की 405 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2007–12 की अवधि में 8,900 कार्यों में से 2,265 कच्ची सड़कों के कार्य (मूल्य ₹ 15.60 करोड़) निष्पादित किये गये थे। जनपदवार निर्मित कच्ची सड़कें निम्नवत् सारणीबद्ध की गयी है।

सारणी 6.4 : कच्चे मार्गों का निर्माण

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपदों का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	कुल निष्पादित कार्यों की संख्या	मिट्टी के कार्यों की संख्या	धनराशि
1.	आजमगढ़	30	878	324	133.97
2.	बुलन्दशहर	26	451	145	60.77
3.	बरेली	30	299	157	109.85
4.	गोण्डा	30	292	109	110.80
5.	उन्नाव	30	1102	228	221.61
6.	मुरादाबाद	30	891	112	96.88
7.	इलाहाबाद	20	287	32	12.33
8.	सीतापुर	28	1090	118	125.04
9.	गाजियाबाद	9	178	23	18.99
10.	बांदा	18	180	36	93.66
11.	रामपुर	10	491	101	68.72
12.	बलरामपुर	18	677	177	87.84
13.	कुशीनगर	25	300	58	50.09
14.	वाराणसी	20	444	268	74.21
15.	चित्रकूट	9	250	15	34.06
16.	लखनऊ	20	660	277	202.07
17.	सुल्तानपुर	23	230	50	23.05
18.	जालौन	17	200	35	35.59
	योग	393	8,900	2265	1,559.53

शासन द्वारा उत्तर में बताया (जनवरी 2013) गया कि अच्छी गुणवत्ता वाली कच्ची सड़कें सर्वऋतु मार्ग के रूप में प्रयोग की जा सकती है।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि यह कार्य दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अनुमन्य नहीं है।

अन्य अस्वीकार्य/अनुचित कार्य

वृहद सेतुओं का निर्माण, पौधों का वितरण, तालाबों का सौदंर्यीकरण आदि जैसे कार्य, योजना के अंतर्गत अनुमन्य नहीं थे। तथापि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि नमूना जांच किये गये 10 जनपदों में वर्ष 2008–12 की अवधि में 4,212 कार्यों में से 272 अस्वीकार्य/अनुचित कार्य (मूल्य ₹ 10.26 करोड़) निष्पादित किये गये थे। जनपदवार विवरण निम्नवत् सारणी में दिया गया है:

सारणी 6.5: अन्य अस्वीकार्य/अनुचित कार्यों का निष्पादन

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	जनपद	ग्राम पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/लाइन विभागों की संख्या	कुल निष्पादित कार्यों की संख्या	अस्वीकार्य कार्यों की संख्या	धनराशि	निष्पादित कार्य
1	आजमगढ़	14 ग्राम पंचायत	455	15	7.52	पौध–वितरण
2	गोण्डा	03 ग्राम पंचायत 02 क्षेत्र पंचायत	528	54	185.79	इंटरलॉकिंग कार्य
3	कुशीनगर	जिला पंचायत	425	08	254.00	15 मी0 से अधिक लम्बे पुल
4	मुरादाबाद	02 ग्राम पंचायत 01 क्षेत्र पंचायत	37	3	5.07	विद्यालय/मंदिर, आदर्श तालाब में मिट्टी भराई
5	रामपुर	09 ग्राम पंचायत 01 क्षेत्र पंचायत	239	9	27.57	पौधों का क्रय
6	सुल्तानपुर	01 क्षेत्र पंचायत, 1 लाइन विभाग	24	12	71.13	इंटरलॉकिंग कार्य
		18 ग्राम पंचायत 03 क्षेत्र पंचायत	295	28	70.23	प्रवेश/निकास के बिना तालाबों के निर्माण
7	उन्नाव	20 ग्राम पंचायत 02 क्षेत्र पंचायत	1,102	93	278.26	तालाबों का सौंदर्यीकरण (आदर्श तालाब)
		02 ग्राम पंचायत		2	5.50	अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की भूमि पर सात दुकानों का निर्माण
8	वाराणसी	10ग्राम पंचायत 02 क्षेत्र पंचायत	444	35	81.04	नाली कार्य में स्पन पाइपों का प्रयोग कर रिचार्ज स्रोतों को अवरूद्ध करना

		4 ग्राम पंचायत		4	4.42	बिना प्रवेश/निकास के तालाबों के निर्माण
9	लखनऊ	2 ग्राम पंचायत	660	6	12.14	प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन हेतु शेड निर्माण
10	चित्रकूट	जिला पंचायत	03	3	23.60	कांशीराम आवास योजना में नाली
योग		**84 ग्राम पंचायत 12 क्षेत्र पंचायत 2 जिला पंचायत 1 लाइन विभाग**	**4,212**	**272**	**1,026.27**	

शासन ने स्वीकार किया (जनवरी 2013) कि इंटरलॉकिंग कार्य भविष्य में नहीं किये जायेंगे, तालाब निर्माण में प्रवेश/निकास सुनिश्चित किये जायेंगे, मिट्टी भराई के कार्यों की जांच की जायेगी तथा गबन के प्रकरण में संबधित से वसूली की जायेगी। 15 मीटर से अधिक लम्बे सेतु के निर्माण के संदर्भ में बताया गया कि दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी तथा बेंच बोरिंग एवं चहारदीवारी युक्त आदर्श तालाबों के निर्माण अस्वीकृत किये गये है।

इस प्रकार शासन द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया गया। हांलाकि इन कथनों के समर्थन में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये तथा लेखापरीक्षा में परिणाम पर नजर रखने की आवश्यकता है।

6.6 पूर्ण कार्यों का भौतिक सत्यापन

बलरामपुर, बरेली, कुशीनगर एवं मुरादाबाद जनपदों की नमूना जांच में ली गयी आठ ग्राम पंचायतों में कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि नलकूपों के संस्थापन कार्य, वृक्ष सुरक्षा बाड़ों का निर्माण, वृक्षारोपण, पूरी लम्बाई में सड़कों का निर्माण, ह्यूम पाइपों को बिछाना, पुलिया निर्माण, तालाब में गेट का संस्थापन एवं तारों से घेराबंदी आदि कार्य, जिसमें ₹ 7.21 लाख का व्यय हुआ था, निष्पादित नहीं किये गये थे फिर भी अभिलेख में पूर्ण दर्शाए गये थे **(परिशिष्ट–XI)**। लेखापरीक्षा में यह भी देखा गया कि आजमगढ़ जनपद की नमूना जांच की गयी, 11 ग्राम पंचायतों में जून 2008 से फरवरी 2009 के मध्य 3.85 लाख पौधे (लागत ₹ 4.85 लाख) वृक्षारोपण हेतु ग्रामीणों को वितरित किये गये थे। पौधों का वितरण मनरेग्स के अंतर्गत अनुमन्य नहीं था। अग्रेतर, स्थलीय निरीक्षण के दौरान वृक्षारोपण स्थल को भी लेखापरीक्षा को दिखाया नहीं जा सका।

शासन ने तीन जनपदों (बलरामपुर, कुशीनगर, एवं मुरादाबाद) के लिए उपरोक्त लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार किया । हांलाकि बरेली जनपद द्वारा वृक्षारोपण स्थल के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था एवं उत्तर के साथ संलग्न भी नहीं था। आजमगढ़ जनपद में पौधों के वितरण के संदर्भ में शासन ने उत्तर में बताया कि सार्वजनिक स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए पौधों को घर के खुले स्थान पर वृक्षारोपण हेतु लोगों को वितरित किया गया।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि योजना में पौधो के वितरण का प्रावधान नहीं था।

6.7 अपूर्ण/परित्यक्त कार्य

वित्तीय नियमानुसार, निर्धारित समय–सूची एवं आकलन के अनुसार कार्य की लागत का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये एवं समय तथा लागत का कोई भी विचलन सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिये। इस संदर्भ मे कार्य निष्पादन में विभिन्न अनियमितताएँ लेखापरीक्षा में देखी गयी।

परित्यक्त कार्य

नमूना जांच में लिए गये दो जनपदों में, वर्ष 2008–12 की अवधि में ₹ 18.19 लाख के व्यय के बाद भी नियोजन के अभाव में 19 कार्य परित्यक्त थे। विवरण निम्नवत् सारणी में दिया गया है:

सारणी 6.6 : परित्यक्त कार्य

(₹ लाख में)

जनपद का नाम	पंचायती राज संस्थाओं/लाइन विभाग की संख्या	परित्यक्त कार्यों की सं0	निष्पादित कार्यों की प्रकृति	धनराशि
चित्रकूट	ग्रा0पं0–1 (कर्वी ब्लाक)	1	बीडब्ल्यू/खड़ंजा कार्य	1.08
सुल्तानपुर	जिला पंचायत	18	ईडब्ल्यू/सोलिंग	17.11
योग		**19**		**18.19**

अपूर्ण कार्य

नमूना जांच किये गये चार जनपदों में वर्ष 2008–12 की अवधि में ₹ 1.76 करोड़ व्यय किये जाने के पश्चात् भी निर्धारित समय सूची का अनुपालन न करने से 51 कार्य अपूर्ण थे। विवरण निम्नवत् है:

सारणी 6.7 : अपूर्ण कार्य

(₹ लाख में)

जनपद का नाम	पंचायती राज संस्थाओं की संख्या	अपूर्ण कार्यों की संख्या	निष्पादित कार्यों की प्रकृति	धनराशि
आजमगढ़	ग्राम पंचायत–4	5	ईंट सोलिंग	3.80
	क्षेत्र पंचायत–1	2	पक्की नाली	1.60
बरेली	जिला पंचायत	5	ईडब्ल्यू/खड़ंजा कार्य	12.26
कुशीगनर	जिला पंचायत	28	पुलिया, पहुँच मार्ग एवं मिट्टी कार्य	146.78
मुरादाबाद	ग्राम पंचायत–4	4	मिट्टी भराई कार्य	2.73
	जिला पंचायत	7	खड़ंजा नाली	8.64
योग	**8 ग्रा0पं0,1 क्षेत्र पं0, एवं 3 जिला पं0**	**51**		**175.81**

उत्तर में राज्य सरकार द्वारा अपूर्ण एवं परित्यक्त कार्यों के लिए अस्पष्ट उत्तर दिया गया (जनवरी 2013) यथा कार्यो को पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किये जा चुके थे, कार्य मांग के अनुसार निष्पादित किये गये थे, अतिरिक्त बजट की मांग नही की गयी थी एवं आवंटित निधि लौटाई जा चुकी थी। उत्तर लेखापरीक्षा आपत्तियों से प्रासंगिक नहीं था।

6.8 सामग्रियों का क्रय

शासन द्वारा, दिशा–निर्देशानुसार अपेक्षित क्रय प्रक्रिया का निर्धारण नहीं किया गया था। अग्रेतर वित्तीय पुस्तिका खण्ड–VI के अनुसार मौजूदा प्रक्रिया का भी अनुसरण नहीं किया गया था। परिणामतः विभिन्न कार्याधिकारियों द्वारा तदर्थ प्रक्रियाओं का अनुसरण किया गया था एवं शासन को प्रतिस्पर्धात्मक दरों की सुविधाओं से वंचित होना पड़ा जैसा कि लेखापरीक्षा में देखे गये दृष्टान्तों से स्पष्ट है जिनकी चर्चा नीचे की गयी है:

सीतापुर जनपद में हरगांव क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में ₹ 45.16 लाख, परसेन्डी क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत में ₹ 57.07 लाख एवं मछरेहटा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत अंगोई ग्राम पंचायत में ₹ 2.15 लाख की लागत से निर्माण सामग्री का क्रय निविदा/औपचारिकताओं के बिना ही किया गया था।

लेखापरीक्षा को कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

6.9 रायल्टी की अनियमित कटौती

राज्य सरकार ने आदेश दिया (मई 2010) कि मनरेग्स कार्य से सम्बन्धित मिटटी खुदाई कार्य हेतु रायल्टी की कटौती नहीं की जाएगी। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि मनरेग्स से सम्बन्धित मिटटी खुदाई के कार्य में क्रमशः जिला पंचायत उन्नाव, लोक निर्माण विभाग, सुल्तानपुर एवं जिला पंचायत कुशीनगर द्वारा ₹ 41.60 लाख, ₹ 3.97 लाख एवं ₹ 49.26 लाख (योग ₹ 94.83 लाख) की रायल्टी कटौती की गयी थी (2008–12)। इस प्रकार कटौती की गयी धनराशि (₹ 94.83 लाख) शासन के खाते में जमा की गयी थी।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि उन्नाव और कुशीनगर जनपदों में कटौती की गयी रायल्टी की वापसी हेतु उचित कार्यवाही की जा रही थी। सुल्तानपुर जनपद में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया गया था।

हालांकि, मई 2010 के बाद रायल्टी न काटे जाने के संदर्भ में दस्तावेजी साक्ष्य न तो प्रस्तुत किये गये और न ही उत्तर के साथ संलग्न किये गये थे।

6.10 मजदूरी का भुगतान

योजना ₹ 58 की दैनिक मजदूरी दर के साथ प्रारम्भ हुई थी जो 23 मई 2007 से बढ़ाकर ₹ 80 तथा अगस्त 2007 से बढ़ाकर ₹ 100 तक कर दी गयी थी। यह मजदूरी दर पुनः 1 जनवरी 2011 से बढ़ाकर ₹ 120 कर दी गयी थी। दिशा– निर्देशानुसार, श्रमिकों की उपस्थिति दैनिक आधार पर अंकित की जानी थी तथा काम की माप के पश्चात् निर्धारित दर से भुगतान किये जाने थे। तथापि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि :

- 17 ग्राम पंचायत, 6 क्षेत्र पंचायत (आजमगढ़, कुशीनगर, रामपुर और सुल्तानपुर जनपदों), 02 जिला पंचायतों (जिलाः आजमगढ़, बांदा) और एक लाइन विभाग (मुरादाबाद जनपद) में मई 2007 से मार्च 2011 की अवधि में श्रमिकों को कम दर से मजदूरी दी गयी, परिणामस्वरूप मजदूरी पर कुल ₹ 4.50 लाख का कम भुगतान किया गया।

- आजमगढ़ जनपद की शम्भूपुर ग्राम पंचायत में श्रमिकों को अधिक दर से (अप्रैल से जून 2007) मजदूरी दी गयी थी, परिणामतः ₹ 0.62 लाख का अधिक भुगतान दिया गया।

- बलरामपुर जनपद के बैजुआपुर और सुल्तानपुर जनपद में बानी ग्राम पंचायतों में 108 श्रमिक एक ही नाम और बैंक खाता संख्या से एक ही काम में दो बार या उसी समयावधि में अन्य कार्यों में लगे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.62 लाख का कपटपूर्ण भुगतान किया गया ।

- नमूना जांच में ली गयी जनपद रामपुर की 11 ग्राम पंचायतों और जनपद मुरादाबाद की 1 ग्राम पंचायत में, काम की माप के पहले अथवा काम के माप के बिना मजदूरी भुगतान की गयी थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 22.29 लाख का अनियमित भुगतान हुआ।

- गाजीपुर ग्राम पंचायत में 62 श्रमिकों को वाभनपुरा पोहरी बावा में तालाब खुदाई हेतु 2 अप्रैल 2008 से 31 अप्रैल 2008 तक तैनात किया गया था जबकि अप्रैल माह में मात्र 30 दिन होते है। यह कपटपूर्ण भुगतान की सम्भावना की ओर इंगित करता है।

- सम्बन्धित मस्टर रोलों पर नकद भुगतान के समर्थन में रसीद अगस्त 2008 तक प्राप्त की जाती थी। आजमगढ़ एवं बलरामपुर जनपदों की चार ग्राम पंचायतों में मस्टर रोलों द्वारा ₹ 4.46 लाख का भुगतान किया गया था। लेकिन भुगतान के प्रमाणस्परूप श्रमिकों के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान नहीं लिये गये थे। यह पुनः कपटपूर्ण भुगतान की सम्भावना की ओर इंगित करता है।

शासन द्वारा उत्तर में बताया गया (जनवरी 2013) कि मजदूरी संशोधन सम्बन्धी शासकीय आदेश की विलम्ब से प्राप्ति के कारण संबंधित जनपदों में कम मजदूरी का भुगतान किया गया । आजमगढ़ के शम्भूपुर ग्राम पंचायत में अधिक दर से भुगतान किये जाने के संदर्भ में बताया गया कि श्रमिकों की मांग पर वर्तमान दर ₹ 100 प्रति दिन से भुगतान किये गये थे। आजमगढ़, बलरामपुर, गोण्डा, रामपुर और सुल्तानपुर, जनपदों की ग्राम पंचायतों के उपरोक्त बताए गये अन्य दृष्टान्तों के संदर्भ में कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

6.11 श्रम–सामग्री अनुपात

मनरेग्स के दिशा–निर्देशानुसार कुशल एवं अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी सहित परियोजना की सामग्री अंश की लागत कुल परियोजना लागत के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।

नमूना जांच में लिये गये 18 जनपदों की सभी ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में वर्ष 2009–12 की अवधि में सामग्री अंश, निर्धारित 40 प्रतिशत की सीमा से अधिक थे। **(परिशिष्ट–XII)**। नमूना जाँच में लिये गये जनपदों की ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायतों में सामग्री अंश पर अधिक व्यय का वर्षवार समेकित विवरण नीचे सारणी में दिये गये है:

सारणी 6.8: सामग्री घटक पर अधिक व्यय

वर्ष	ग्राम पंचायत में अधिक सामग्री अंश (₹ करोड़ में)	क्षेत्र पंचायत में अधिक सामग्री अंश (₹ करोड़ में)	योग (₹करोड़ में)	मानव दिवस का कम सृजन (₹करोड़ में)
2009–10	45.87	8.84	54.71	0.55
2010–11	18.24	22.72	40.96	0.41
2011–12	3.52	5.33	8.85	0.04
योग	**67.63**	**36.89**	**104.52**	**1.03**

इस प्रकार, ₹ 104.52 करोड़ की धनराशि सामग्री घटक पर व्यय की गयी थी जो निर्धारित सीमा से अधिक थी। परिणामतः सम्बन्धित वर्ष में प्रतिदिन ₹ 100/120 की दर से रोजगार पर 1.03 करोड़ कम मानव दिवस सृजित किये गये थे। अग्रेत्तर, योजना के दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार के बजट से इस धनराशि की प्रतिपूर्ति की जानी चाहिये थी।

शासन द्वारा इस आपत्ति पर कोई उत्तर नहीं दिया गया ।

6.12 फर्जी/दोहरे कार्यों का उन्मूलन

फर्जी कार्यों/दोहराव से बचने के लिए दिशा–निर्देशों में प्रत्येक कार्य को विशेष पहचान संख्या आवंटित करने का उपबंध है। अन्य नियंत्रण के अंतर्गत कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व, कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने के बाद की फोटोग्राफी एवं कार्यस्थल बोर्ड जिसमें कार्य प्रारम्भ/पूर्ण होने की तिथि दर्शायी गयी हो, शामिल था। भौतिक सत्यापन में, तथापि, निम्नलिखित फर्जी/दोहरे कार्य की संभावना परिलक्षित होती है:

- नमूना जाँच में लिये गये 10 जनपदों में वर्ष 2007–12 की अवधि में 1,199 कार्यों (₹ 13.36 करोड़) को मस्टर रोल जारी करने के पूर्व विशेष पहचान संख्या आवंटित नहीं की गयी थी **(परिशिष्ट–XIII)**।

- 12 जनपदों की नमूना जाँच में ली गयी 267 ग्राम पंचायतों में 2,169 कार्य (₹ 27.08 करोड़) ऐसे थे जिन्हें शुरू करने के पूर्व, निष्पादन के दौरान एवं कार्य पूर्ण होने पर उनकी फोटोग्राफ नहीं ली गयी सम्बन्धित फाइल में संलग्न नहीं पाई गयी **(परिशिष्ट–XIV)**।

- नमूना जांच में ली गयी 436 ग्राम पंचायतों में 3,599 कार्यो (₹ 42.41 करोड़) के लिए कार्यस्थल बोर्ड उपलब्ध नहीं कराये गये थे **(परिशिष्ट–XV)**।

11 जनपदों में कमियों को शासन द्वारा स्वीकार करते हुए (जनवरी 2013) बताया गया कि ई–मस्टर रोल निर्गमन के कारण भविष्य में बहुत कम खामियाँ रह जायेगी। त्रिचरणीय फोटोग्राफी एवं कार्य स्थल बोर्ड के सम्बन्ध में बताया गया कि अनुश्रवण किया जा रहा था एवं शत–प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देश निर्गत किये गये थे।

6.13 परियोजना समापन प्रतिवेदन एवं कार्यों का हस्तांतरण

दिशा–निर्देशानुसार सम्बन्धित कार्य की पत्रावली में परियोजना समापन प्रतिवेदन, पूर्ण हुए कार्य की फोटोग्राफ एवं सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संलग्न होने चाहिये। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच में ली गयी 16 जनपदों की 363 ग्राम पंचायतों में भौतिक सत्यापन किये गये 3,091 कार्यो (₹ 38.22 करोड़) की पत्रावली में परियोजना समापन प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं थे। 17 जनपदों के 3483 कार्यो (₹ 43.91 करोड़) के सम्बन्ध में सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों/सामाजिक लेखापरीक्षा सम्बन्धी कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। अग्रेतर नमूना जांच मे ली गयी 444 ग्राम पंचायतों में निष्पादित (2007–12) 4,242 कार्य (₹ 51.48 करोड़) मार्च 2012 तक प्रयोगकर्ता समूह को हस्तांतरित नहीं किये गये थे।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि परियोजना समापन प्रतिवेदन के रख–रखाव के सम्बन्ध में पुनः निर्देश निर्गत कर दिए गये थे। सतर्कता अनुश्रवण समिति/सामाजिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के संदर्भ में बताया गया कि भविष्य में अनुपालन हेतु निर्देश जारी कर दिये गये थे।

6.14 कार्यस्थल पर सुविधाएँ

कार्यान्वयन एजेंसियों को कार्यस्थल पर चिकित्सा सहायता, पेयजल, छाया आदि सुविधाएं उपलब्ध करानी थी। नमूना जांच में लिये गये 13 जनपदों में लेखापरीक्षा द्वारा 3,400 लाभार्थियों[2] के सर्वेक्षण में पाया गया कि अधिकतर प्रकरणों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं इसके अतिरिक्त नमूना जांच में लिये गये आठ जनपदों (इलाहाबाद, आजमगढ़, बलरामपुर, बरेली, चित्रकूट, गाजियाबाद, मुरादाबाद और रामपुर) की 167 ग्राम पंचायतों में मजदूरों को उपकरण लागत उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि मजदूर अधिदिष्ट सुविधाओं से वंचित थे।

शासन द्वारा कोई यथार्थपूर्ण उत्तर नहीं दिया गया ।

6.15 अन्य रोचक बिन्दु

- वाराणसी जनपद के गोसाईपुरा मोहाव ग्राम पंचायत में बिना हयूम पाइप का उपयोग कर ₹ 3.20 लाख की लागत से कराये गये रिचार्ज नाली के निर्माण (2009–10) को बाद में खंडित कर दिया गया क्योंकि इसका निर्माण लोक निर्माण विभाग की अनुमति लिए बिना कराया गया था, परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ।

- डीपीसी चित्रकूट द्वारा ₹1.85 करोड़ अनुमानित लागत (पुनरीक्षित) से 21 तालाबों के निर्माण हेतु ₹ 1.56 करोड़ उत्तर प्रदेश सहकारी निर्माण एवं विकास लिमिटेड, कर्वी, चित्रकूट को अवमुक्त (मई एवं जून 2007) किये गये। यह योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन था जिसमें कार्य निष्पादन के लिए ठेकेदारों/एजेंसियों की सम्बद्धता निषिद्ध था। तकनीकी समिति के प्राथमिक प्रतिवेदन में पाया गया कि जुलाई 2010 तक मात्र ₹ 91 लाख के कार्य निष्पादित किये गये थे। जिलाधिकारी द्वारा एजेन्सी से ₹ 65 लाख की अवशेष धनराशि की वसूली हेतु

[2]शेष 5 नमूना जाँच जनपदों (बलरामपुर, चित्रकूट, कुशीनगर, सुल्तानपुर एवं वाराणसी) से सम्बन्धित सूचना शामिल नहीं किया जा सका।

आदेश (नवम्बर 2011) दिये गये, किन्तु मार्च 2012 तक धनराशि वसूल नहीं की जा सकी थी।

- शासनादेश[3] (जुलाई 2003) के अनुसार 5 वर्ष के वृक्षारोपण में जीवित पौधे, 65 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिये। लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच में ली गयी सुल्तानपुर जनपद की तीन क्षेत्र पंचायतों (भदईया, दोस्तपुर एवं दूबेपुर) की 30 ग्राम पंचायतों में वर्ष 2011–12 के अंत में जीवित पौधों का प्रतिशत मात्र छः था उनके रोपण एवं ट्री गार्ड पर ₹ 9.74 लाख का व्यय हुआ था। इसके अतिरिक्त, उन्नाव जनपद की तीन क्षेत्र पंचायतों (हिलौली, सिकन्दरपुर कर्ण और औरास) की 30 ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा के दौरान वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड (व्ययः ₹ 22.25 लाख) की आपूर्ति के सत्यापन हेतु कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये जो कि या तो निरर्थक अथवा कपटपूर्ण व्यय को इंगित करते है।

- मनरेग्स दिशा–निर्देश का उल्लंघन करते हुए जनपद मुरादाबाद की बहजोई क्षेत्र पंचायत में ₹ 2.24 लाख का व्यय कर ठेके पर नर्सरी से उद्यान में वृक्षारोपण कार्य निष्पादित (2008–09) कराया गया। परिणामस्वरूप, श्रम रोजगार सृजित नहीं हुआ।

6.16 निष्कर्ष

कार्यो का निष्पादन बिना उन्हें वार्षिक कार्य योजना में शामिल किये ही किया गया तथा बहुत से कार्यो को बिना अपेक्षित प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति के ही करा लिया गया। कार्यो के आगणन भी वास्तविक नहीं थे। कार्यो के निष्पादन हेतु दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकता का अनुपालन नहीं किया गया था। दिशा–निर्देशानुसार जल संरक्षण एवं जल संचयन पर अधिक कार्य होने चाहिये थे किन्तु ग्रामीण सम्पर्क मार्ग पर सर्वाधिक कार्य निष्पादित किये गये थे। कच्ची सड़क जैसे अननुमन्य कार्य भी निष्पादित किये गये थे। इसके अतिरिक्त, योजना के अंतर्गत सामग्री क्रय करने हेतु आवश्यक नियम न तो तैयार किये गये थे और न ही मौजूदा क्रय नियमों का अनुसरण किया गया था। मजदूरी भुगतान में आधिक्य एवं कमी तथा मजदूरी एवं सामग्री अनुपात में विसंगति के प्रकरण भी थे। इस प्रकार राज्य में कार्य एवं उनके निष्पादन से संबंधित संचालनात्मक दिशा–निर्देशों के लगभग सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की अवहेलना पायी गयी।

6.17 संस्तुतियाँ

- शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि दिशा–निर्देशों में निर्धारित प्राथमिकतानुसार एवं वार्षिक योजना में शामिल होने के पश्चात मात्र अनुमन्य कार्य ही निष्पादित किये जाए।

- शासन को मनरेग्स के लिए क्रय प्रक्रिया निर्धारित करनी चाहिये या इस संदर्भ मे वर्तमान वित्तीय नियमों को कड़ाई से लागू करना चाहिये।

[3]प्रमुख सचिव (वन) उ0प्र0 शा0 आदेश, दिनांक 10 जुलाई 2003

अध्याय 7

कन्वर्जेंस

संचालनात्मक दिशा–निर्देश, स्थायी सामुदायिक परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए मनरेगा निधि के साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त निधियों के अभिसरण की अनुमति देते हैं। तद्नुसार, पंचायती राज संस्थाओं के पास अन्य स्रोतों से उपलब्ध निधियाँ, यथा वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग या अन्य केन्द्रीय या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं का मनरेगा निधि के साथ अभिसरण किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

7.1 बाटम–अप दृष्टिकोण का अभाव

अधिनियम में पंचायतों को मनरेग्स के कार्यान्वयन/अनुश्रवण हेतु प्रमुख अभिकरण माना गया है। इस मामले में मनरेग्स अन्य योजनाओं से भिन्न थी क्योंकि भारत सरकार से धनराशि की अवमुक्ति, राज्य (जिला/ब्लाक/ग्रा0पं0) के प्रस्तावों पर आधारित थी न कि पूर्व निर्धारित आबंटनों पर। राज्य सरकार द्वारा जिलों से प्राप्त मांगों को भारत सरकार को प्रस्तुत किया जाना था। जिलों द्वारा क्रियान्वयन एजेन्सियों (ग्रा0पं0, क्षे0पं0 एवं लाइन विभागों) से प्राप्त प्रस्तावों/मांगों को समेकित किया जाना था और मागों के सापेक्ष सभी कार्यों को सम्मिलित करते हुये अनुमोदित जिला योजना राज्य सरकार को प्रस्तुत करने के पूर्व बनायी जानी थी। पूरी प्रक्रिया (योजना एवं धन की मांग) ग्रा0पं0 (बाटम) स्तर से प्रारम्भ होकर राज्य/भारत सरकार (टाप) स्तर तक पहुँचने की परिकल्पना की गयी थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा अपने विभागों के लिए मनरेग्स के विभिन्न कार्यों हेतु वर्ष 2009–12 के दौरान वित्तीय लक्ष्य निर्धारित[1] किये गये थे। पुनः मनरेग्स के आवंटनों से लाइन विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के सापेक्ष निधि स्वीकृत करने हेतु आयुक्त आरईजीएस और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को निर्देशित किया गया था। इस प्रकार बाटम–अप एवं मांग आधारित योजना को परिवर्तित कर टाप–डाउन, आवंटन आधारित योजना बना दिया गया जिससे योजना की मूल भावना ही दूषित हो गयी। इसके अतिरिक्त लाइन विभागों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों को जिला योजना में सम्मिलित नहीं किया गया। दिशा–निर्देश की अवहेलना करते हुए, वर्ष 2009–12[2] की अवधि में, विभिन्न लाइन विभागों हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वित्तीय लक्ष्य की स्थिति नीचे दी गयी है:

सारणीः 7.1 विभिन्न विभागों हेतु वित्तीय लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

वर्ष	विभागों की संख्या	निर्धारित वित्तीय लक्ष्य	अवमुक्त धनराशि	वास्तविक व्यय
2010–11	10	3,181.61	852.81	652.89
2011–12	10	3,256.51	822.44	779.25
योग	**20**	**6,438.12**	**1,675.25**	**1,432.14**

[1]एक प्रकरण में संयुक्त प्रशासक रामगंगा कमाण्ड योजना ने सभी भूमि संरक्षण अधिकारियों को शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत न करने पर प्रतिकूल प्रविष्टि की चेतावनी दी। (सितम्बर 2011)

[2]वर्ष 2009–10 के आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।

इस प्रकार मनरेग्स के अंतर्गत कार्यों के निष्पादन हेतु राज्य सरकार द्वारा, वर्ष 2010–12 की अवधि में अपने विभिन्न लाइन विभागों हेतु, ₹ 6438.12 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन विभागों द्वारा उनको अवमुक्त 1,675.25 करोड़ रूपये (2010–12) के सापेक्ष ₹ 1,432.14 करोड़ का व्यय किया गया। लाइन विभागों की 36 नमूना जांच इकाईयों हेतु निर्धारित लक्ष्य, अवमुक्त धनराशि एवं वास्तविक व्यय **परिशिष्ट–XVI** में दिया गया है। निर्धारित वित्तीय लक्ष्य ₹ 452.04 करोड़ एवं अवमुक्त ₹ 160.04 करोड़ के सापेक्ष इन लाइन विभागों द्वारा ₹ 125.22 करोड़ व्यय किया गया। विभागों द्वारा तैयार किये गये लक्ष्य आधारित प्रस्ताव जिलों से उत्पन्न होने वाली वास्तविक/यथार्थ मांगों पर आधारित नहीं थे एवं कराये गये कार्य डी.पी.पी./वार्षिक योजना में सम्मिलित नहीं थे। यह योजना के बाटम–अप दृष्टिकोण का पूर्णतया उल्लंघन था जिसने इसे टाप–डाउन दृष्टिकोण वाली योजना में परिवर्तित कर दिया।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि लक्ष्य तय करने का उद्देश्य ग्रा0प0/क्षे0पं0 द्वारा की गयी विभिन्न मांगों को स्थान देना था और इस प्रकार बाटम–अप दृष्टिकोण का परोक्षरूप से अनुसरण किया गया था। प्रमुख सचिव ने निर्गमन बैठक में अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि वर्तमान में पंचायतों द्वारा सुझाये गये कार्यो को कन्वर्जेंस के अंतर्गत लिया जा रहा है।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि समीक्षा अवधि में लाइन विभागों द्वारा निष्पादित कार्यो की न तो ग्रा0पं0/क्षे0पं0 द्वारा सिफारिश की गयी थी और न ही अनुमोदन किया गया था।

7.2 विभागीय योजनागत कार्यो में मनरेग्स निधि का अभिसरण

दिशा निर्देशों के प्रस्तर 14.1.2 के अनुसार मनेरग्स के अन्तर्गत अनुमन्य कार्यों के लिए अन्य कार्यक्रमों की निधि का मनरेग्स निधि के साथ अभिसरण किया जा सकता है, किन्तु इसके विपरीत नही। फिर भी, लेखापरीक्षा में राज्य में विपरीत अभिसरण पाया गया। अन्य कार्यक्रमों की निधि का मनरेगा निधि के साथ अभिसरण करने के बजाय मनरेगा निधि का विभागीय कार्यो/योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए वृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। 10 जनपदों में 16 लाइन विभागों की नमूना जॉच में प्रकाश में आया कि विभागों द्वारा अपने विभागीय कार्यो/योजनाओं के निष्पादन/कार्यान्वयन में, 2008–12 की अवधि में, मनरेगा निधि का उपयोग करके ₹ 46.09 करोड़ का व्यय किया गया था **(परिशिष्ट–XVII)**।

राज्य सरकार ने अपने उत्तर में कहा (जनवरी 2013) कि कन्वर्जेन्स के अन्तर्गत कार्य कराये जाने का उद्देश्य ग्राम पंचायतों/क्षे0पं0 द्वारा की गयी विभिन्न प्रकार की मांगों को समायोजित किया जाना था।

उत्तर स्वीकार्य नही था क्योंकि लाइन विभागों द्वारा निष्पादित कार्य ग्रा0प0/क्षे0प0 द्वारा न तो प्रस्तावित थे और न ही अनुमोदित। समापन बैठक में प्रमुख सचिव ने बताया कि भविष्य में कन्वर्जेन्स के तहत निष्पादित कराये जाने वाले कार्यो में उक्त प्रकरण पर ध्यान दिया जायेगा।

7.3 मनरेग्स निधि से विभागीय परिसम्पत्तियों का सृजन

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 14.1.1 के अनुसार स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु मनरेग्स निधि का अन्य स्रोत्रों से प्राप्त निधियों के साथ अभिसरण अनुमन्य था। तथापि, यह सुनिश्चित करने हेतु सावधानी बरती जानी थी कि मनरेग्स निधि, विभिन्न विभागों की विभागीय योजनागत निधि को प्रतिस्थापित न करे। मनरेग्स निधि का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार का सृजन करना था। तथापि, सम्प्रेक्षण में पाया गया कि कई लाइन विभागों द्वारा विभिन्न कार्यों के निष्पादन जैसे सिल्ट की सफाई, नहरों/क्षतिग्रस्त पुलों के सुदृढ़ीकरण, वृक्षारोपण, सड़कों के निर्माण एवं रख–रखाव इत्यादि पर बड़े पैमाने पर मनरेग्स निधियों का उपयोग किया गया। इन्होंने मनरेग्स निधियों का विभागीय योजनागत निधि के प्रतिस्थापक के रूप में उपयोग किया और राज्य सरकार[3] के निर्देशों पर अपनी विभागीय सम्पत्तियों का सृजन/रख–रखाव किया। नमूना जांच में लिये गये जनपदों में इकाईवार/विभागवार कार्यों का विवरण संलग्न है **(परिशिष्ट–XVIII)**। परिशिष्ट से स्पष्ट है कि इन विभागों द्वारा वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 132.60 करोड़ की सीमा तक मनरेगा निधि का उपयोग कर अपनी स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया था। मनरेगा धनराशि से विभागीय परिसम्पत्तियों का सृजन मनरेगा के सिद्धांतों के विपरीत था।

सरकार ने उत्तर में बताया (जनवरी 2013) कि सृजित परिसम्पत्तियाँ, स्थायी सामुदायिक परिसम्पतियां थी। उत्तर सन्तोषजनक नहीं था क्योंकि सृजित/रख–रखाव की गयी परिसम्पत्तियाँ सम्बन्धित लाइन विभागों के पास थी।

7.4 अपूर्ण कार्य

दिशा–निदेशों के प्रस्तर 1.2 के अनुसार मनरेग्स निधि का उपयोग उत्पादक परिसम्पत्तियों के सृजन और ग्रामीण समुदाय के प्राकृतिक संसाधन–आधार को सुदृढ़ करने के लिए किया जाना था ताकि गरीबी की दशा बदलने विषयक मनरेगा के उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। लेखा परीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच में लिए गये 12 जनपदों के विभिन्न विभागों के 20 प्रखण्डों में वर्ष 2007–12 की अवधि में ₹ 41.95 करोड़ व्यय के पश्चात् कार्य अपूर्ण छोड़ दिये गये थे। अपूर्ण कार्यों का विस्तृत विवरण संलग्न है **(परिशिष्ट–XIX)**। इस प्रकार, अपूर्ण कार्यों को आगामी वर्षों में कम अधिमान्यता दिये जाने के कारण, सृजित प्राकृतिक संसाधन–आधार का उपयोग नहीं हो सका एवं धनराशि अवरूद्ध पड़ी रही।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि मुख्य रूप से अभिसारण निधि के प्राप्त न होने, चयनित कार्यों में विवाद उत्पन्न होने एवं विभागीय अधिकारियों में समन्वय का अभाव होने के कारण कार्य अपूर्ण थे। उत्तर से स्पष्ट है कि कार्यों के चयन, उनको अन्तिम रूप दिये जाने एवं कनवर्जेन्स के अर्न्तगत कार्यों के निष्पादन में कमियाँ रही।

7.5 निष्कर्ष

एक बाटम–अप, मांग आधारित योजना को टाप–डाउन, आवंटन आधारित योजना में परिवर्तित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, लाइन विभागों द्वारा प्रस्तुत कार्य–प्रस्तावों को, जो कि जिला योजना के भाग भी नहीं थे, शासन के निदेशों पर धन अवमुक्त

[3]प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार ने, प्रमुख अभियंता (सिंचाई विभाग) को निर्देशित (23.04.2009) किया कि मनरेग्स निधि से अधिक से अधिक कार्य सम्पादित कराये एवं विभागीय बजट की बचतों को अन्य योजनाओं के लिए उपयोग करें।

किया गया। अन्य कार्यक्रमों की निधि का मनरेग्स निधि के साथ अभिसरण करने के बजाय मनरेगा निधि का विभागीय कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन में वृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त पश्चातवर्ती वर्षों में कम अधिमान्यता दिये जाने के कारण अधूरे निर्माण कार्यों में निधि अवरूद्ध पड़ी रही।

7.6 संस्तुतियाँ

- शासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि मनरेगा का क्रियान्वयन उसकी मूल भावना के अनुरूप, बाटम–अप अप्रोच के अनुसार किया जाये तथा वार्षिक योजना में सम्मिलित परियोजनाओं को ही क्रियान्वयन हेतु लिया जाये।
- शासन को सुनिश्चित करना चाहिये कि अन्य कार्यक्रमों की निधियों का मनरेगा निधि के साथ अभिसरण किया जाये न कि इसके विपरीत।

अध्याय 8

नरेगासॉफ्ट की सूचना प्राद्योगिकी लेखापरीक्षा

संचालनात्मक दिशा–निर्देशों में नियोजन, निष्पादन एवं अनुश्रवण के सभी आवश्यक पहलुओं में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) का उपयोग किया जाना था। दिशा–निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आईटी का प्रयोग संचार के क्षेत्र में, सूचना तक पहुँच के लिए, शिकायत निवारण के लिए तथा निगरानी एवं मूल्यांकन किये जाने हेतु किया जायेगा, ताकि कार्य कुशलता में वृद्धि एवं संचालन में पारदर्शिता रहे। तदनुसार, इन सूचना प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) को एक प्रणाली विकसित किये जाने हेतु सम्बद्ध किया गया। इस प्रकार विकसित सॉफ्टवेयर को नरेगा साफ्ट का नाम दिया गया है।

उक्त नरेगासॉफ्ट, जो योजना में ऑफिसियल पोर्टल[1] के रूप में कार्य कर रहा है, संचालनात्मक सूचना, प्रबंधन सुविधाओं जैसे ऑकड़ों की प्रविष्टि, कार्यों एवं व्ययों को प्राधिकृत करना, अनुश्रवण तथा योजना के सभी हितधारकों एवं कार्मिकों को सामान्य सूचना उपलब्ध कराता है।

राज्य स्तर पर सूचना प्रौधोगिकी सॉफ्टवेयर की लेखापरीक्षा यह जांचने के लिये की गयी थी कि क्या साफ्टवेयर सभी हितधारकों द्वारा इस ढंग से उपयोग किया जा रहा है जो अधिनियमानुसार योजना के ठीक ढंग से संचालन हेतु आवश्यक है और क्या साफ्टवेयर विभिन्न परिदृश्यों में और एक सार्वजनिक डोमेन इंटरनेट परिवेश से उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों के मध्य संचालन हेतु आवश्यक लचीलेपन, मापन परिणामों एवं सुरक्षा सुविधाओं से युक्त है।

नरेगासाफ्ट के लेखापरीक्षा की दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं की चर्चा आगे के प्रस्तरों में की जा रही है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

8.1 पर्याप्त वैधीकरण नियन्त्रण का अभाव

नरेगासॉफ्ट जैसे विस्तृत ऑनलाइन डाटा बेस में सामान्यतया अधिक मात्रा में वैधीकरण एवं जाँच होती हैं जो पृष्ठ भूमि में काम करती हैं। इस प्रकार की जाँचों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि डाटाबेस में केवल पूर्ण एवं वैध सूचनाएं दर्ज हों और जब कभी त्रुटियुक्त आँकड़ें दर्ज किये जाए तो चेतावनी दे एवं पूर्व निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ऑकड़ों की वैधता एवं प्रमाणिकता पर आवधिक रिपोर्ट सृजित करे। तथापि, नरेगासॉफ्ट के एकत्रित आँकड़ों के विश्लेषण में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये:

मदें	टिप्पणी
कार्य पंचायत मास्टर सारणी	मनरेग्स की एम.आई.एस. में कोड संख्या '31' राज्य के लिए निर्धारित है। ऑकड़ों के विश्लेषण से संज्ञान में आया कि राज्य के लिए 15 भिन्न–भिन्न कोड संख्याओं का उपयोग विभिन्न अभिलेखों में किया गया था। वर्ष 2008–12 की अवधि में एमआईएस में अभिलिखित 8,765 में से 2,418 अभिलेखों के लिए निर्धारित कोड का उपयोग किया गया था।

[1] वेबसाइट: डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.नरेगा.एनआईसी.इन

ग्राम सारणी	ग्राम सारणी में दिये गये गॉवों के प्रत्येक अभिलेख में जनगणना पहचान अंकित की जानी थी। जबकि अधिकांश प्रकरणों में जनगणना पहचान ग्राम सारणी में अंकित नहीं थी।
सामग्री क्रय सारणी	सामग्री क्रय के मूल्य वाले कालम में दी गयी राशि, क्रय सामग्री की दर एवं क्रय सामग्री की मात्रा के गुणनफल के बराबर होनी चाहिये। जबकि ऑकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि वर्ष 2008–12 की अवधि में खरीदी गयी सामग्री की कुल 38,56,941 मदों में से 68,313 मदों का मूल्य गलत था।
अशुद्ध अंतिम शेष	प्रारम्भिक अवशेष में अंतर्प्रवाह को जोड़कर वाह्य प्रवाह को घटाने के पश्चात अंतिम अवशेष प्राप्त होता है। आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–12 की अवधि में राज्य, जनपद, ब्लाक एवं पंचायत स्तर की लेखा सारणी में विभिन्न अभिलेखों में अंतिम अवशेष परस्पर समान नहीं थे।
पंजीकरण संख्या सारणी	राज्य की पंजीकरण संख्या सारणी में 1,51,61,746 अभिलेख हैं। ऑकड़ों के विश्लेषण से अधोलिखित तथ्य प्रकाश में आये: • पंजीकरण संख्या जिन्हें अंकों में होना चाहिये समस्त अभिलेखों में नहीं पायी गयी एवं 24,623 (0.16 प्रतिशत) अभिलेखों में वे पंजीकरण के लिये निर्दिष्ट पद्धति के समान नहीं थीं। • 4,34,560 अभिलेखों (2.87 प्रतिशत) में पंजीकरण संख्या नियमानुसार, अंकों में न होकर अंग्रेजी के अक्षर 'ए' से 'एफ' के साथ समाप्त हो रही थीं। • सारणी के मकान संख्या कालम में 1,48,96,143 (98.23 प्रतिशत) प्रकरणों में कुछ भी नहीं भरा गया था। • सारणी का 'ईपीआईसी–संख्या' कालम (जिसमें चुनाव फोटो पहचान कार्ड संख्या भरी जानी थी) 1,49,98,267 (98.90 प्रतिशत) प्रकरणों में रिक्त था। इलाहाबाद जनपद की ग्राम पंचायतों की नमूना जॉच में अभिलेखों के ऑफ लाइन सत्यापन में पाया गया कि ग्राम पंचायतों द्वारा रख–रखाव किये जाने वाले किसी भी जॉब कार्ड एवं जॉब कार्ड पंजिका पर 'ईपीआईसी' संख्या का उल्लेख नहीं था। • जाब कार्ड पंजीकरण की तिथि से 15 दिनों के अंदर निर्गत किये जाने की आवश्यकता थी। तथापि, आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–12 की अवधि में 1.55 करोड़ (4 प्रतिशत) जॉब कार्ड 15 दिनों की निर्धारित अवधि के बाद निर्गत किये गये थे। • योजना के अन्तर्गत एक परिवार को 100 दिन तक का रोजगार अनुमन्य था। जबकि ऑकड़ों के विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–12 तक की अवधि में जॉब कार्ड धारकों को 100 दिनों से अधिक के रोजगार उपलब्ध कराए गये थे।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रारम्भ में, एम.आई.एस. की ऑफ लाइन फीडिंग के लिये मास्टर डाटा भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया था और फिर वही आंकड़े, भारत सरकार द्वारा ऑन लाइन अपलोड किये गये थे। राज्य के निर्धारित कोड के परिवर्तन हेतु कोई विकल्प नहीं था। भवन संख्या एवं जनगणना कोड अनिवार्य नहीं थे लेकिन वर्तमान में अनिवार्य रूप से आठ अंक वाले जनगणना कोड प्रयोग किये जा रहे हैं। अग्रेतर, शासन द्वारा यह बताया गया (जनवरी 2013) कि जनपद स्तर के कार्मिकों को सही आंकड़ों की प्रविष्टि हेतु निर्देशित कर दिया गया है तथा पंजीकरण संख्या सम्बन्धी त्रुटि भारत सरकार द्वारा संशोधित की जायेगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आंकड़ों के विश्लेषण के दौरान परिवर्तनीय राज्य कोड, रिक्त भवन संख्या, जनगणना कोड संख्या, लुप्त/गलत नाम वाली पंजीकरण संख्या के प्रकरण संज्ञान में आये थे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, अधोलिखित वैधीकरण बिन्दु भी प्रकाश में आए:

आँकड़ों की प्रविष्टियाँ/उन्हें प्राधिकृत करने वाले रिक्त या संदिग्ध प्रयोगकर्ता

आँकड़े की प्रविष्टि में/आँकड़ों को प्राधिकृत करने वाले कार्यों में जवाबदेही एवं उत्तरदायित्व के निर्धारण को सुनिश्चित करने के उददेश्य से नरेगा के संचालनात्मक दिशा–निर्देशों में उल्लेख किया गया है कि आंकड़ों की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने वाली प्रणाली के लिये आंकड़े तैयार करने एवं सत्यापित करने वाले व्यक्ति का स्पष्ट ब्यौरा दिया जाना चाहिये। इस संचालनात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिये डाटाबेस तैयार करने में "एन्ट्री बाई" कालम (सभी मुख सारणी में) एवं "ऑथोराइज्ड बाई" कालम (पंजीकरण एवं आवेदक सारणी में) सृजित किये गये थे। तथापि, लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि कुल 10,18,311 अभिलेखों में से 7,72,891 (76 प्रतिशत) अभिलेखों की प्रविष्टियाँ अनधिकृत प्रयोगकर्ताओ द्वारा की गयी थी अर्थात या तो प्रयोगकर्ता नहीं थे या संदेहास्पद अतिथि प्रयोगकर्ता थे। 7,44,326 (73 प्रतिशत) अभिलेखों में खाता संख्या या भूखण्ड संख्या की प्रविष्टि नहीं हुई थी।

पर्याप्त सत्यापन के बिना दूरी फील्ड

ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य के अन्तर्गत आच्छादित दूरी को लेखापरीक्षा में स्तरीकृत किया गया। यह संज्ञान में आया कि 973 प्रकरणों में ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य की आच्छादित दूरी शून्य किमी से भी कम थी जो वास्तविकता से परे थी। इसी प्रकार, 11,956 कार्यो में, आच्छादित दूरी 50 कि.मी. से अधिक थी। अग्रेतर 708 ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य में आच्छादित दूरी 1500 किमी से भी अधिक थी।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रारम्भ में, जनपद में आँकड़ों की प्रविष्टि विभिन्न संगठनों से करायी गयी थी जिसमें विभिन्न प्रयोगकर्ताओं के नाम थे। शासन द्वारा यह भी बताया गया कि त्रुटि भारत सरकार के संज्ञान में लायी गयी है। आँकड़ों का संशोधन लेखापरीक्षा में प्रतीक्षित रहेगा।

इस प्रकार, साफ्टवेयर में विभिन्न डाटा फील्ड्स के सत्यापन के लिये वैधीकरण इनबिल्ट नहीं थे जिससे नकली/गलत डाटा प्रविष्टि को रोका जा सके। साफ्टवेयर में न केवल गलत एवं अधूरी जानकारी ही स्वीकार हो रही थी बल्कि इन अवसरों पर साफ्टवेयर अलर्ट जारी करने में भी विफल था।

8.2 कुशल आईटी कार्मिकों का अभाव

निचले स्तर पर आईटी कर्मियों (डाटा इन्ट्री आपरेटरों) को साफ्टवेयर का ज्ञान एवं इसके महत्व के प्रति संवेदनशील होना चाहिये। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र की प्रासंगिकता एवं प्रभावकारिता की जानकारी भी होनी चाहिये तथा संभावित त्रुटियों एवं उन त्रुटियों से सम्पूर्ण प्रणाली पर पड़ रहे प्रभाव के प्रति जागरूक होना चाहिये।

आँकड़ों के विश्लेषण के दौरान यह संज्ञान में आया कि ग्रामीण सम्पर्क मार्ग कार्य, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण एवं सूखा नियंत्रण आदि से सम्बन्धित कार्यों की प्रगति की माप करने वाली इकाईयों के आँकड़ों को डाटा इन्ट्री आपरेटर प्रायः गलत समझ लेते थे। परिणामस्वरूप, उनके द्वारा अंकित की गयी प्रविष्टियाँ असंगत थी। सड़क की लम्बाई कुछ प्रकरणों में किमी में और अन्य प्रकरणों में मीटर में मापी गयी थी। इसी तरह वित्तीय प्रबन्धन मॉडयूल में आंकड़े कई बार लाख में एवं अन्य प्रकरणों मे हजार रूपये

में थे। वैधीकरण के मुददे के अतिरिक्त, यह सम्बन्धित आईटी कर्मियों की गुणवत्ता को भी दर्शाता है।

इस प्रकार, संपूर्ण प्रणाली असंगत रूप में क्रियाशील थी और साफ्टवेयर का हितधारकों द्वारा उस ढंग से उपयोग नहीं किया गया जैसा एक्ट के संदर्भ में योजना के समुचित ढंग से कार्यान्वयन हेतु आवश्यक था।

8.3 एमआईएस पर दिये गये आँकड़ों और भौतिक अभिलेखों में विसंगतियाँ

एमआईएस एवं एमपीआर के आंकड़ों में अंतर

वेब आधारित अनुश्रवण सूचना प्रणाली (एमआईएस) पर अपलोड किये गये आँकड़े और मासिक प्रगति आख्या (एमपीआर) के आँकड़ों को सामान्यतः समान होना चाहिये।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 18 नमूना जांच जिलों में (एमपीआर एवं एमआईएस) में दर्शाये गये आँकड़े (अकुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं सामग्री लागत) योजना निष्पादन (2009–12)[2] की अवधि के किसी भी वर्ष में मेल नहीं खाते थे। आँकड़ों में वर्षवार भिन्नता निम्नवत थीः–

सारणी 8.1: एमपीआर एवं एमआईएस के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एमपीआर के अनुसार व्यय				एमआईएस के अनुसार व्यय			
	श्रम	कुशल+अर्द्ध कुशल	सामग्री	योग	श्रम	कुशल+अर्द्ध कुशल	सामग्री	योग
2009-10	1,014.29	64.89	565.60	1,644.78	681.27	2.97	382.78	1,067.02
2010-11	988.24	32.30	448.45	1,468.99	762.82	8.07	514.20	1,285.09
2011-12	905.02	20.63	441.62	1,367.27	857.07	15.76	422.72	1,295.55[3]
योग	**2,907.55**	**117.82**	**1,455.67**	**4,481.04**	**2,301.16**	**26.80**	**1,319.70**	**3,647.66**

एमपीआर एवं एमआईएस द्वारा एक ही समयावधि में भिन्न–भिन्न आंकड़े सूचित करना, आंतरिक नियंत्रण एवं अनुश्रवण प्रणाली में कमी दर्शाने के अतिरिक्त निधियों के दुरूपयोग की संभावना की ओर इंगित करता है।

राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि कुछ वाउचर एवं मस्टर रोल विलम्ब से प्राप्त होने तथा नियत तिथि के एक माह के पश्चात फीडिंग के बंद होने के कारण एमआईएस में आंकड़े फीडिंग के समय छूट गये थे। इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों की कमी के कारण दोनों अभिलेखों के अंतर को दूर नहीं किया जा सका था।

वार्षिक लेखा एवं एमआईएस के आंकड़ों में अंतर

वार्षिक लेखाओं और एमआईएस के अनुसार वर्ष 2009–12 की अवधि में नमूना जांच के 18 जनपदों में, एमआईएस पर अकुशल, अर्द्धकुशल श्रमिकों की मजदूरी एवं सामग्री के आंकड़े तथा सम्बन्धित वर्ष के लेखा खाता में अंकित आंकड़े मेल नहीं खाते थे। तीन

[2]नमूना जांच में लिये गये 18 जनपदों की अद्यतन आकड़ें

[3]लेखापरीक्षा की तिथि तक गोण्डा (₹ 92.76 लाख), सुल्तानपुर (₹ 56.89 लाख), सीतापुर (₹ 152.87 लाख), और बुलन्दशहर (₹ 23.08 लाख) जिले का वर्ष 2011–12 का वार्षिक लेखा तैयार न होने के कारण एम0आई0एस0 आँकड़ों में इन जिलों की धनराशियों को सम्मिलित न करते हुए।

वर्षों का समेकित अंतर ₹ 706.24 करोड़ था, जैसा कि निम्नवत सारणी में दिखाया गया है:

सारणी 8.2: वार्षिक लेखा और एमआईएस के आंकड़ों में अंतर

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वार्षिक लेखे के अनुसार व्यय	एम.आई.एस. के अनुसार व्यय	अंतर
2009-10	1,649.46	1,092.03	(-) 557.43
2010-11	1,489.53	1,331.34	(-) 158.19
2011-12	1,032.86	1,042.24	(+) 9.38
योग	**4,171.85**	**3,465.61**	**(-) 706.24**

एक ही समयावधि में सूचित किये गये वित्तीय आंकड़ों में अंतर अस्वीकार्य है। इससे स्पष्ट है कि ये आंकड़े कभी मिलान नहीं किये गये थे और परिणामस्वरूप निधियों के दुरूपयोग की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि वार्षिक लेखे में व्यय, श्रम बजट के मासिक लक्ष्य के आधार पर खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा सूचित किये गये थे तथा बाद में कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन एमआईएस फीडिंग की गयी थी, इसीलिये दोनों में अंतर था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लेखों की स्क्वायरिंग करने की आवश्कता थी और वित्तीय आंकड़ों की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने हेतु उनका मिलान भी किया जाना था।

8.4 प्रशासनिक व्यय में आधिक्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी (मार्च 2007 एवं 2009) किये गये निर्देशों के अनुसार, प्रशासनिक व्यय की स्वीकार्य सीमा श्रम और सामग्री की कुल लागत का अप्रैल 2007 से मार्च 2009 के मध्य 4 प्रतिशत तथा अप्रैल 2009 से 6 प्रतिशत थी। उक्त सीमा से अधिक व्यय अनुमन्य नहीं था।

एमआईएस पर अपलोड किये गये व्यय से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2008–12 की अवधि में नौ जनपदों में कुल ₹ 23.56 करोड़ का प्रशासनिक व्यय अनुमन्य सीमा से अधिक किया गया था जिसका विवरण निम्नलिखित है:

सारणी 8.3: निर्धारित सीमा के अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय

(₹ करोड़ में)

जनपद का नाम	वर्ष	वास्तविक व्यय	अनुमन्य प्रशासनिक व्यय	एम.आई.एस. डाटा के अनुसार व्यय	अधिक व्यय	योग
1. गोण्डा	2007-08	59.34	2.37	5.16	2.79	10.20
	2008-09	57.24	2.29	5.59	3.30	
	2010-11	70.40	4.22	6.56	2.34	
	2011-12	85.84	5.15	6.92	1.77	
2. सुल्तानपुर	2010-11	50.61	3.04	3.15	0.11	0.52
	2011-12	53.27	3.20	3.61	0.41	
3. बलरामपुर	2011-12	71.20	4.27	5.46	1.19	1.19
4. कुशीनगर	2010-11	63.29	3.80	6.24	2.44	2.44

5. रामपुर	2010-11	33.61	2.01	2.68	0.67	0.67
6. बरेली	2010-11	73.86	4.43	4.84	0.41	0.69
	2011-12	68.59	4.12	4.40	0.28	
7. चित्रकूट	2010-11	48.66	2.92	4.15	1.23	1.23
8. इलाहाबाद	2009-10	71.14	4.27	5.39	1.12	5.26
	2010-11	71.47	4.29	8.43	4.14	
9. आजमगढ़	2010-11	102.87	6.17	7.40	1.23	1.36
	2011-12	107.99	6.48	6.61	0.13	
	योग	**1,089.38**	**63.03**	**86.59**	**23.56**	**23.56**

प्रशासनिक व्यय हेतु निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर किये गये व्यय अस्वीकार्य थे।

उत्तर में, शासन द्वारा जनपदों (सुल्तानपुर, बलरामपुर, रामपुर और इलाहाबाद) के संदर्भ में लेखापरीक्षा आपत्तियों को स्वीकार करते हुए बताया गया (जनवरी 2013) कि शत प्रतिशत सही एमआईएस फीडिंग न होने से अधिक व्यय दर्शित हो रहा है। यह भी बताया गया कि भविष्य में इस प्रकार की खामियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिये निर्देश निर्गत कर दिये गये है।

8.5 निष्कर्ष

इस प्रकार साफ्टवेयर संबंधित मुददों के कारण योजना के समस्त हितधारकों और कार्मिकों के लिये नरेगासाफ्ट ने एक व्यापक परिचालन, जानकारी, अनुश्रवण और सही सूचना संसाधन के रूप में कार्य नहीं किया। यहाँ रिक्त या अस्पष्ट डेटा प्रयोगकर्ता/वैधीकरणकर्ता भी संज्ञान में आये। साफ्टवेयर द्वारा न केवल गलत एवं अधूरी जानकारी स्वीकार की जा रही थी बल्कि त्रुटियों के घटित होने की दशा में सुधार को सुविधाजनक बनाने के लिये चेतावनी/अलर्ट जारी करने में भी यह विफल था। इसके अतिरिक्त, डाटा इन्ट्री आपरेटर्स भी कुशल नहीं थे और इस प्रकार अपने कार्य की प्रासंगिता और उसके प्रभाव से अनभिज्ञ थे। अग्रेतर, जैसा कि पूर्व प्रस्तरों में विस्तृत रूप से वर्णित है, एक ही गतिविधि के लिये विभिन्न डाटा सेट थे जिसके कारण एमआईएस पर डाटा की वैधता संदिग्ध थी।

8.6 संस्तुतियाँ

- अपलोड किये गये आंकड़ों की विश्वसनीयता बनाये रखने के लिये सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि नरेगासाफ्ट का प्रयोग केवल पहचाने जाने योग्य और अधिकृत प्रयोगकर्ताओं द्वारा किया जाय।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि आंकड़ों की प्रविष्टि सम्बन्धी त्रुटियों की जाँच साफ्टवेयर की अपनी स्वाभाविक नियंत्रण प्रणाली के माध्यम से की जाये।
- एमआईएस पर प्रविष्ट किये गये डाटा का आवधिक मिलान भौतिक अभिलेखों से किया जाना चाहिये।
- त्रुटि पाये जाने पर उसे डाटा इन्ट्री आपरेटर्स के द्वारा उपयुक्त समयान्तर्गत संशोधित किया जाना चाहिये।

अध्याय 9

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रणाली

संचालन दिशा–निर्देशों के अध्याय–10 में प्रत्येक स्तर के लिए अनुश्रवण निर्धारित किया गया है। ग्राम पंचायतों को, कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा निष्पादित कार्यों एवं क्षेत्र पंचायतों को परिवारों का पंजीकरण, जाब कार्ड जारी करने आदि का अनुश्रवण करना था। जबकि समस्त गतिविधियों का अनुश्रवण जिला स्तर के कार्याधिकारियों को करना था। राज्य सरकार को मजदूरी के समय से भुगतान, बेरोजगारी भत्तों के समय पर भुगतान, शिकायतों के निवारण आदि का अनुश्रवण करना था। केन्द्रीय रोजगार गारण्टी परिषद् को आंतरिक एवं बाह्य अनुश्रवण प्रणाली के माध्यम से अनुश्रवण तंत्र विकसित करना था।

9.1 अनुश्रवण हेतु यन्त्र

एक्ट एवं संचालनात्मक दिशा–निर्देशों में अनुश्रवण की विभिन्न प्रणालियों यथा–सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति, जिला गुणवत्ता मॉनीटर्स, राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स एवं राष्ट्रीय स्तर के मॉनीटर्स का प्राविधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, राज्य रोजगार गारन्टी परिषद के सदस्य, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना समिति के मुख्य अधिशासी अधिकारी को भी योजना का अनुश्रवण करना था। ग्राम सभा द्वारा की जाने वाली सामाजिक लेखापरीक्षा, योजना का सार्वजनिक अनुश्रवण सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक अर्न्तनिर्मित प्रणाली है। अनुश्रवण के विभिन्न मुद्दों पर लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की चर्चा आगामी प्रस्तरों में की गई है।

9.1.1 सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति

दिशा–निर्देशों के प्रस्तर संख्या 10.1.2 के अनुसार, एक स्थानीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति, जिसमें ग्राम सभा द्वारा चयनित नौ सदस्य हों, की स्थापना प्रत्येक पंचायत में होनी थी जिससे कि ग्राम पंचायतों में निष्पादित कार्यों का अनुश्रवण एवं परियोजना की नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा हो सके। ग्राम पंचायत/कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्यों के बारे में, उनको पूर्ण करने के बारे में, उनको पूर्ण करने के लिए समयसीमा, गुणवत्ता के मानकों आदि के बारे में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति को संसूचित करना था। तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जाँच की 460 ग्राम पंचायत में से 57 ग्राम पंचायतों में सर्तकता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन नहीं किया गया था। अग्रेतर, अवशेष 403 के सापेक्ष 30 ग्राम पंचायतों में जहाँ सतर्कता एवं अनुश्रवण समितियों का गठन किया गया था, वहाँ भी समिति को कार्यों के बारे में, समय सीमा, गुणवत्ता के मानकों आदि से अवगत नहीं कराया गया था।

राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2013) कि समिति गठित करने हेतु अलग से स्थापित सामाजिक लेखापरीक्षा निदेशालय भी सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यवाई करेगा।

9.1.2 जिला/राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स

राज्य में जिला गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्ति नहीं की गयी थी। प्रारंभ में, राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स (एसक्यूएम) अलग से नियुक्त करने के बजाय राज्य सरकार ने फरवरी 2006 में छः राज्य स्तर के संस्थानों के निदेशकों एवं गैर सरकारी संगठनों को राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स नामित किया। यद्यपि, उनके द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं

किया गया। शासन द्वारा दिसम्बर 2008 में 10 राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स सूचीबद्ध किए गए जिनके द्वारा वर्ष 2009–10 में 26, 2010–11 में 16 एवं 2011–12 में एक निरीक्षण किये गये थे। मनरेगा के विस्तार को देखते हुए किये गये निरीक्षण अपर्याप्त थे। पुनः, राज्य सरकार द्वारा राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स की दक्षता एवं नियुक्ति की समीक्षा/उनका मूल्यांकन कभी नहीं किया गया एवं उनके दौरे के कार्यक्रमों को कभी भी सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा परिचालित नहीं किया गया। यह सभी कमजोर अनुश्रवण को दर्शाता था।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि निरीक्षण के लिए तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ के कर्मियों की संलग्नता के पश्चात् जिला गुणवत्ता मॉनीटर्स की आवश्यकता नहीं थी। दिशा–निर्देशों में इंगित आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में उत्तर न्यायसंगत नहीं था।

9.1.3 राज्य रोजगार गारण्टी परिषद द्वारा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अधिनियम की धारा 12 के अधीन राज्य रोजगार गारन्टी परिषद के कर्तव्यों में राज्य सरकार को सलाह देना, वरीयता वाले कार्यों का निर्धारण करना, अनुश्रवण करना, शिकायत निवारण प्रणाली की समय–समय पर समीक्षा करना, एक्ट एवं योजना से संबंधित सूचनाओं के प्रसार को बढ़ावा देना, एक्ट का कियान्वयन एवं अनुश्रवण करना तथा शासन द्वारा राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य रोजगार गारन्टी परिषद ने अपनी बैठकों में समय–समय पर विभिन्न प्रकार के वित्तीय एवं प्रशासनिक अनुमोदन दिए परन्तु कभी भी वरीयता वाले कार्यों की सूची तैयार नहीं की। अग्रेतर, योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारन्टी परिषद द्वारा अनुमोदित नियमों को न तो अधिसूचित किया गया और न ही वर्ष 2010 तक जनमानस में सूचनाओं के प्रसार के लिए संसाधन सामग्री/दिशा निर्देश प्रकाशित किये गये। योजना के लागू होने के पश्चात् से योजना के कार्यान्वयन पर वार्षिक प्रतिवेदन भी राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु, तैयार नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य रोजगार गारन्टी परिषद ने न तो योजना का मूल्यांकन किया और न ही इसके लिए मूल्यांकन प्रणाली विकसित की। परिणामतः वह योजना बनाने तथा अनुश्रवण आदि के परिणामों[1] और उनके लिए नई पद्धतियों पर प्रकाश नहीं डाल सका।

उत्तर में, शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि राज्य रोजगार गारन्टी परिषद द्वारा नियमित अनुश्रवण किया जा रहा था। जबकि अनुश्रवण से सम्बंधित वार्षिक प्रतिवेदन कभी भी राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य रोजगार गारन्टी परिषद द्वारा योजना के मूल्यांकन विषयक कोई उत्तर नहीं दिया गया था। इस प्रकार राज्य रोजगार गारन्टी परिषद द्वारा शायद ही कोई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन किया गया था।

9.1.4 कार्य के भौतिक सत्यापन द्वारा अनुश्रवण

दिशा–निर्देशों में प्रत्येक स्तर के कार्मिकों द्वारा कार्यों के निरीक्षण निर्धारित[2] हैं। जबकि, लेखापरीक्षा में हमने पाया कि ऐसे किसी भी अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया

[1] मासिक प्रगति आख्याओं में कार्यों की भौतिक प्रगति रिपोर्ट की गयी थी।
[2] क्षेत्र पंचायत स्तर पर शत प्रतिशत कार्यों का, जिला स्तर पर 10 प्रतिशत कार्यों का, राज्य स्तर पर 2 प्रतिशत कार्यों का।

गया/अभिलेखों को लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया जिससे यह ज्ञात हो सके कि कार्यान्वयन प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित निरीक्षण किये गये थे।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि अनुश्रवण एवं भौतिक सत्यापन किया जा रहा था। हांलाकि, निर्धारित मानक के अनुसार निरीक्षणों की उपलब्धि के बारे में कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्यों के लिए निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया जा रहा था।

9.2 गैर सरकारी संगठनों को अनियमित भुगतान

दिशा–निर्देशों में मनरेगा के अंतर्गत अनुश्रवण कार्य के लिए गैर सरकारी संगठनों की सम्बद्धता निर्धारित नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008–11 के दौरान बुन्देलखण्ड[3] एवं विन्ध्याचल[4] क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यों के अनुश्रवण के लिए तृतीय पक्ष जिसमें 11 एनजीओ/सीएसओ[5] थे, को सम्बद्ध[6] किया गया था। इन संगठनों को वर्ष 2008–11 के दौरान वृक्षारोपण हेतु आयोजित[7] विशेष वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत ₹ 100 प्रति हेक्टेयर[8] की दर से ₹ 68.81 लाख[9] का भुगतान किया गया था। गैर सरकारी संगठनों को दिये गये अनुश्रवण कार्य, रोजगार उपलब्ध कराने एवं सत्यापन योग्य नहीं थे क्योंकि साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा में मांगे जाने पर भी प्रस्तुत नहीं किये गये। गैर सरकारी संगठनों की पहचान एवं उनके नामांकन से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराये गये। जबकि एक गैर सरकारी संगठन (बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान) की पहचान से संबंधित लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये। अभिलेख में देखा गया कि राज्य रोजगार गारन्टी परिषद के एक सदस्य गैर सरकारी संगठन के प्रभारी मंत्री एवं कार्यक्रम संयोजक थे। इस प्रकार, अनुश्रवण कार्य में गैर सरकारी संगठनों की अनधिकृत सम्बद्धता के कारण ₹ 69 लाख का अनियमित व्यय हुआ। अग्रेतर, कार्य सत्यापन योग्य न होने से कपटपूर्ण भुगतान किए जाने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि मनरेगा के प्रशासनिक व्यय से बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यो के अंतर्गत सृजित सम्पत्तियों के अनुश्रवण पर व्यय किया जाना कोई अनियमितता नहीं है।

उत्तर तथ्यात्मक रुप से सही नहीं था क्योंकि प्रशासनिक व्यय की अनुमन्य सीमा अधिकतम थी एवं तृतीय पक्ष के संविदात्मक अनुश्रवण का कार्य प्रशासनिक व्यय से किये जाने वाले अनुमन्य कार्यों में शामिल नहीं था।

समापन गोष्ठी में, प्रमुख सचिव द्वारा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को सैधान्तिक रूप से स्वीकार किया गया तथा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को भेजे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

तथापि, लेखापरीक्षा में उक्त की प्रति प्रतीक्षित थी (मार्च 2013)।

[3] बॉदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झॉसी, जालौन और महोबा।
[4] इलाहाबाद, चन्दौली, मिर्जापुर, सोनभद्र।
[5] बुन्देलखण्ड सेवा संस्थान, डेवलपमेन्ट एल्टरनेटिव, परमार्थ समाज सेवा संस्थान, कृष्णार्पित सेवाश्रम, परमलाल सेवा समिति, स्वयंसेवी महिला संघ, वनांगना, युवक मंगल दल, आर्थिक अनुसंधान, आशा और साइंस सेन्टर।
[6] गैर सरकारी संगठनों को नामित किया गया और वह विशिष्ट चयन प्रकिया पर आधारित नहीं था।
[7] शासनादेश दिनांक 1 जुलाई 2008, 27 फरवरी 2009 और 17 मार्च 2010
[8] आयुक्त मनरेगा के आदेश दिनांक 2 जुलाई 2009
[9] वर्ष 2008–09 में किये गये भुगतान सम्प्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया।

9.3 सामाजिक लेखापरीक्षा

निरंतर सार्वजनिक सतर्कता हेतु एक तंत्र के रुप में कार्य करने के लिए मनरेगा के अधीन सामाजिक लेखापरीक्षा को अनुश्रवण का केन्द्र बनाया गया था। सामाजिक लेखापरीक्षा का उद्देश्य, परियोजनाओं, नियमों एवं नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित करना था। संचालन दिशा–निर्देशों के अध्याय 12 के अनुसार ग्राम सभा द्वारा निष्पादित समस्त कार्यों की सामाजिक लेखापरीक्षा वर्ष में कम से कम दो बार करनी है तथा उसकी तिथि, समय एवं मुददे आदि के बारे में व्यापक जन प्रचार करना भी सम्मिलित है। सामाजिक लेखापरीक्षा में समस्त अभिलेख उपलब्ध कराने थे। अग्रेतर, सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार को सामाजिक लेखापरीक्षा समिति गठित करने की आवश्यकता थी। सामाजिक लेखापरीक्षा पर हुई राष्ट्रीय कार्यशाला में यह निर्णय (नवम्बर 2011) लिया गया था कि राज्य सरकार प्रायोगिक आधार पर कुछ चयनित ब्लाकों में सामाजिक लेखापरीक्षा की शुरुआत करे और निदेशक (सामाजिक लेखापरीक्षा) नियुक्त करे तथा राज्य सामाजिक सम्प्रेक्षण इकाई की स्थापना एवं कर्मचारियों की नियुक्तियों से संबंधित प्रस्ताव दिसम्बर 2011 तक प्रेषित करें।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जॉच के 460 ग्राम पंचायतों में से 258 ग्राम पंचायतों में सामाजिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गयी थी। नमूना जॉच के 18 जनपदों में से 14 जनपदों में सामाजिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की जॉच के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था। राज्य सरकार ने राज्य में सामाजिक लेखापरीक्षा को बढ़ावा देने के लिए मार्च 2012 में एक निदेशक (सामाजिक लेखापरीक्षा) नियुक्त किया। हालांकि, मार्च 2012 तक सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए प्रायोगिक आधार पर कोई ब्लाक चयनित नहीं किया गया था। इस प्रकार सामाजिक लेखापरीक्षा से जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित नहीं हो पायी।

उत्तर में शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रायोगिक आधार पर सामाजिक लेखापरीक्षा अब सीतापुर एवं हरदोई जनपदों में प्रारम्भ हो गया है। जबकि, उत्तर के समर्थन में कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये थे।

9.4 शिकायतों का निवारण

राज्य सरकार ने 'उत्तर प्रदेश रोजगार गारण्टी शिकायत निवारण प्रणाली नियम 2009' प्रतिपादित किया (मई 2009) जिसके अनुसार परिवादों/शिकायतों के निवारण के लिए कार्यक्रम अधिकारी उत्तरदायी थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुबद्ध (नवम्बर 2007) किया गया कि शिकायत निवारण प्रणाली विकसित करते समय लिखित या मौखिक रुप से शिकायत दर्ज करने के उपाय तथा टोल फ्री सहायता सेवा शुरु करने पर भी आवश्यक विचार किया जाए। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य स्तर पर हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायतें दर्ज करायी गयीं, फिर भी, मार्च 2012 के अन्त तक 3,451 शिकायतों का निस्तारण शेष था। अग्रेतर, अन्य विभिन्न माध्यमों से प्राप्त 1,398 शिकायतें निस्तारण के लिए लम्बित थीं। इन शिकायतों के निस्तारण/जांच के लिए कोई समय सीमा विस्तार नहीं लिया गया था यद्यपि नियमों में समय सीमा विस्तार प्रावधानित था।

शासन ने (जनवरी 2013) शिकायतों के लम्बित होने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया। हांलाकि, यह बताया गया कि जनपदों में शिकायत पंजिकाओं का रख–रखाव किया गया था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि नमूना जॉच में जनपदों की लेखापरीक्षा के दौरान पंजिकाओं को नहीं दिखाया गया था।

9.5 मनरेगा के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का उपयोग

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा के अंतर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए विशेषज्ञ वर्ग की स्थापना (अक्टूबर 2010) की गयी थी। भौगोलिक सूचना प्रणाली की सहायता से राज्य, विकेन्द्रीकृत नियोजन, श्रम बजट तैयार करना, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा सम्पत्ति का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि विशेष रूप से कर सकते हैं। यद्यपि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा भौगोलिक सूचना प्रणाली पर फरवरी 2010 में दिशा–निर्देश/अनुदेश अग्रसारित किए गए फिर भी राज्य सरकार द्वारा इस पर कार्यवाई (मार्च 2012) नहीं की गई थी।

शासन द्वारा बताया गया (जनवरी 2013) कि प्रत्येक जनपद के एक ब्लाक का वेब आधारित मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली पर अपलोड कर दिया गया है। तथापि, अपलोडिंग की तिथि को उत्तर में नहीं बताया गया। इस प्रकार राज्य में भौगोलिक सूचना प्रणाली पर कार्य पर्याप्त पैमाने पर अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ।

9.6 पारदर्शिता

मनरेगा वर्णित करता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम उससे संबंधित समस्त मुद्दों पर लागू होता है। सूचना के लिए किया गया आवेदन किसी भी स्थिति में निरस्त नहीं किया जाना चाहिये। जबकि लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया कि चार जनपदों[10] में जन सूचना प्रकरणों के निस्तारण हेतु जनसूचना अधिकारी ही नियुक्त नहीं किए गए थे। अग्रेतर संज्ञान में आया कि:

- चार जनपदों[11] में, जनसूचना अधिकार संबंधित आवेदनों की प्राप्ति एवं निस्तारण से संबंधित/संदर्भित अभिलेखों का रख–रखाव नहीं किया गया एवं आवेदनों के निस्तारण में समय सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित नहीं किया गया।

- 18 जनपदों की 460 ग्राम पंचायतों की नमूना जॉच में पाया गया कि मुरादाबाद और बलरामपुर जनपदों के 17 ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ग्राम पंचायत के संबंधित कार्यालयों में मस्टर रोलों की प्रतियॉ नहीं रखी गयी थीं।

- नमूना जॉच के सभी जनपद, सिटीजन चार्टर के अस्तित्व से भी अनजान थे यद्यपि यह राज्य द्वारा विकसित किया गया था।

- ग्राम पंचायतों के परिसरों में मनरेगा खाते की संख्या प्रदर्शित नहीं की गयी थी तथा स्थानीय कार्यों, सृजित रोजगार एवं निधि उपलब्धता से संबंधित रिपोर्टें भी ग्राम पंचायत परिसर में चस्पा नहीं की गयी थी।

शासन ने बताया (जनवरी 2013) कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के जनसूचना अधिकारी मनरेगा के जनसूचना अधिकारी के रुप में भी कार्य कर रहे हैं। बरेली जनपद में, शिकायतकर्ताओं द्वारा आवेदन शुल्क का भुगतान न किये जाने के कारण शिकायतें

[10] चित्रकूट, कुशीनगर, गाजियाबाद और रामपुर
[11] बरेली, मुरादाबाद, सुल्तानपुर और उन्नाव

लम्बित थीं। अभिलेखों को सुरक्षित रखने हेतु ग्राम पंचायतों को निर्देश निर्गत कर दिये गये हैं। सिटीजन चार्टर वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

उत्तर इस आधार पर स्वीकार्य नहीं था कि अभिलेखों का रख–रखाव एवं सिटीजन चार्टर के संबंध में सार्वजनिक जागरुकता सुनिश्चित नहीं की गयी थी।

9.7 निष्कर्ष

पूर्ववर्ती प्रस्तरों से यह विदित है कि प्रक्रियाओं एवं मनरेगा के अंतर्गत कराये गये कार्यो का अनुश्रवण अपर्याप्त था। ग्राम स्तर (वीएमसी) से राज्य स्तर तक (एसईजीसी), अनुश्रवण एक उपेक्षित क्षेत्र था। राज्य सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठनों को अनियमित रुप से कार्यों के अनुश्रवण करने हेतु भुगतान किए गये थे एवं अनुश्रवण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत नहीं किए गये थे। शिकायत निवारण प्रणाली अप्रभावी थी क्योंकि हजारों शिकायतें निस्तारण हेतु लम्बित थीं। राज्य भी, योजना के कार्यान्वयन के अनुश्रवण में सहयोगी भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी आधुनिक तकनीकी के प्रयोग में पिछड़ रहा था।

9.8 संस्तुतियाँ

- शासन को गांवों में सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति का गठन एवं जिला गुणवत्ता मॉनीटर्स की नियुक्त करनी चाहिये।
- राज्य रोजगार गारन्टी परिषद को मूल्यांकन मापदण्डों की रुपरेखा तैयार करनी चाहिये।
- प्रावधानित सामाजिक लेखापरीक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिये।

अध्याय 10

निष्कर्ष

मनरेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रोजगार के अधिकार की गारन्टी प्रदान करने वाली योजना के रूप में प्रारम्भ की गयी थी जिसमें अकुशल शारीरिक श्रम के इच्छुक प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को 100 दिन के रोजगार प्राप्त करने की गारन्टी थी। योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा में पाया गया कि इच्छुक लाभार्थी कई स्तरों की विभिन्न कमियों के कारण अपने अधिकारों का पूर्णतः प्रयोग नहीं कर पाये।

राज्य में मनरेगा फरवरी 2006 से लागू की गई थी। एक्ट ने ग्राम सभाओं को योजना के संचालन में प्रमुख भूमिका दी थी। यद्यपि लेखा परीक्षा में देखा गया कि ग्राम सभाओं की बैठकों का आयोजन उत्तरदायित्वपूर्ण और सहभागितापरक नहीं किया गया। शारीरिक श्रम के लिए इच्छुक परिवारों के पंजीकरण हेतु डोर–टू–डोर सर्वे नहीं किया गया। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के स्तर से लेकर राज्य रूपी सर्वोच्च स्तर तक नियोजन प्रक्रिया को बहुत कम प्राथमिकता दी गयी। राज्य, ब्लाक एवं ग्रामीण स्तर पर एकीकृत योजना शिथिल पड़ गई और बाटम–अप माँग आधारित योजना को अनेक अवसरों पर टाप–डाऊन आवंटन आधारित योजना में संशोधित कर दिया गया।

योजना के सभी पदानुक्रम मे क्षमता सृजन अपर्याप्त था, राज्य रोजगार गारन्टी परिषद की भूमिका एवं जिम्मेदारी सीमित थी। न तो बैठकों की आवृत्ति निर्धारित की गयी थी और न ही आवश्यक कोरम तय किया गया था। नतीजतन, सरकार और हितधारक दिशाहीन थे। ग्राम पंचायत, ब्लाक और जिला स्तर पर प्रबन्धकीय सहायता भी बड़ी संख्या में रिक्त पदों के कारण सीमित थी। इसके अलावा प्रशिक्षण के लिए प्राप्त धन सम्पूर्णतया प्रयुक्त न होने से प्रभावी नियोजन, कार्यमापन आदि हेतु प्रमुख कार्मिकों के प्रशिक्षण का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त नहीं हो सका। सूचना, शिक्षा और संचार के लिए कोई व्यापक योजना नहीं थी।

नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के लिए परिभाषित समयावधियों का पालन नहीं किया गया। श्रम बजट हेतु मांग बहुत विलम्ब से भारत सरकार को अग्रसारित की गयी जिसके फलस्वरूप केन्द्र और राज्य सरकार के अंशों की अवमुक्ति विलम्ब से हुयी। केन्द्रीय अंश के सापेक्ष राज्य अंश की कम अवमुक्ति के दृष्टांत भी पाए गए जिससे एक्ट में निहित भागीदारी की शर्तों की अवहेलना हुई। समेकित वार्षिक खाते तैयार नहीं किये गये। वित्तीय प्रबन्धन अपर्याप्त था और विभिन्न क्रियान्वयन एजेन्सियों के मध्य निधि आवंटन हेतु भिन्न–भिन्न समयों पर भिन्न–भिन्न मापदण्ड अपनाये गये थे। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विकसित इंटरनेट आधारित एमआईएस 'नरेगासाफ्ट' की

उपलब्धता के बावजूद यूपीडीईएससीओ द्वारा विकसित वेब आधारित बजट और फण्ड फ्रेमवर्क पर परिहार्य आवर्ती व्यय किया जा रहा था।

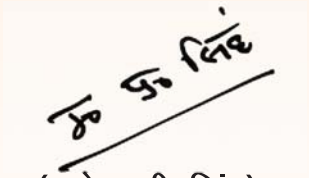
महिलाओं की सहभागिता निर्धारित प्रतिशत की तुलना में बहुत कम थी। अभिलेखों के रख–रखाव में, विशेषतः ग्राम पंचायत स्तर पर, कमी थी। अतः विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियाँ यथा रोजगार निर्धारित 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराया जा रहा था अथवा नहीं; मौखिक मांग पर रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था अथवा नहीं; आदि सम्बन्धी विश्लेषण लेखापरीक्षा में नहीं किये जा सके। एमआईएस आँकड़ों के अनुसार पात्र मजदूरों को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान भी नहीं किया गया था।

कार्य से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच में देखा गया कि कार्य बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति लिए निष्पादित किये गये थे। कार्यों के आकलन भी वास्तविक नहीं थे। कार्यों के निष्पादन के समय दिशा–निर्देश में निर्धारित प्राथमिकताओं का पालन नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप निम्न प्राथमिकता वाले कार्य एवं जो कार्य अनुमन्य नहीं थे, निष्पादित किये गये। इसके अतिरिक्त न तो योजना के अर्न्तगत सामग्री क्रय हेतु आवश्यकतानुसार नियम तैयार किये गये थे और न ही मौजूद वित्तीय नियमों का पालन किया गया था। अधिक एवं कम मजदूरी के भुगतान, मजदूरी एवं सामग्री के असंगत अनुपात के प्रकरण भी दृष्टिगोचर हुये।

एक्ट में सहयोगी और अभिसारी नियोजन प्रक्रिया के माध्यम से एक सतत विकास योजना तैयार करने की परिकल्पना की गयी थी। इस परिकल्पना के साथ समझौता किया गया। ग्रामीण संसाधन आधार को मजबूत बनाने के क्रम मे मनरेगा कार्यों में अन्य कार्यक्रमों से धन का अभिसारण करने के बजाय विभागीय कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मनरेगा धनराशि का बड़े पैमाने पर अभिसारण किया गया। इसके अतिरिक्त अपूर्ण कार्यों को परवर्ती वर्षों में कम प्राथमिकता देने के कारण निधि अवरूद्ध पड़ी रही।

नरेगासाफ्ट, संचालनात्मक जानकारी और प्रबन्धन सुविधा जैसे–आँकड़ों की प्रविष्टि, कार्य एवं व्यय प्राधिकृत करना, अनुश्रवण एवं योजना के सभी हितधारकों और कार्मिकों को सामान्य जानकारी उपलब्ध कराने के लिए संचालित नहीं हुआ। रिक्त या अस्पष्ट डेटा प्रयोगकर्ता/डेटा प्राधिकृतकर्ता भी संज्ञान में आये। सॉफ्टवेयर द्वारा न केवल अवैध/अधूरी जानकारी स्वीकार की जा रही थी बल्कि यह त्रुटियाँ होने की दशा में सुधार हेतु चेतावनी/अलर्ट जारी करने में भी विफल रहा। इसके अतिरिक्त, डाटा इन्ट्री आपरेटर्स भी कुशल नहीं थे और अपने कार्य की प्रासंगिकता और उसके प्रभाव से अनभिज्ञ थे।

अंततः इस योजना के लगभग सभी पहलुओं के क्रियान्वयन यथा परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पंजीकरण से लेकर अनुश्रवण तक, सामाजिक अंकेक्षण, तथ्यपूर्ण आकड़ों को सुनिश्चित करने आदि पर उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को ध्यान देने की आवश्यकता है जिससे इस योजना के उद्देश्यों का अक्षरशः एवं उसकी मूल भावनानुसार अनुपालन सुनिश्चित हो सके।



(मुकेश पी सिंह)
प्रधान महालेखाकार
(जनरल एवं सोशल सेक्टर आडिट)
उत्तर प्रदेश

इलाहाबाद
दिनांक 8 मई 2013

प्रतिहस्ताक्षरित



(विनोद राय)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 10 मई 2013

योजना की भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि
(प्रस्तर सं0 1.4 में संदर्भित)

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में योजना की भौतिक उपलब्धि

क्र0 सं0	विवरण	इकाई	भौतिक उपलब्धि
1.	पंजीकृत परिवारों एवं परिवारों को निर्गत जॉब कार्डों की संख्या (संचयी)	संख्या में	1,42,81,748
2.	श्रेणीवार परिवारों को निर्गत जॉब कार्ड	संख्या में	अनुसूचित जाति – 62,19,072 अनुसूचित जनजाति – 1,54,587 अन्य – 79,08,089
3.	रोजगार मॉगने वाले परिवारों की संख्या (संचयी)	संख्या में	2,93,24,327
4.	रोजगार उपलब्ध कराये गये परिवारों की संख्या (संचयी)	संख्या में	2,89,63,432
5.	रोजगार उपलब्ध न कराये गये परिवारों की संख्या (संचयी)	संख्या में	3,60,895
6.	मानव दिवसों का सृजन	लाख में	13,342.62
7.	अनु0जा0/अनु0ज0जा0 के व्यक्तियों के लिए सृजित मानव दिवसों की (2008–09 से 2011–12) संख्या	लाख में	6,660.69
8.	अन्य लोगों के लिये सृजित मानव दिवसों की संख्या (2008–09 से 2011–12)	लाख में	5,318.93
9.	सृजित महिला मानव दिवसों की संख्या (2008–09 से 2011–12)	लाख में	2,483.86
10.	100 दिन पूरा करने वाले परिवारों की संख्या (संचयी)	संख्या में	28,03,175
11.	भूमि सुधार/इन्दिरा आवास योजना के लाभार्थी परिवार	संख्या में	7,77,051

वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि में योजना की वित्तीय उपलब्धि

क्र0 सं0	विवरण	वित्तीय उपलब्धि (₹ करोड़ में)
1.	मजदूरी पर व्यय	13,907.85
2.	सामग्री पर व्यय	7,476.89
	(i) अर्द्ध–कुशल एवं कुशल व्यक्तियों की मजदूरी पर व्यय	525.22
	(ii) सामग्री पर व्यय	6,951.67
3.	कार्यों पर कुल व्यय (1+2)	21,384.74
4.	प्रशासनिक व्यय	789.60
	कार्यक्रम की कुल लागत (1+2+4)	**22,174.34**

परिशिष्ट

II

नमूना जाँच में लिये गये ग्राम पंचायतों, ब्लाकों एवं जिलों के नाम
(प्रस्तर सं0 1.7 में संदर्भित)

जिला : आजमगढ़ (स्तर–1 पूर्वांचल)		जिला : कुशीनगर (स्तर–1 पूर्वांचल)		जिला : इलाहाबाद (स्तर–1 पूर्वांचल)	
ब्लाक का नाम	ग्रा0पं0 का नाम	ब्लाक का नाम	ग्रा0पं0 का नाम	ब्लाक का नाम	ग्रा0पं0 का नाम
1. अहिरौला	1. कुशमहरा	**1. रामकोला**	1. फरना	**1. सोरॉव**	1. गोहरी
	2. विलारी		2. लाला छपरा		2. सराय बहार
	3. गहज़ी		3. मोतीपाकड़		3. शाहजीपुर
	4. पकड़ी		4. भटही बुजुर्ग		4. सराय लाल खातून शिवगढ़
	5. कोतवालीपुर		5. तरकुलवा		5. पदरैया
	6. कोरा घाटमपुर		6. परोरहा		6. राजापुर मल्हुवा
	7. इसहाकपुर		7. कुसुमही		7. गौरा
	8. सजनी		8. अब्दुल चक इस्लाम		8. जलुपुर
	9. शाहूवल असलई		9. पिडारी		9. मलाक चतुरी
	10. शम्भूपुर		10. देवरिया बाबू		10. सिंगारपुर
2. महाराजगंज	1. भटौली	**2. पडरौना**	1. जंगल हनुमानगंज	**2. चाका**	1. डभव
	2. मुरीलपुर		2. गंगरानी		2. नीबी खुर्द
	3. आराजी जजमन जोत		3. लमुहा केवल छपरा		3. बालापुर
	4. महाजी दीवारा जदीद		4. सुखपुरा		4. बारामर
	5. बैजुआपुर		5. नादह		5. घोघापुर
	6. गोवर्द्धनपुर		6. सरपतही बुजुर्ग		6. चम्पतपुर
	7. भीलमपुर		7. सहूआ डीह		7. चकपूरे खुर्द
	8. कप्तानगंज		8. कल्यान छापर		8. भदारा
	9. चौरासी		9. जंगल नाहरछपरा		9. नेवादा समोगर
	10. मोतीपुर		10. साखोपर		10. लवायनकला
कोइल्सा	1. कौड़िया	**3. कप्तानगंज**	1. पेमाली	**3. उरूवा**	1. चिलबिला
	2. बेघू किसुनदेव पट्टी		2. पकड़ी		2. अकोधा
	3. देउरपुर सराय		3. कुंदुर		3. लेहाड़ी
	4. उसुरकुड़वा		4. गंगराई		4. कंजौली
	5. भवानीपट्टी		5. बौलिया		5. चौकठा तिवारियन
	6. भदौरा मोलनापुर		6. मुण्डेरा		6. पट्टी नाथ राय
	7. रामपुर दशराजपट्टी		7. कप्तानगंज		7. उपरौरा
	8. गाज़ीपुर		8. बलुआ		8. बरवा
	9. करमहा डीगुरपुर		9. सुधियानी		9. रामनगर

	10. केशवपुर		10. पटखोरी		10. अमीलिया
जिला : सीतापुर (स्तर–3 अवध)		**जिला : गोण्डा (स्तर–1 पूर्वांचल)**		**जिला : जालौन (स्तर–4 बुन्देलखण्ड)**	
1.मच्छरेठा	1. हंसखेड़ा	**1. इथियाथोक**	1. बेल्वा शुक्ला	**1. कोंच**	1. अन्दा
	2. गुजरेहठा		2. करूवापारा		2. पहाड़गॉव
	3. अनोगी		3. सिघवापुर		3. पनयारा
	4. सिसेंडी		4. लखानीपुर		4. भरसुंडा
	5. बिजवामऊ		5. रमवापुर नायक		5. गुमावली
	6. फतेहनगर		6. अर्जुनपुर		6. बिरगांव बुर्जुग
	7. गढ़ी		7. वरडीहा		7. सामी
	8. बरसंधिया		8. बेल्वा बहुता		8. कैथी
	9. मिर्जापुर उत्तरी		9.बहर कुनवा		9. कुण्डा
	10.मिर्जापुर दक्षिणी		10. ज्ञानपुर खरिहा		10. जमरेही खुर्द
2. हरगॉव	1. केऊटीकलॉ	**2. बभनजोत**	1. भावपुर	**2. जालौन**	1. मकरंदपुरा
	2. कटेसर		2. मुबारकपुर ग्रांट		2. धनौराकला
	3. बड़खेरवा		3. इटावाखुर्द		3. नगरी
	4. वज़ीरपुर		4. बरहारा		4. कुश्मरा
	5. सेमरीभान		5. बंगवा		5. मोहनपुर कुदरी
	6. रिछिन		6. धौदवपुर		6. सारंगपुर
	7. गुरूधपा		7. पिपरी ईस्माइल		7. गधेला
	8. मदनापुर		8. गौराबुजुर्ग		8. हरकौती
	9. बरियाडीह		9. इज़ादीपुर		9. उरामल्लू
	10. निगोहा		10. पिपरा बरखवा		10. अलाईपूरा
3. परसेंडी	1. उदनपुरकला	**3. कटराबाजार**	1. सहरियेाकलां	**जिला : बांदा (स्तर–4 बुन्देलखण्ड)**	
	2. मीरनगर		2. सरैंया	**1. तिंदवारी**	1. भुजरख
	3. नरसोही		3. नदनवां		2. बमबियां
	4. मुसेपुर		4. बसभैरिया		3. लौमार
	5. मोहरैया कला		5. पिपरी मंझा		4. सिंधौली
	6. कैमहारा वज़ीरपुर		6. बाबूपुर		5. अतराहत
	7. खदनिया		7. नकहा		6. बरेरीकला
	8. गौरियाकला		8. चैपुरवा		7. चिरहुता
	9. शाहपुर दलावल		9. मेहरबानाबाद		8. तरहीमाफी
	10. चाँदपुर		10. टेरी		9. गोधनी
जिला : बलरामपुर (स्तर–1 पूर्वांचल)		**जिला : सुल्तानपुर (स्तर–1 पूर्वांचल)**			10.गोखरहिया
1. पचपेड़वा	1. दुबौलिया	**1. दूबेपुर**	1. बैजापुर	**2. महुवा**	1. रहुसत
	2. भाथर		2. रामापुर		2. नई
	3. गुरचिहवा		3. बांशी		3. खरौच
	4. भुसहर ऊंचवा		4. देहालीमुबारकपुर		4. मनीपुर
	5. आदमतारा		5. कतकौली		5. बदेहा स्योदाह
	6. लौकहवा		6. बीबीगंज		6. बरूवास्पोथा
	7. मनकापुर		7. लौहरपश्चीम		7. प्रेमपुर
	8. चोरसी		8. जैतपुर		8. धुर्गापुर

	9. गौरा भारी		9. खैन चिला कला		9. बछेही
	10. बॉधगढ़पिपरी		10. लौहरदक्षिण		10. अनाधुवा
2. श्रीदत्तगंज	1. महमूदनगर	**2. दोस्तपुर**	1. मुस्तफाबाद कला	**जिला : चित्रकूट (स्तर–4 बुन्देलखण्ड)**	
	2. कपौआशेरपुर		2. सुखउपुर अशरफपटटी	**1. कर्वी**	1. गढ़ीघाट
	3. टोवाडावर		3. बानी		2. रमैयापुर
	4. बेलईबुजुर्ग		4. सरैया मुस्तफाबाद		3. बैहार
	5. बायभीट		5. गौराई		4. हरिहरपुर
	6. बाभन पुरवा		6. इमलीगांव		5. कादरगंज
	7. धमौली		7. पहाड़पुर रायपटटी		6. इतखरि
	8. मुजेहना		8. बम्हरौली		7. खुटहा
	9. अग्या बुजुर्ग		9. अर्जुनईपुर		8. बंभई
	10. चंदनपुर		10. कटरा चुंघूपुर		9. बारामाफी
जिला : वाराणसी (स्तर–1 पूर्वांचल)		**3-भदईया**	1. केनौरा		10. भगनपुर
1-चिरईगॉव	1. अल्लोपुर		2. पीथीपुर	**2–मानिकपुर**	1. बम्भीया
	2. तिल्मापुर		3. बेलासदा		2. देवकली
	3. सुल्तानुपर		4. करोमी		3. बधौरा
	4. सिरसती		5. कुचमुछ		4. नगर
	5. बरई		6. अलीपुर		5. अरवारा
	6. दीनापुर		7. अभियाकला		6. कोटाकंडैला
	7. सोनावरसा		8. ऊचाहारा		7. बगदारी
	8. मोकलपुर		9. सरायचल		8. नीही
	9. सरईया बिसुनपुरा		10. महेसुवा		9. रायपुरा
	10. खालिसपुर				10. इटवादुधैला
		जिला : गाजियाबाद (स्तर–2 पश्चिम)		**जिला : बरेली (स्तर–2 पश्चिम)**	
2. हरहुआ	1. परमानन्दपुर	**1. मुरादनगर**	1. जलालपुर दिनधल	**1. मीरगंज**	1. दिवना
	2. गनेशपुर		2. सरनामुरादनगर		2. पीपरियामुस्तकिल
	3. पलिया शम्भूपुर		3. मनौली		3. पहुचा बुर्जुग मुस्तकिल
	4. काकलपुर		4. सिखैदाहजारी		4. सिमरिया
	5. लोढान		5. रेवड़ी रेवड़ा		5. जुनहई मुस्तकिल
	6. गहुरा		6. हुसैनपुर		6. बालूपुर
	7. औसानपुर		7. नेकपुर साबितनगर		7. सिरोधी अंगदपुर
	8. गोसईपुर मोहाव		8. फिरोजपुर		8. तिलमास
	9. कोहासी		9. पैन्गा		9. मोहम्मदगंज मुस्तकिल
	10. हरीबल्लभपुर		10. बड़का आरिफपुर		10. नगारिया कल्यानपुर
जिला : मुरादाबाद (स्तर–2 पश्चिम)		**2. गढ़ मुक्तेशवर**	1. लहादरा	**2. भादूपुर**	1. पनवादियाला कजालालपुर
1. बहजोई	1. पगोना		2. धाना		2. मरगापुर मरगिया
	2. फतेहपुर शरीफनगर		3. चितौड़ा मुहिउद्दीनपुर		3. पहरापुर उर्फ भगवतीपुर
	3. बिसारू		4. धौलपुर		4. सुराजपुर परोरिया

	4. मूलहटा		5. सदुल्लापुर लोडी		5. धिमरी
	5. बड़ेरिया		6. चन्देनर		6. मटकापुर
	6. चोपा		7. बगदपुर		7. कारू साहबगंज
	7. बेहारोली तहरपुर		8. करीमपुर		8. डबरी डाबरा
	8. मैथराआलपुर		9. सालारपुर		9. अम्बरपुर
	9. किरारी		10. डहरा		10. गोलारिया लेखराज
	10. भवन	**जिला : उन्नाव (स्तर–3 अवध)**		3. आलमपुर जाफराबाद	1. दरूआपुर
2. बिलारी	1. देवराखास	1. हिलौली	1. मरदनपुर		2. मजनूपुर
	2. धर्मपुर कुइया		2. बरधा		3. कानगॉव
	3. लखनैटा		3. अहेसा		4. चान्दपुर नेवादा
	4. कुढ फतेहगढ़		4. बरवा कला		5. सिहुलिया
	5. नगलियाजट		5. बहवा		6. रसूला
	6. मलेपुर सिधारी		6. गुजौली		7. नाकतपुर
	7. अटवा चेचिरी		7. खॉनपुर		8. भोजपुर
	8. मलेहपुर भवानी		8. नरीचक		9. बिलौरी
	9. धरमपुर रत्ता				10. दिगोई
	10. अहलदपुर खेम उर्फ रायपुर		9. महारानी खेरा		
			10. मुसुंडी	**जिला : रामपुर (स्तर–2 पश्चिम)**	
3. मुरादाबाद	1. सोनकपुर			1. बिलासपुर	1. भटपुरा तरन
	2. उमरी	2. सिकन्दरपुर करन	1. करौंदी		2. बेदपुर
	3. वकैनिया माफी		2. अनूपपुर		3. पिपालिया मेहतो
	4. उत्तमपुर बहलोलपुर		3. बदैया खेरा		4. मुन्डिया कलां
	5. बारबरा मजरा		4. भैंसई कोयल		5. टेहरी ख्वाजा
	6. लोदीपुर राजपूत		5. रानीपुर		6. चन्दायन
	7. मंगूपुरा		6. विभौरा चन्दनपुर		7. अहरो
	8. रसूलपुर सुनवती		7. टिकरी गनेश		8. जिठानिया जागिर
	9. भैंसिया		8. रावतपुर		9. डल्की
	10. ठीकरी		9. मवैया मफी		10. सितौरा
जिला : बुलन्दशहर (स्तर–2 पश्चिम)			10. छेरिहा	2. शाहाबाद	1. मदयान बुदेपुर
1. अनूपशहर	1. किशनखेरा	3. औरास	1. अलीपुर मिचलौला		2. ढ़ोलसर
	2. करनपुर कलां		2. लहरू		3. लोधीपुर
	3. रूपवास		3. टिकरा बाओ		4. नबाबगंज
	4. बगसरा		4. समद		5. उदयपुर जागीर
	5. हसनपुर बांगर		5. टिकरा समद		6. रायपुर
	6. सलामतपुर		6. मैनी भवाखेड़ा		7. दोहारिया
	7. खनोदा		7. कबरई		8. खण्डेली
	8. बिबियाना		8. रामपुर खन्जड़ी		9. रवाना
	9. सुनाना		9. बहादुरपुर		10. मिटटरपुर अहरेवला

	10. पहाड़पुर		10. खन्झड़ी सीमाउ		
2. अगौन्ता	1. तातारपुर	**जिला : लखनऊ (स्तर–3 अवध)**			
	2. अख्तयारपुर	**1. मोहन लाल गंज**	1. दयालपुर		
	3. मीरपुर		2. बिन्दौवा		
	4. अगौता		3. गढ़ी मेहदौली		
	5. नीमचना		4. दहियार		
	6. बगवाला		5. पारसपुर थत्था		
	7. जसनावली कलां		6. बालसिंह खेड़ा		
	8. खेरी		7. समीसी		
	9. ब्रारी		8. सालसामऊ हिल्गी		
	10. पावसरा		9. हसनपुर कनेरी		
3. खुर्जा	1. सनीता सफीपुर		10. निगोहा		
	2. धरारी	**2. काकोरी**	1. महीपतमउ		
	3. खुरजा देहात		2. सैफालपुर		
	4. बिछात		3. जेहता		
	5. असगरपुर		4. सरौसा भरौसा		
	6. दस्तुरा		5. जमेथिया सलेमपुर		
	7. भगवानपुर		6. सलेमपुर पटौरा		
	8. सिकारी		7. अरई प्रेमराज		
	9. मैना कलन्दरा गढ़ी		8. सुशमौरा हलुआपुर		
	10. अख्तयारपुर		9. सैथा		
			10. कहिया आजमपुर		

परिशिष्ट III

उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं में विसंगति एवं उपलब्ध न करायी गयी सूचनाएँ

(प्रस्तर सं0 1.8 में संदर्भित)

क्र0 सं0	प्रारूप सं0	प्रारूप का शीर्षक	विसंगतियाँ
1	2	पंजीकरण एवं रोजगार	वर्ष 2007–08 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी । वर्ष 2007–12 की अवधि के लिए मॉगी गयी अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निर्गत जॉब काडों की संख्या के सापेक्ष केवल 2010–11 की संख्या उपलब्ध करायी गयी। विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2008–09 एवं 2009–10 में अनुसूचित जनजाति के परिवारों को निर्गत किये गये जॉब कार्डों की संचयी संख्या में कमी आयी।
2	4(अ)	पंजीकरण एवं रोजगार	वर्ष 2007–08 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी।
3	4(ब)	पंजीकरण एवं रोजगार	वर्ष 2007–08 के लिए सूचना उपलब्ध नहीं कराई गयी।
4	4(स)	पंजीकरण एवं रोजगार	अनुसूचित जाति के परिवारों की संख्या, जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पाया, उपलब्ध नही कराई गयी। अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या, जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पाया, उपलब्ध नही कराई गयी। अन्य परिवारों की संख्या, जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पाया, उपलब्ध नहीं कराई गयी।
5	4(द)	पंजीकरण एवं रोजगार	100 दिन पूरा करने वाली महिला लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध नही कराई गयी। भूमि सुधार/इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों की संख्या वर्ष 2007–08 के लिए उपलब्ध नहीं कराई गयी।
6	5(अ)	निधि प्रवाह	ऑकड़ों की मॉग करोड़ रूपये में की गयी किन्तु लाख में सूचित की गयी एवं उनके योग में अंतर था। **नमूना जांच में लिये गये जनपदों के संदर्भ में 2007–12 के ऑकड़े:** (₹ करोड़ में)
7	6(ब)	व्यय	समीक्षा अवधि के लिए अव्ययित अवशेष उपलब्ध नहीं कराया गया।
8	7(अ)	कार्य	वांछित ऑकड़े उपलब्ध नहीं कराये गये।
9	7(ब) तथा 8(अ से ऊ)	कार्य, सम्पत्ति सृजन	वर्ष 2007–12 की अवधि में पूर्ण कार्यो की संख्या एवं सृजित परिसम्पत्तियों की संख्या में 3000 कार्यो का अंतर था।

विवरण	वर्ष				
1. वर्ष	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
2. प्रारम्भिक अवशेष	241.96	374.09	1099.57	1196.56	1882.22
3. अवमुक्त राज्यांश	200.00	300.00	550.00	499.90	483.97
4. अवमुक्त केन्द्रांश	1648.31	3944.50	5318.88	5266.58	4355.75
5. विविध प्राप्तियाँ	68.60	35.64	39.49	39.49	125.11
6. कुल उपलब्ध धनराशि (2+3+4+5)	2158.87	4654.23	7007.94	7002.53	6847.05
7. सूचित की गयी कुल उपलब्ध धनराशि	2227.26	4593.31	6820.59	6901.85	6299.58
अंतर **(6-7)**	**-68.39**	**60.92**	**187.35**	**100.68**	**547.47**

10	7(स)	कार्य	परित्यक्त कार्यो की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गयी।
11	9	उपभोग प्रमाण पत्र	वर्ष 2007–10 के उपभोग प्रमाण पत्र का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।
12	9(अ)	उपभोग प्रमाण पत्र	वर्ष 2007–08 से 2009–10 के उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराये गये ।
13	10	निरीक्षण	मनरेग्स कार्यो के निरीक्षण की संख्या उपलब्ध नहीं कराई गयी।
14	15	बेरोजगारी भत्ता	बेरोजगारी भत्तों के भुगतान का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया ।
15	1 एवं 2	पंजीकरण एवं रोजगार	वर्ष 2011–12 में कुल 1,24,339 जॉब कार्ड निर्गत किया जाना दर्शाया गया, जबकि अनुसूचित जाति को 18,55,662 जॉब कार्ड निर्गत किया जाना दर्शाया गया, जोकि प्रथम दृष्टया सही नहीं है।
16		अन्य अभिलेख जो लेखापरीक्षा में प्रस्तुत नहीं किए गए	1. निम्न बैंक खातों के बैंक समाशोधनों का विवरणः

क्र0 सं0	बैंक का नाम	खाता सं0	वर्ष
1.	पंजाब नेशनल बैंक	4117000100097163	2008-09 और 2011-12
2.	स्टेट बैंक आफ इन्डिया	30125947162	2011-12
3	स्टेट बैंक आफ पटियाला	65052228273	2007-08, 2008-09 और 2011-12
4.	इलाहाबाद बैंक	50026501030	2007-08, 2008-09 और 2011-12
5.	पंजाब नेशनल बैंक	100101176	2007-08, 2008-09 और 2011-12
6.	पंजाब नेशनल बैंक	100101370	2007-08, 2008-09 और 2011-12
7.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	302202010704510	2007-08, 2008-09 और 2011-12

2. वर्ष 2011–12 का मनरेगा प्रकोष्ठ का तुलन पत्र।
3. ब्लाक के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर नियुक्त अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारियों के वेतन विवरण से सम्बन्धित सूचनाएं।
4. सीएजी प्रारूप (18 अदद) पूर्ण रूप से भरे नहीं गए थे।
5. वर्ष 2007–12 के लिए समिति की बैठक में लेखाओं को अंगीकृत किये जाने से सम्बन्धित सूचना।
6. राज्य सरकार को जारी किये गये कुछ आडिट मेमों एवं मसौदा प्रतिवेदनों का उत्तर।
7. बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्याचल क्षेत्र में विशेष वनीकरण अभियान अवधि 2008–12 से सम्बन्धित ₹ 498.66 करोड़ राशि के अभिलेख।

परिशिष्ट

IV मनरेगा के अन्तर्गत चरणवार अधिसूचित जिलों का विवरण

(प्रस्तर सं0 4.4 में संदर्भित)

क्र0 सं0	जिलों का नाम	क्र0 सं0	जिलों का नाम
चरण–I		**चरण–III**	
1	आजमगढ़	40	आगरा
2	बांदा	41	अलीगढ़
3	बाराबंकी	42	इलाहाबाद
4	चन्दौली	43	औरैया
5	चित्रकूट	44	बागपत
6	फतेहपुर	45	बरेली
7	गोरखपुर	46	बिजनौर
8	हमीरपुर	47	बुलन्दशहर
9	हरदोई	48	शाहूजी महराज नगर
10	जालौन	49	देवरिया
11	जौनपुर	50	इटावा
12	कौशाम्बी	51	फैजाबाद
13	खीरी	52	फिरोजाबाद
14	कुशीनगर	53	गौतमबुद्ध नगर
15	ललितपुर	54	गाजीपुर
16	महोबा	55	गाजियाबाद
17	मिर्जापुर	56	जे0पी0 नगर
18	प्रतापगढ़	57	कन्नौज
19	रायबरेली	58	कानपुर देहात
20	सीतापुर	59	कांशीरामनगर
21	सोनभद्र	60	लखनऊ
22	उन्नाव	61	महामायानगर
चरण–II		62	मैनपुरी
23	अम्बेडकर नगर	63	मथुरा
24	बहराइच	64	मेरठ
25	बलिया	65	मुरादाबाद
26	बलरामपुर	66	मुजफ्फरनगर
27	बस्ती	67	पीलीभीत
28	बदायूँ	68	रामपुर
29	एटा	69	सहारनपुर
30	फर्रूखाबाद	70	सन्तरविदास नगर
31	गोण्डा	71	शाहजहाँपुर
32	झांसी	72	वाराणसी
33	कानपुर देहात		
34	महराजगंज		
35	मऊ		
36	सन्तकबीर नगर		
37	श्रावस्ती		
38	सिद्धार्थनगर		
39	सुल्तानपुर		

लेखाकरण में विसंगतियाँ
(प्रस्तर सं0 4.10 में संदर्भित)

क्र0 सं0	विसंगति	विसंगतियों का विवरण
1.	लेखाओं का प्रारूप निर्धारित न होना	एक्ट के खण्ड 24 (2) के अधीन, राज्य सरकार को मनरेगा के लेखाओं का प्रारूप व उनके रख रखाव की विधि निर्धारित करनी थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासन ने 6 वर्ष बीत जाने के बाद भी, लेखे किस प्रारूप एवं विधि से रखे जायेगे, निर्धारित नहीं किया। वित्तीय एवं लेखा नियमावली, जिसका अनुसरण किया जाना था, को भी निर्धारित नहीं किया गया। इनके परिणामस्वरूप विभिन्न इकाईयों द्वारा लेखाओं के रखे जाने में समरूपता सुनिश्चित नहीं हो पायी।
2.	आम सभा द्वारा लेखाओं को अंगीकृत न किया जाना	वर्ष 2008–12 के लिए राज्य में मनरेगा के क्रियान्वयन से सम्बन्धित समेकित वार्षिक लेखाओं को तैयार नहीं किया गया, फलतः इसे अंगीकृत किये जाने हेतु समिति की आम सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सका जैसा कि समिति के समामेलन ज्ञापन के प्रस्तर–5 के अनुसार किया जाना था। तथापि वर्ष 2008–12 के लिए मनरेगा प्रकोष्ठ के कार्यों (जनपदीय मामलों को छोड़कर) से सम्बन्धित वार्षिक लेखाओं को तैयार किया गया था। वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लेखाओं के आकड़े सही नहीं थे क्योंकि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि को लेखाओं में समाविष्ट नहीं किया गया था। उत्तरवर्ती वर्ष के आकड़ों को भी प्रमाणिक नहीं माना गया क्योंकि लेखापरीक्षित प्रतिवेदन में मनरेगा के संचालन दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 8.4.2 (vii) के अधीन चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि समिति की आम सभा लेखाओं के अंगीकरण किये जाने के अपने प्राथमिक उत्तरदायित्व के निर्वहन में असफल रही।
3.	वार्षिक रूप से लेखाओं को तैयार न किया जाना एवं अन्य विसंगतियॉ	मनरेगा के लेखाओं को वार्षिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए तथा अगले वर्ष के सितम्बर माह तक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा तुलन पत्र की लेखापरीक्षा पूर्ण हो जानी चाहिए। इनके प्रस्तुतीकरण की स्थिति नीचे दी गयी है: **लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की नियत एवं वास्तविक तिथि** वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के लेखापरीक्षित लेखे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विलम्ब से अक्टूबर 2010 में प्रस्तुत किए गए। वर्ष 2009–10 के लेखे भी दिसम्बर 2010 में विलम्ब से प्रस्तुत किये गये। इसके सम्बन्ध में निम्नलिखित विसंगतियॉ पायी गयीं : 1. लेखे वार्षिक रूप से तैयार नहीं किए गए। 2. वर्ष 2007–08, 2008–09 एवं 2009–10 से सम्बन्धित वार्षिक लेखाओं में लेखापरीक्षा शुल्क नहीं दर्शाया गया। 3. वर्ष 2007–08 से 2009–10 के लिए बैंक समाशोधन विवरण नहीं तैयार किया गया। चार्टर्ड एकाउण्टेंट की रिपोर्ट में बारम्बार प्रदर्शित निम्नलिखित टिप्पणियों पर वर्ष 2007–08 से ध्यान नहीं दिया गया। i) आयकर एक्ट 1961 की धारा 192 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों में वांछित स्रोत पर कर की कटौती को फार्म 24 क्यू. तथा 26 क्यू. में दाखिल किया जाना शेष था। आयकर एक्ट 1961 के अन्तर्गत विलम्ब पर ब्याज के साथ दण्ड भी देय होगा। अग्रेतर

वर्ष	प्रस्तुतीकरण की नियत तिथि	प्रस्तुतीकरण की वास्तविक तिथि
2007–08	सितम्बर, 2008	अक्टूबर, 2010
2008–09	सितम्बर, 2009	अक्टूबर, 2010
2009–10	सितम्बर, 2010	दिसम्बर, 2010
2010–11	सितम्बर, 2011	सितम्बर, 2011

		लेखओं में टीडीएस के लिए समुचित प्रविष्टियॉ किया जाना भी अपेक्षित था। ii) मनरेगा के नियम एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार स्टाफ को दिये गये अग्रिम तथा उनका समय से समायोजन के लिए उपयुक्त नियन्त्रण की आवश्यकता थी। iii) परिसम्पत्ति रजिस्टर को उचित प्रारूप में रखने की आवश्यकता थी। iv) मनरेगा की वृहद धनराशि को 3 से 3.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बचत बैंक खाते में रखा गया था। यदि इस निधि का फ्लैक्सी फिक्स डिपाजिट किया गया होता तो मनरेगा प्रकोष्ठ को 6 से 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त होता। v) वर्ष के दौरान विभिन्न जनपदों को वितरित किए गए अनुदानों को व्यय माना गया।
4.	योजना के वार्षिक लेखाओं में ऑकड़ों का समावेश न किया जाना	मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा वर्ष 2007–08 से 2008–09 तक तैयार किये गये वार्षिक लेखाओं में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि का समावेश नही किया गया। तुलन–पत्र में व्यय, अव्ययित अवशेषों को भी सही रूप में नही दर्शाया गया। तथापि राज्य सरकार द्वारा जारी धन को लेखे में लिया गया। इस प्रकार लेखे एवं तुलन पत्र में, उत्तर प्रदेश में मनरेग्स की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नहीं होती।
5.	वितरण के आधार पर अनुदान को व्यय माना गया।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि कियान्वयन अभिकरणों (जनपद/ग्रा0पं0 आदि) को अवमुक्त धनराशियॉ, मनरेगा प्रकोष्ठ द्वारा बिना उनके वास्तविक व्यय का अनुश्रवण किये तथा बिना उपभोग प्रमाण–पत्र के व्यय मान ली गयीं। चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा अपने प्रतिवेदन में बारम्बार आपत्ति दर्शायी गयी। यह वित्तीय औचित्य के मूलभूत सिद्धान्त के विरूद्ध था।
6.	लेखाओं की मासिक स्क्वायरिंग एवं विभिन्न अनियमितताएँ	वित्तीय रिसाव के जोखिम को कम करने तथा धन प्रबंधन में पारदर्शिता एवं शुद्धता बढ़ाने के लिए लेखाओं की मासिक स्क्वायरिंग[1] की परिपाटी को प्रारम्भ किया जाना चाहिए था। इसमें यह सुनिश्चित करना था कि मनरेगा के अधीन अवमुक्त निधि, निम्न तीन शीर्षो के अधीन लेखांकित की गयी थी– 1. विभिन्न स्तरों पर बैंक खातों में रखी गयी धनराशि 2. कियान्वयन अभिकरणों को दिये गये अग्रिम या भुगतान की गयी धनराशि 3. वास्तविक व्यय के वाउचर लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जॉच में लिए गये सभी 18 जिलों में लेखाओं की मासिक स्क्वायरिंग नहीं की गयी थी। अन्य प्रणालीगत अनियमिताओं के साथ लेखाओं की मासिक स्क्वायरिंग के आभाव में निधियों के अनुचित उपभोग की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
7.	अन्य अनियमितताएं	1. 15 जनपदों[2] में, जनपद, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर बैंक समाशोधन विवरण उचित रूप से तैयार नही किया गया था।
8.	बन्द हो चुकी योजनाओं की निधि का स्थानान्तरण न किया जाना।	संचालन दिशा–निर्देशों में उपबंधित किया गया था कि पूर्व में चालू रोजगार केन्द्रित गरीबी–उन्मूलन योजनाओं, जैसे एसजीआरवाई, एनएफएफडब्ल्यूपी को बंद कर दिया जायेगा एवं उनके खातों में अवशेष धनराशि, यदि कोई हो, को मनरेग्स योजना को स्थानान्तरित कर दिया जाए। सीतापुर जनपद में नमूना जॉच में लिये गये 2 लाइन विभागों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएफएफडब्ल्यूपी का ₹ 40.88 लाख[3] का अवशेष मनरेग्स में स्थानांतरित नहीं किया गया था। मनरेगा परिव्यय में निधि का स्थांतरण डीपीसी द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया।

[1]संचालनात्मक दिशा–निर्देशों के प्रस्तर 8.6

[2]इलाहाबाद, आजमगढ़, बलरामपुर बरेली, बुलन्दशहर, चित्रकूट, गाजियाबाद, गोण्डा कुशीनगर, लखनऊ, मुरादाबाद, रामपुर, सीतापुर सुल्तानपुर एवं उन्नाव।

[3] अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा ₹ 9.55 लाख एवं अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा द्वारा ₹ 31.33 लाख।

बैंकिंग प्रबंधन
(प्रस्तर सं0 4.10 में संदर्भित)

क्र0 सं0	आपत्ति की प्रकृति	आपत्तियों का विवरण
1.	पृथक बैंक खाते	लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जांच में लिये गये जनपदों में, जनपद, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनरेग्स के लिए पृथक बैंक खाते खोले गए थे। तथापि, 18 जनपदों के लाइन विभागों की नमूना जांच में पाया गया कि इलाहाबाद, गाजियाबाद, कुशीनगर एवं मुरादाबाद (2010–11) जनपदों को छोड़कर उक्त निधि को राज्य कोष में रखा गया था। ये खाते सार्वजनिक बैकों के साथ ग्रामीण बैंको में भी खोले गए। इलाहाबाद जनपद के नमूना जांच में लिए गये लाइन विभागों में ब्याज की राशि डीआरडीए खाते में शामिल नहीं की गयी थी। लाइन विभागों में ये खाते अधिकारियों द्वारा विभागीय प्रक्रिया के अनुसार संचालित किए गए थे।
2.	किया गया भुगतान ग्राम सभा को सूचित नहीं किया गया	लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2007–12 की अवधि में छः जिलों[4] की 17 ग्राम पंचायतों, छः क्षेत्र पंचायतों एवं एक जिला पंचायत में मनरेग्स के अन्तर्गत निष्पादित कार्यो की सक्षम प्राधिकारी से प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति नही ली गयी थी। इसलिए, वर्ष 2007–12 की अवधि में उनके द्वारा 237 निष्पादित कार्यो पर किया गया ₹ 1325.03 लाख का व्यय अनधिकृत था। छः जनपदों[5] की नमूना जॉच ली गयी 91 ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत को किये गये भुगतान की रिपोर्ट ग्राम सभा की बैठक में नहीं दी गयी। जनपद बरेली, मुरादाबाद, उन्नाव, गाजियाबाद, गोण्डा, सुल्तानपुर, जालौन एवं चित्रकूट की नमूना जॉच में ली गयी 91 ग्राम पंचायतों में ली गयी ऐसी बैठकों का कार्यवृत्त कार्यक्रम अधिकारी को नियमित रूप से भेजा गया। यद्यपि नमूना जॉच में लिये गये सभी 18 जनपदों की 358 ग्राम पंचायतों में, बरेली को छोड़कर, इसे नहीं भेजा जा रहा था।
3.	बैंकों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान	लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना जॉच में लिये गये 17 जनपदों में सभी पंजीकृत परिवारों/मजदूरों के बैंक खाते खोले गए थे। तथापि, सीतापुर (हरगॉव क्षेत्र पंचायत) की 10 ग्राम पंचायतों के 4074 पंजीकृत परिवारों में से 1,224 परिवारों के बैंक खाते प्रारम्भ से ही नहीं खोले गये। लखनऊ जनपद की 20 ग्राम पंचायतों में खाते खोलने के लिए वांछित धनराशि का भुगतान मजदूरों द्वारा किया गया।
4.	मजदूरी का विलंब से भुगतान	लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यकर्ताओं द्वारा तथा बैंकिग लेनदेन में देरी के कारण मजदूरों को विलम्ब से भुगतान किया गया। विलम्बित भुगतान की समेकित स्थिति, जो कि www.narega.nic.in पर उपलब्ध थी, को डाउनलोड करने पर प्रकाश में आया कि भुगतान में 15 दिनों से अधिक और यहॉ तक कि 90 दिनों से भी अधिक का विलम्ब हुआ। वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 की अवधि में ₹ 3,292.38 करोड़ तथा ₹ 3,135.05 करोड़ में से ₹ 454.20 करोड़ (5,30,434 मस्टर रोलों का 13.80 प्रतिशत) एवं ₹ 527.43 करोड़ (7,31,075 मस्टर रोलों का 16.82 प्रतिशत) का विलम्ब से भुगतान किया गया। विलम्बित भुगतान का विवरण संलग्न है **(परिशिष्ट–VII)**। विलम्ब वर्ष–दर–वर्ष बढ़ता गया। इस प्रकार आजीविका की सुरक्षा एक्ट के अनुसार अक्षरशः सुनिश्चित नहीं की गयी।

[4]बरेली, गाजियाबाद, गोण्डा, मुरादाबाद, सुल्तानपुर एवं उन्नाव।
[5]बलरामपुर, गोण्डा, जालौन, लखनऊ, मुरादाबाद एवं रामपुर।

परिशिष्ट VII

मजदूरों को विलम्ब से किये गये भुगतान का विवरण
(प्रस्तर सं0 4.10 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

वर्ष	15 से 30 दिन के बीच विलम्बित भुगतान		30 से 60 दिन के बीच विलम्बित भुगतान		60 से 90 दिन के बीच विलम्बित भुगतान		90 दिन से अधिक विलम्बित भुगतान		कुल		भुगतान प्रतिशत	
	मस्टर रोलों की संख्या	विलम्बित भुगतान	मस्टर रोलों की संख्या	विलम्बित भुगतान	मस्टर रोलों की संख्या	विलम्बित भुगतान	मस्टर रोलों की संख्या	विलम्बित भुगतान	मस्टर रोलों की संख्या	विलम्बित भुगतान	कुल भुगतान	विलम्बित भुगतान का प्रतिशत
2007-08	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
2008-09	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
2009-10	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.	अ.उ.
2010-11	2,35,489	21,794.59	1,74,185	14,889.05	63,004	4,773.41	57,756	3,962.48	5,30,434	45,419.53	3,29,237.55	13.795
2011-12	2,99,448	21,570.05	2,27,619	16,624.70	91,107	6,683.68	1,12,474	7,864.71	7,31,075	52,743.15	3,13,505.14	16.823

अ.उ.: वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं।

महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व
(प्रस्तर सं0 5.2 में संदर्भित)

नमूना जाँच में ली गयी जिला पंचायतों की स्थिति

वर्ष	सृजित रोजगार का कुल मानव दिवस (लाख में)	सृजित रोजगार का कुल महिला दिवस (लाख में)	महिलाओं का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)
2007-08	401.99	50.37	13
2008-09	731.53	133.74	18
2009-10	1,004.10	195.00	19
2010-11	920.87	188.26	20
2011-12	741.07	143.88	19
योग	**3799.56**	**711.25**	**19**

(**स्रोतः** डीआरडीए का एमपीआर)

नमूना जाँच में ली गयी ग्राम पंचायतों की स्थिति

वर्ष	कुल सृजित रोजगार दिवस (लाख में)	सृजित महिला रोजगार दिवस (लाख में)	महिलाओं का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में)
2007-08	7.80	1.06	14
2008-09	12.53	2.68	21
2009-10	20.56	4.07	20
2010-11	26.79	7.35	27
2011-12	27.17	5.70	21
योग	**94.84**	**20.86**	**22**

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा के दौरान एकत्रित की गई सूचना)

IX 100 दिन के प्रत्याभूत रोजगार की प्राप्ति न होना

(प्रस्तर संख्या 5.3.1 में संदर्भित)

नमूना जॉच में लिये गये जिलों की स्थिति

वर्ष	कुल पंजीकृत परिवार	प्रक्षेपित श्रम दिवस	सृजित मानव दिवस	प्रति परिवार सृजित औसत मानव दिवस	100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार	
					संख्या	प्रतिशत में
2007-08	20,82,834	3,52,96,651	3,78,04,198	18	1,71,736	8.25
2008-09	32,47,837	8,52,11,377	7,31,53,726	23	2,18,112	6.72
2009-10	35,07,287	13,05,99,855	10,04,10,522	29	2,27,321	6.48
2010-11	37,05,112	14,04,82,827	9,20,86,159	25	2,25,170	6.08
2011-12	39,45,337	11,13,69,282	7,41,05,334	19	84,615	2.14
योग	**1,64,88,407**	**50,29,59,992**	**37,75,59,939**	**23**	**9,26,954**	**5.62**

नमूना जॉच में ली गयी ग्राम पंचायतों की स्थिति

वर्ष	कुल पंजीकृत परिवार	प्रक्षेपित मानव दिवस	सृजित मानव दिवस	प्रति परिवार सृजित औसत मानव दिवस	100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवार	
					संख्या	प्रतिशत में
2007-08	46,148	17,66,006	7,79,999	17	362	0.78
2008-09	79,718	30,40,106	12,52,108	16	511	0.64
2009-10	94,856	58,60,940	20,56,278	22	1,662	1.75
2010-11	1,15,343	52,32,031	26,79,096	23	2,346	2.03
2011-12	1,21,106	56,42,033	27,15,904	22	2,411	1.99
योग	**4,57,171**	**2,15,41,116**	**94,83,385**	**21**	**7,292**	**1.60**

परिशिष्ट

X

100 दिन से अधिक का रोजगार उपलब्ध कराना
(प्रस्तर सं0 5.3.2 में संदर्भित)

क्र0 सं0	वर्ष	जिले का नाम	ग्राम पंचायतों की संख्या	परिवारों की संख्या	100 दिन से अधिक दिनों की संख्या	100 दिन से अधिक के लिए भुगतान की गई मजदूरी (₹ लाख में)
1	2007-08	इलाहाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	इलाहाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	इलाहाबाद	1,426	2,559	10,413	10.41
	2010-11	इलाहाबाद	1,426	3,647	14,012	14.01
	2011-12	इलाहाबाद	1,426	3,772	18,410	22.09
2	2007-08	आजमगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	आजमगढ़	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	आजमगढ़	1,617	4,922	32,643	32.64
	2010-11	आजमगढ़	1,617	7,017	45,117	45.12
	2011-12	आजमगढ़	1,617	3,613	28,860	34.63
3	2007-08	बलरामपुर	667	00	00	0.00
	2008-09	बलरामपुर	667	2,443	12,354	12.35
	2009-10	बलरामपुर	667	00	00	0.00
	2010-11	बलरामपुर	667	8,772	69,694	73.18
	2011-12	बलरामपुर	667	4,908	20,856	25.03
4	2007-08	बॉदा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	बॉदा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	बॉदा	437	6,347	70,275	70.28
	2010-11	बॉदा	437	7,364	38,406	38.41
	2011-12	बॉदा	437	4,371	20,671	24.81
5	2007-08	बरेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	बरेली	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	बरेली	1,008	2,933	29,435	29.44
	2010-11	बरेली	1,008	1,513	6,932	6.93
	2011-12	बरेली	1,008	806	2,217	2.66
6	2007-08	बुलन्दशहर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	बुलन्दशहर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	बुलन्दशहर	321	1,879	12,721	12.72
	2010-11	बुलन्दशहर	256	1,324	7,274	7.27
	2011-12	बुलन्दशहर	140	430	1,737	2.08
7	2007-08	चित्रकूट	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	चित्रकूट	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध

	2009-10	चित्रकूट	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2010-11	चित्रकूट	303	4,288	34,090	34.09
	2011-12	चित्रकूट	293	2,847	14,753	17.70
8	2007-08	गाजियाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	गाजियाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	गाजियाबाद	405	305	2,749	2.75
	2010-11	गाजियाबाद	405	254	1,296	1.30
	2011-12	गाजियाबाद	405	78	195	0.23
9	2007-08	गोण्डा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	गोण्डा	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	गोण्डा	1,054	2,843	20,193	20.19
	2010-11	गोण्डा	1,054	3,498	20,192	20.19
	2011-12	गोण्डा	1,054	4,205	15,353	18.42
10	2007-08	जालौन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	जालौन	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	जालौन	508	7,488	41,658	41.66
	2010-11	जालौन	531	13,003	84,785	84.79
	2011-12	जालौन	525	7,612	71,110	85.53
11	2007-08	कुशीनगर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	कुशीनगर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	कुशीनगर	956	170	2,451	2.45
	2010-11	कुशीनगर	956	399	1881	1.88
	2011-12	कुशीनगर	956	103	491	0.59
12	2007-08	लखनऊ	अनुपलब्ध	00	00	0.00
	2008-09	लखनऊ	511	44,998	00	0.00
	2009-10	लखनऊ	483	69,768	00	0.00
	2010-11	लखनऊ	475	76,174	00	0.00
	2011-12	लखनऊ	475	71,471	00	0.00
13	2007-08	मुरादाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	मुरादाबाद	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	मुरादाबाद	-	2,993	22,727	22.73
	2010-11	मुरादाबाद	-	4,662	26,099	26.10
	2011-12	मुरादाबाद	-	2,514	10,320	12.38
14	2007-08	रामपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	रामपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	रामपुर	179	577	3,530	3.53
	2010-11	रामपुर	234	907	4,382	4.38
	2011-12	रामपुर	218	857	3,600	4.32

15	2007-08	सीतापुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	सीतापुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	सीतापुर	1,329	2,57,003	70,826	70.83
	2010-11	सीतापुर	1,329	2,82,894	68,420	68.42
	2011-12	सीतापुर	1,329	2,43,396	29,620	29.62
16	2007-08	सुल्तानपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	सुल्तानपुर	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	सुल्तानपुर	-	5,479	29,811	29.81
	2010-11	सुल्तानपुर	-	2,987	15,726	15.73
	2011-12	सुल्तानपुर	-	2,149	7,538	9.00
17	2007-08	उन्नाव	954	-	-	-
	2008-09	उन्नाव	954	2,612	19,452	15.56
	2009-10	उन्नाव	954	1,724	72,876	72.88
	2010-11	उन्नाव	954	8,230	66,903	66.90
	2011-12	उन्नाव	954	3,587	19,793	23.75
18	2007-08	वाराणसी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2008-09	वाराणसी	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध
	2009-10	वाराणसी	702	2,230	13,194	13.19
	2010-11	वाराणसी	702	8,473	47,519	47.52
	2011-12	वाराणसी	702	1,398	4,278	5.13
योग			**-**	**12,12,796**	**12,89,838**	**1,337.61**

(**स्रोतः** लेखापरीक्षा के दौरान एकत्रित की गई सूचना)

परिशिष्ट

XI कार्य पूर्ण दर्शाये गये किन्तु वास्तव में निष्पादित नहीं किये गये

(प्रस्तर 6.6 में संदर्भित)

ग्राम पंचायत एवं जनपद का नाम	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	मूल्य (₹लाख में)
धमौली (बलरामपुर)	धमौली की पी0एम0सड़क के निकट स्थित कब्रिस्तान की भूमि पर वृक्षारोपण कार्य के लिए 15.01.09 से 25.12.09 की अवधि में जंगल की सफाई कार्य (₹ 6,000), गड्ढों में खुदाई (₹ 6,499), एक नलकूप का संस्थापन (₹ 2,500), 240 सागौन (₹ 1,680) एवं 28 आम (₹ 1,400) के पौधों का वृक्षारोपण आदि कार्य निष्पादित किया गया था। तथापि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2012) में पाया गया कि एक नलकूप, 28 आम एवं 233 सागौन के पौधे कार्यस्थल पर उपलब्ध नहीं थे। जंगल की सफाई एवं गड्ढ़ों की खुदाई कार्य भी निष्पादित नहीं कराये गए थे। इससे ₹ 0.18 लाख का कपटपूर्ण व्यय हुआ।	0.18
बभनपुरवा (बलरामपुर)	14.1.11 से 27.1.11 के मध्य मस्टर रोल क्रमांक 6009049 के माध्यम से ₹ 0.71 लाख का व्यय कर 24 ट्री गॉर्ड निर्मित दिखाए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2012) में पाया गया कि इन ट्री गॉडों का निर्माण नहीं किया गया था जिससे ₹ 0.71 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।	0.71
कपौआशेरपुर (बलरामुर)	30.4.11 से 18.5.11 के दौरान मस्टर रोलों के माध्यम से मजदूरी पर ₹ 0.672 लाख व्यय कर प्रधानमंत्री योजना से दादरी चौरा चहारदीवारी तक 350 मी0 लम्बी कच्ची सड़क का निर्माण किया गया। संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2012) में तथापि पाया गया कि सड़क मात्र 205 मी0 लम्बी थी। परिणामस्वरूप ₹ 0.28 लाख का कपटपूर्ण व्यय हुआ ।	0.28
रसूला नकटपुर एवं डरूआपुर (बरेली)	अभिलेखों के अनुसार वर्ष 2008–09 के दौरान तीन ग्राम पंचायतों में सड़कों के किनारे कुल 7,500 (2,500+2,500+2,500) पौधे लगाए गए जिस पर ₹ 3.14 लाख (₹ 1.11+ ₹ 1.00+₹ 1.03) का व्यय हुआ था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (मई 2012) में ग्राम पंचायत डरूआपुर में मात्र 32 पौधे रोपित पाए गए। परिणामस्वरूप ₹ 3.13 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।	3.13
सुधियानी (कुशीनगर)	वर्ष 2010–11 की अवधि में रेलवे ढाला से लाइन टोला तक मिट्टी कार्य के निष्पादन के दौरान 6 हयूम पाइप लगे दिखाए गए जबकि भौतिक सत्यापन में मात्र 5 हयूम पाइप लगे पाए गए। परिणामतः ₹ 0.05 लाख का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।	0.05
गंगराई (कुशीनगर)	वर्ष 2008–09 की अवधि में गंगराई में जुगल गुप्ता के खेत के पास नहर के किनारे भगवानपुर टोला से बलुही संपर्क मार्ग पर 1x2 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया का निर्माण ग्राम पंचायत गंगराई द्वारा ₹ 2.58 लाख का व्यय किया गया। उसी अवधि में गंगराई में भगवानपुर भगवानपुर टोला से बलुही संपर्क सड़क पर 1x2 मी0 आर0सी0सी0 पुलिया के निर्माण की स्वीकृति दी गई एवं आगामी वर्ष में जिला पंचायत द्वारा 2.71 लाख के व्यय से कार्य निष्पादित कराया गया । इन कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (मार्च 2012) में ग्राम पंचायत गंगराई द्वारा निर्मित पुलिया ही सत्यापित की जा सकी । बाद में 14 अप्रैल 2012 को संयुक्त भौतिक सत्यापन में संबंधित जिला पंचायत के टीए द्वारा दिखाया गया कि पुलिया अनुमोदित कार्यस्थल से 1 कि0मी0 दूर गदहिला पिच सड़क से कुन्दुर सड़क पर मोती सिंह के खेत के पास निर्मित थी। यह बताया गया कि ग्राम प्रधान द्वारा किए गए विवाद के कारण पुलिया का स्थानान्तरण किया गया । कारण स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एमबी में पुलिया का निर्माण मूल कार्यस्थल पर दिखाया गया था। इस प्रकार पुलिया निर्माण पर किया गया ₹ 2.71 लाख का व्यय संदेहास्पद था।	2.71
पगौना (मुरादाबाद)	वर्ष 2009–10 के दौरान कुल ₹ 4.05 लाख के व्यय से एक आदर्श तालाब का निर्माण किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि यद्यपि गेट (₹ 6,000) और घेरा तार (₹ 8,640) के लिए भुगतान किए गए थे, परन्तु वे संस्थापित नहीं पाए गए थे।	0.15
	योग	7.21

परिशिष्ट

XII

ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर सामग्री अंश पर किये गये व्ययाधिक्य का विवरण

(प्रस्तर सं0 6.11 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

ग्राम पंचायत					क्षेत्र पंचायत			
जनपद	कुल व्यय	सामग्री मद के लिए अनुमन्य व्यय	सामग्री मद पर किया गया व्यय	आधिक्य	कुल व्यय	सामग्री मद के लिए अनुमन्य व्यय	सामग्री मद पर किया गया व्यय	आधिक्य
2009-10								
गोण्डा	1,648.13	659.25	812.86	153.61	170.57	68.23	139.33	71.10
वाराणसी	1,487.89	595.16	1,091.72	496.56	0.60	0.24	0.56	0.32
कुशीनगर	0.00	0.00	0.00	0.00	62.67	25.07	36.44	11.37
मुरादाबाद	4,367.85	1,747.14	1,970.43	223.29	6.92	2.77	4.71	1.94
जालौन	5,930.81	2,372.32	2,857.45	485.13	572.01	228.80	389.40	160.60
उन्नाव	1,223.40	489.36	550.28	60.92	340.75	136.30	234.80	98.50
गाजियाबाद	602.65	241.06	340.21	99.15	0.00	0.00	0.00	0.00
बाँदा	8,102.25	3,240.90	4,249.10	1,008.20	30.45	12.18	19.46	7.28
चित्रकूट	4,913.57	1,965.43	2,603.56	638.13	1,136.25	454.50	605.18	150.68
इलाहाबाद	7,060.57	2,824.23	3,683.10	858.87	0.00	0.00	0.00	0.00
सीतापुर	642.56	257.02	262.98	5.96	963.25	385.30	546.16	160.86
आजमगढ़	7,102.35	2,840.94	3,398.15	557.21	843.59	337.44	558.44	221.00
योग	**43,082.03**	**17,232.81**	**21,819.84**	**4,587.03**	**4,127.06**	**1,650.82**	**2534.48**	**883.66**
2010-11								
गोण्डा	1,712.89	685.16	781.47	96.31	1,365.67	546.27	860.71	314.44
सुल्तानपुर	617.24	246.90	279.00	32.10	477.32	190.93	217.33	26.40
वाराणसी	717.74	287.10	418.45	131.35	23.25	9.30	14.02	4.72
बलरामपुर	1,852.59	741.04	827.15	86.11	288.78	115.51	220.80	105.29
कुशीनगर	2,884.77	1,153.91	1,479.82	325.91	684.54	273.82	354.20	80.38
रामपुर	1,422.00	568.80	610.27	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
मुरादाबाद	3,949.79	1,579.92	1,751.67	171.75	0.00	0.00	0.00	0.00
बुलन्दशहर	1,421.95	568.78	615.22	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
बरेली	3,238.97	1,295.59	1,337.24	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
जालौन	4,148.13	1,659.25	1,833.49	174.24	771.71	308.68	381.34	72.66
उन्नाव	7,744.29	3,097.72	3,631.83	534.09	3,067.27	1,226.90	2433.18	1206.28
बाँदा	1,987.98	795.19	823.21	28.02	8.66	3.46	6.11	2.65
चित्रकूट	803.28	321.31	396.92	75.61	685.78	274.31	393.93	119.62
लखनऊ	0.00	0.00	0.00	0.00	26.91	10.76	22.83	12.07
सीतापुर	1,202.49	481.00	519.91	38.91	1,943.32	777.33	1040.03	262.70
आजमगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	366.93	146.77	211.38	64.61
योग	**33,704.11**	**13,481.65**	**15,305.65**	**1,823.98**	**9,710.14**	**3,884.05**	**6155.86**	**2271.81**

2011-12								
गोण्डा	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.15	447.26	674.21	226.95
सुल्तानपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	1.24	2.39	1.15
वाराणसी	3,740.64	1,496.26	1,589.56	93.30	15.72	6.29	13.83	7.54
बलरामपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	255.48	102.19	125.52	23.33
कुशीनगर	608.25	243.30	244.83	1.53	993.62	397.45	505.45	108.00
रामपुर	413.30	165.32	167.39	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
मुरादाबाद	4,200.61	1,680.24	1,794.19	113.95	1.13	0.45	0.54	0.09
बुलन्दशहर	1,307.50	523.00	573.21	50.21	0.00	0.00	0.00	0.00
बरेली	1,233.17	493.27	510.73	17.46	11.52	4.61	9.18	4.57
उन्नाव	0.00	0.00	0.00	0.00	471.19	188.48	237.30	48.82
बाँदा	1,856.46	742.58	787.64	45.06	0.00	0.00	0.00	0.00
चित्रकूट	545.34	218.14	232.31	14.17	555.81	222.32	282.74	60.42
इलाहाबाद	457.10	182.84	185.07	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
सीतापुर	1,148.43	459.38	466.98	7.60	451.93	180.77	216.19	35.42
आजमगढ़	620.55	248.22	252.81	4.59	266.34	106.54	122.93	16.39
योग	**16,131.35**	**6,452.55**	**6,804.72**	**352.17**	**4,143.99**	**1,657.59**	**2190.28**	**532.69**

परिशिष्ट

XIII

बिना विशेष पहचान संख्या वाले कार्यों का विवरण
(प्रस्तर सं0 6.12 में संदर्भित)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	ब्लाक/ग्राम पंचायत/जिला पंचायत/लाइन विभाग	कार्यों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	अवधि
1	इलाहाबाद	02 क्षे0पं0/14 ग्रा0पं0	52	50.21	2008-09 एवं 2009-10
2	बाँदा	जि0पं0	18	49.68	2010-11 एवं 2011-12
3	बरेली	ला0वि0-01/ 11 ग्रा0पं0	484	339.01	2008-11
4	गोण्डा	क्षे0प -03/22 ग्रा0पं0	71	66.31	2007-08 एवं 2008-09
5	जालौन	02 क्षे0प0/20 ग्रा0पं0	83	97.65	2007-11
6	कुशीनगर	03 क्षे0प0/22 ग्रा0पं0	228	447.25	2007-08 एवं 2008-09
7	लखनऊ	02 क्षे0प0/20 ग्रा0पं0	79	104.56	2009-12
8	रामपुर	ला0वि0-01	53	55.69	2009-10
9	उन्नाव	03 क्षे0प0/30 ग्रा0पं0	120	122.84	2007-08
10	वाराणसी	01 क्षे0प0/05 ग्रा0पं0	11	3.21	2008-09 से 2010-11
	योग	**16** क्षे0प0, **144** ग्रा0पं0, **1** जि0पं0 एवं **2** ला0वि0	**1,199**	**1,336.41**	

परिशिष्ट

XIV

बिना फोटोग्राफी वाले कार्यों का जनपदवार विवरण
(प्रस्तर सं0 6.12 में संदर्भित)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नमूना जांच में ली गयी ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)
1	आजमगढ़	30	183	142.27
2	बुलन्दशहर	30	264	118.09
3	बलरामपुर	10	87	56.62
4	बाँदा	20	200	392.38
5	चित्रकूट	20	189	336.95
6	गाजियाबाद	20	94	53.21
7	गोण्डा	30	292	382.55
8	जालौन	20	199	200.66
9	कुशीनगर	13	54	106.11
10	मुरादाबाद	14	120	70.66
11	सीतापुर	30	187	243.47
12	उन्नाव	30	300	605.05
	योग	**267**	**2,169**	**2,708.02**

परिशिष्ट

XV

कार्यस्थल पर बोर्ड लगाये बिना निष्पादित कार्य
(प्रस्तर सं0 6.12 में संदर्भित)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	नमूना जांच में लिए गये ग्राम पंचायतों की संख्या	कार्यों की संख्या	धनराशि (₹ लाख में)	टिप्पणी
1.	उन्नाव	30	300	605.05	3599 कार्यों में से किसी भी कार्य का पूर्ण विवरण सहित बोर्ड कार्यस्थल पर प्रदर्शित नहीं था
2.	बाँदा	20	200	392.38	
3.	सीतापुर	30	267	340.49	
4.	बरेली	30	299	291.60	
5.	वाराणसी	20	200	158.40	
6.	बलरामपुर	10	91	60.99	
7.	जालौन	20	171	163.25	
8.	सुल्तानपुर	30	260	357.60	
9.	गोण्डा	30	292	382.55	
10.	रामपुर	19	99	71.70	
11.	गाजियाबाद	20	94	53.21	
12.	मुरादाबाद	26	208	205.79	
13.	आजमगढ़	30	242	167.69	
14.	इलाहाबाद	30	169	117.42	
15.	बुलन्दशहर	30	245	106.74	
16.	लखनऊ	20	200	338.13	
17.	कुशीनगर	21	117	214.76	
18.	चित्रकूट	20	145	213.54	
	योग	**436**	**3,599**	**4,241.29**	

परिशिष्ट

XVI

नमूना जाँच में लिये गये जनपदों में मनरेगा अनुदान के उपयोग के लिये इकाईवार निर्धारित लक्ष्य

(प्रस्तर सं0 7.1 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	लाइन विभाग का नाम	अवधि	निर्धारित वित्तीय लक्ष्य	लक्ष्य के सापेक्ष डीपीसी को प्रस्तुत की गई परियोजनायें	डी पी सी द्वारा अनुमोदित परियोजना	अवमुक्त धनराशि का विवरण	वास्तविक व्यय
1	लघु सिंचाई प्रखण्ड, उन्नाव	2009-12	1,688.41	1,259.13	1,230.96	1,230.96	1221.58
2	लघु सिंचाई प्रखण्ड, बुलन्दशहर	2010-12	493.25	264.71	136.87	136.87	136.75
3	लघु सिंचाई प्रखण्ड, सीतापुर	2009-12	2,486.13	2,213.60	--	1,117.00	1117.00
4	जिला उद्यान अधिकारी, मुरादाबाद	2010-12	200.00	227.85	120.99	95.21	94.89
5	जिला उद्यान अधिकारी, बुलन्दशहर	2009-12	338.95	302.07	142.57	109.06	99.01
6	जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ	2009-10 2011-12	93.93	93.93	93.86	41.84	23.19
7	जिला उद्यान अधिकारी, रामपुर	2010-12	200.00	180.96	31.16	31.16	26.33
8	प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद	2009-10 2011-12	1,352.83	1,352.83	566.39	566.39	698.91
9	जिला वन अधिकारी, वाराणसी	2008-12	1,766.40	1,780.45	571.10	571.10	571.10
10	प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	2010-12	293.00	401.59	258.67	146.62	157.12
11	जिला वन अधिकारी, गोण्डा	2009-12	1,920.00	1,982.71	1,813.38	536.67	494.43
12	जिला वन अधिकारी, कुशीनगर	2007-12	3,532.60	867.97	948.47	796.73	1072.65
13	जिला वन अधिकारी, बाँदा	2008-12	1,122.73	1,105.52	888.63	786.22	722.62
14	प्रभागीय निदेशक, सामाजिकी वानिकी प्रभाग, आजमगढ़	2009-12	1,870.00	1,677.76	1,445.46	773.90	773.90
15	ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवाये, उन्नाव	2009-11	918.10	918.10	918.10	790.47	353.13
16	ग्रामीण अभियान्त्रिकी सेवायें, सीतापुर	2010-12	2,900.00	542.28	438.92	274.86	229.02

17	बेतवा नहर प्रखण्ड–2, उरई, जालौन विभागीयः मनरेगा	2010-11	2,528.38	1,825.38 703.00	1,825.38 703.00	2,840.00 180.00	665.00 96.32
18	शारदा नहर प्रखण्ड–2, लखनऊ	2010-12	83.42	82.06	74.53	69.54	32.58
19	शारदा नहर प्रखण्ड, लखनऊ	2008-12	748.61	722.74	696.78	74.46	128.26
20	नहर प्रखण्ड, रामपुर	2009-12	827.79	589.41	566.65	310.66	285.72
21	भूमि संरक्षण अधिकारी, मुरादाबाद	2011-12	460.00	439.88	401.83	100.46	78.64
22	भूमि संरक्षण अधिकारी, (रामगंगा), मुरादाबाद	2011-12	100.00	32.50	32.50	32.50	8.12
23	भूमि संरक्षण अधिकारी, (एल.डी.एवं डब्लू.आर.) बलरामपुर	2009-12	1,017.00	788.57	211.49	77.31	39.48
24	भूमि संरक्षण अधिकारी, गाजियाबाद	2011-12	500.00	32.35	30.89	15.52	13.35
25	भूमि संरक्षण अधिकारी, वाराणसी	2009-12	1,467.00	1,298.94	1,298.94	610.94	519.48
26	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, उरई	2009-12	3,725.36	2,243.81	938.87	352.76	226.65
27	निर्माण खण्ड–1, लोक निर्माण विभाग, उरई	2009-11	1,139.35	164.52	164.52	164.52	147.58
28	निर्माण खण्ड–3, लोक निर्माण विभाग, उरई	2009-12	407.54	407.54	407.54	407.54	313.94
29	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, इलाहाबाद	2010-12	3,268.00	3,413.16	3,413.16	883.52	412.86
30	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्वी	2007-08 2009-12	372.51	0	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	265.06
31	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गोण्डा	2009-10 2011-12	2,855.00	624.41	496.52	238.53	92.80
32	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बलरामपुर	2009-12	242.85	1,246.20	1,246.10	242.95	164.71
33	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बाँदा	2009-12	1,350.00	844.42	844.42	514.84	391.74
34	निर्माण खण्ड–2, लोक निर्माण विभाग, बाँदा	2009-12	1,150.00	715.55	715.55	325.06	321.47
35	निर्माण खण्ड–4, लोक निर्माण विभाग, बाँदा	2009-12	758.00	500.15	500.15	338.86	309.82
36	प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़	2009-12	1,027.00	740.69	219.23	219.23	217.24
		योग	**45,204.24**	**32,586.74**	**24,393.58**	**16,004.26**	**12,522.45**

परिशिष्ट XVII

मनरेगा निधियों का विभागीय कार्यों में अभिसरण
(प्रस्तर सं0 7.2 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	लाइन विभाग का नाम	अवधि	कार्य का संक्षिप्त विवरण	परियोजनाओं / निष्पादित कार्यों की संख्या	व्यय (₹ लाख में)	
					जिला योजना	मनरेगा अनुदान
1	लघु सिंचाई प्रखण्ड, बुलंदशहर	2009–12	मुफ्त बोरिंग योजना	4,860	250.16	146.55
2	लघु सिंचाई प्रखण्ड, उन्नाव	2009–12	मुफ्त बोरिंग योजना	12,125	701.94	1221.58
3	लघु सिंचाई प्रखण्ड, सीतापुर	2009–12	मुफ्त बोरिंग योजना	25,389	838.06	1130.56
4	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, (आरईएस) सुल्तानपुर	2009–10	डॉ अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना (एजीएसवीवाई) के अंतर्गत खडंजा कार्य एंव नाली का निर्माण	14	अनुपलब्ध	36.64
5	आरईएस, उन्नाव	2009–10 2010–11	एजीएसवीवाई के अंतर्गत नाली एवं नाली के मुहाने का निर्माण	87	अनुपलब्ध	353.13
6	आरईएस, सीतापुर	2009–12	एजीएसवीवाई के अंतर्गत खड़जा कार्य एवं नाली का निर्माण	104	1809.43	543.83
7	मृदा संरक्षण अधिकारी (एससीओ) राष्ट्रीय जलागम, बलरामपुर	2008–12	आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत जल प्रबंधन	18	––	63.56
8	एस सी ओ, भूमि विकास एवं जल संसाधन, बलरामपुर	2009–12	आईडब्ल्यूएमपी के अंतर्गत सीबी, एमबी, पीएफबी, जल संरक्षण एवं पौधारोपण	83	––	39.48
9.	एससीओ गाजियाबाद	2009–12	किसान हित योजना, कुशल जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत नाला, भू– विकास, निकास का निर्माण	43	अनुपलब्ध	37.35
10.	एससीओ, मुरादाबाद	2009–12	किसान हित योजना, कुशल जल प्रबंधन योजना, मृदा एवं जल संरक्षण, सामाजिक वानिकी आदि	72	––	225.25
11.	एससीओ (रामगंगा),	2009–10, 2011–12	कमान क्षेत्र विकास जल प्रबंधन	25	154.82	19.72

	मुरादाबाद		(सीएडीडब्ल्यूएम) एवं एकीकृत जल प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्लयू एमपी) के अंतर्गत एफबी, एमबी.			
12.	एससीओ, वाराणसी	2009–12	सिंचाई गुलों का रख–रखाव एवं मरम्मत तथा तालाबों का निर्माण (बाबतपुर राजबाहा)	–	–	519.48
13.	जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) बुलंदशहर	2009–12	पौधशाला की स्थापना एवं औद्यानिकी	10		99.01
14.	डीएचओ, लखनऊ	2009–10, 2011–12	कृषकों की निजी भूमि पर सब्जी उत्पादन (आरकेवीवाई)	2		23.20
15.	डीएचओ, मुरादाबाद	2009–10, 2011–12	कृषकों की निजी भूमि पर सब्जी उत्पादन, फल पौधों का उत्पादन एवं पौधशाला का रख–रखाव	11		110.02
16.	डीएचओ, रामपुर	2009–12	सब्जी उत्पादन	3		39.57
					योग	**4,608.93**

परिशिष्ट XVIII

विभागीय सम्पत्तियों के सृजन/रख-रखाव पर व्यय
(प्रस्तर सं0 7.3 में संदर्भित)

क्र0 सं0	लाइन विभाग का नाम	अवधि	कार्यो का संक्षिप्त विवरण	निष्पादित, परियोजनाओं की संख्या	व्यय रू0 लाख में	
					विभागीय व्यय	मनरेगा निधि
1.	रूहेलखण्ड नहर प्रखण्ड, बरेली	2008–12	सिल्ट निकासी क्षतिग्रस्त सेतु एवं दीवारें, पक्का काम	630	0.00	521.37
2.	सिंचाई प्रखण्ड, कुशीनगर	2007–12	सिल्ट निकासी, गेट, सेवा सड़क एवं तट मरम्मत, सुरक्षा कार्य, वीआरबी निर्माण आदि।	18	0.00	594.41
3.	शारदा नहर प्रखण्ड, लखनऊ	2008–12	सिल्ट निकासी, लाइनिंग वं मजबूती कार्य	122	0.00	128.26
4.	शारदा नहर प्रखण्ड–2, लखनऊ	2008–12	सिल्ट निकासी	88	0.00	53.08
5.	बेतवा नहर प्रखण्ड, उरई (जालौन)	2010–11	कुथाउण्ड ब्रांच (बुदेलखण्ड पैकेज) का पुर्नस्थापन एवं सीसी लाइनिंग	1	665.00	96.32
6.	नहर प्रखण्ड, रामपुर	2008–12	सिल्ट निकासी, पुलिया का निर्माण, बाढ़ सुरक्षा, वृक्षारोपण, नहरों का सुदृढीकरण आदि	258	0.00	303.86
7.	प्रभागीय निदेशक (डीडी),सामाजिक वानिकी प्रभाग (एसएफडी), इलाहाबाद	2008–12	मृदा कार्य, पौधे उगाना, वृक्षारोपण एवं इनका रख–रखाव, मृदा संरक्षण, अग्रिम मृदा कार्य	13	0.00	996.96
8.	डीडी, एसएफडी, आजमगढ़	2007–12	वृक्षारोपण (सामाजिक वानिकी), सड़को का निर्माण	5	0.00	825.01
9.	डीडी, एसएफडी, गाजियाबाद	2008–12	वृक्षारोपण, पौधों का रख–रखाव	95	0.00	157.12
10.	डीडी, एसएफडी, वाराणसी	2008–12	वृक्षारोपण एवं इनका रख–रखाव	–	0.00	571.10
11.	डीडी, एसएफडी, बरेली	2008–12	पौधा उगाना, वृक्षारोपण एवं इनका रख–रखाव		0.00	406.86
12.	डीएफओ, बांदा	2007–12	मृदाकार्य, वृक्षारोपण, पौधों का रख–रखाव एवं जल संरक्षण	21	0.00	736.46
13.	डीएफओ, चित्रकूट	2007–12	मृदा कार्य, वृक्षारोपण, वृक्षों का रख–रखाव, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य आदि	13	0.00	3328.71
14.	कैमूर वन्यजीव प्रखण्ड मिर्जापुर	2009–12	वृक्षारोपण, पौधशाल, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य आदि	5	0.00	228.20

15.	डीएफओ, गोण्डा	2007–12	मृदा कार्य, बिक्र गार्ड, वृक्षारोपण एवं इनका रख–रखाव, मार्गों को ऊंचा करना।	–	0.00	510.44
16.	डीएफओ, एसएफडी, कुशीनगर	2007–12	वृक्षारोपण एवं पौधों का रख–रखाव	17	0.00	1072.65
17.	पीडी, पीडब्ल्यूडी, बलरामपुर	2009–12	मार्ग का निर्माण/रख–रखाव	68	0.00	164.71
18.	पीडी, पीडब्ल्यूडी, इलाहाबाद	2009–12	पहुॅच मार्ग, पुलिया का निर्माण एवं तटबंधों का मरम्मत	530	अनुपलब्ध	425.21
19.	पीडब्ल्यूडी, आजमगढ़	2007–12	पहुँच मार्ग, पुलिया का निर्माण एवं वृक्षारोपण	317	0.00	217.24
20.	पीडी, पीडब्ल्यूडी, बांदा	2007–12	संपर्क मार्ग का निर्माण	14	0.00	474.04
21	सीडी– I, पीडब्ल्यूडी, बांदा	2007–12	संपर्क मार्ग, नाली, खडंजा, पुलिया का निर्माण एवं तटबंधों का मजबूतीकरण	14	0.00	309.34
22.	सीडी–2, पीडब्ल्यूडी, बांदा	2007–12	सम्पर्क मार्ग, नाली खडंजा, पुलिया का निर्माण एवं तटबंधों का मजबूतीकरण	13	0.00	337.19
23.	सीडी–4, पीडब्ल्यूडी, बांदा	2009–12	सम्पर्क मार्ग का निर्माण, पटरी एवं तटबन्धों का मरम्मत (बुदेलखण्ड विकास निधि)	10	0.00	309.82
24.	पीडी, पीडब्ल्यूडी, चित्रकूट	2007–12	सड़क किनारों एवं सम्पर्क मार्ग का निर्माण	77	0.00	265.06
25.	पीडी, पीडब्ल्यूडी, उरई	2009–12	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	35	0.00	226.65
					योग	1,3260.07

परिशिष्ट

XIX लाइन विभागों द्वारा क्रियान्वित अपूर्ण कार्य

(प्रस्तर संख्या 7.4 में संदर्भित)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	वर्ष	विभाग का नाम	परियोजना का नाम	कुल व्यय
1.	2009–10 2011–12	जिला उद्यान अधिकारी, लखनऊ	सब्जी उत्पादन (राष्ट्रीय कृषि विकास योजना)	23.19
2.	2008–12	प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद	पौधा उगाना, वृक्षारोपण, एवं इनका रख–रखाव, मृदा एवं जल संरक्षण कार्य	996.96
3.	2009–12	कैमूर वन्य जीव प्रखण्ड, मिर्जापुर	वृक्षारोपण, पौधशाला, मृदा एवं जल संरक्षण	228.20
4.	2011–12	प्रभागीय वन अधिकारी, बांदा	मृदा एवं सब्जी विकास कार्यक्रम वृक्षारोपण	169.44
5.	2011–12	ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवाएं, सीतापुर	पक्का नदीपथ, तटबंधों का निर्माण	74.13
6.	2010–12	भूमि संरक्षण अधिकारी वाराणसी	सिंचाई गुलों का रख–रखाव एवं मरम्मत तथा तालाबों का निर्माण	163.76
7.	2010–12	बेतवा नहर प्रखण्ड–2, उरई	जीर्णोद्धार कार्य एवं कथाउण्ड शाखा की सी.सी. लाइनिंग	761.32
8.	2007–08, 2009–11	सिंचाई प्रखण्ड, कुशीनगर	सिल्ट निकासी, काष्ठ तख्त का मरम्मत, क्रास रेगूलेटर एवं सुरक्षा कार्य	149.31
9.	2009–12	नहर प्रखण्ड, रामपुर	बाढ़ सुरक्षा कार्य, सी.सी. लाइनिंग, पक्का दीवारों का निर्माण, नहरों का सुदृढीकरण, वृक्षारोपण	55.60
10.	2010–12	प्रांतीय प्रखण्ड (पीडी), लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी), उरई	पहुँच मार्ग का निर्माण	137.80
11.	2010–12	निर्माण प्रखण्ड (सीडी)–1, पीडब्ल्यू डी, उरई	पहुँच मार्ग का निर्माण	11.07
12.	2010–12	सीडी–3, पीडब्ल्यूडी, उरई।	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	75.51
13.	2010–12	पीडी, पीडब्ल्यूडी, इलाहाबाद	मिट्टी कार्य, पुलिया का निर्माण, पहुँच मार्ग का निर्माण एवं रख–रखाव, वृक्षारोपण आदि।	261.68
14.	2011–12	सीडी–1, पीडब्ल्यूडी, चित्रकूट	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	80.16
15.	2011–12	सीडी (पीएमजीएसवाई) बलरामपुर	मार्ग का निर्माण	22.62
16.	2010–12	पीडी, पीडब्ल्यूडी, बांदा	पहुँच मार्ग का निर्माण	274.40
17.	2010–12	सीडी–1, पीडब्ल्यूडी, बांदा	पहुँच मार्ग का निर्माण, नाली खड़ंजा, पुलिया एव तटबन्धों का मजबूतीकरण	159.77
18.	2010–12	सीडी–2, पीडब्ल्यूडी, बांदा	पुलिया के निर्माण, मिट्टी कार्य, पहुँच मार्ग एवं तटबन्धों का सुदृढीकरण	209.28
19.	2011–12	सीडी–4, पीडब्ल्यूडी, बांदा	सम्पर्क मार्ग का निर्माण	123.12
20.	2009–12	पीडी, पीडब्ल्यूडी, आजमगढ़	पहुँच मार्ग एवं पुलिया का निर्माण	217.24
			योग	4,194.56

प्रथमाक्षरी

एपीओ	अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी
एडीपीसी	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक
एई	सहायक अभियंता
एजीएसवीवाई	डॉ अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना
एपीसी	कृषि उत्पादन आयुक्त
बीडीओ	खण्ड विकास अधिकारी
बीएफएफ	बजट एवं फण्ड फ्रेमवर्क
बीएसए	भूमि संरक्षण अधिकारी
बीडब्लू	ईंटों का कार्य
सीए	चार्टर्ड एकाउन्टेंट
सीएडीडब्लूएम	समादेश क्षेत्र विकास जल प्रबन्धन
सीएण्डएजी	भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
सीबी	कन्ट्रोल बंडिंग
सीबीएस	कोर बैकिंग सेवा
सीसी	सीमेंट कंक्रीट
सीडी	कॉम्पैक्ट डिस्क
सीडीओ	मुख्य विकास अधिकारी
सीईजीसी	केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद
सीईओ	मुख्य अधिशासी अधिकारी
सीआरडी	आयुक्त ग्रामीण विकास
सीएसओ	नागरिक संस्था संगठन
डीईओ	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
डीपीसी	जिला कार्यक्रम समन्वयक
डीपीपी	डिस्ट्रिक पर्सपेक्टिव प्लान
डीक्यूएम	जिला गुणवत्ता अनुश्रवक
डीआरडीए	जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
डीवाई	उप
ईपीआईसी	मतदाता फोटो पहचान पत्र
ईडब्लू	मिट्टी का कार्य
जीबी	आम सभा

एफएमएस	वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
जीआईएस	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जीओआई	भारत सरकार
जीपी	ग्राम पंचायत
जीओयूपी	उत्तर प्रदेश सरकार
जीआरएस	ग्राम रोजगार सेवक
एचएचएस	परिवारों
आईईसी	सूचना, शिक्षा एवं संचार
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईडब्लूएमपी	एकीकृत जल प्रबन्धन कार्यक्रम
जेई	अवर अभियंता
केपी	क्षेत्र पंचायत
एलडी	लाइन विभाग
एमबी	माप पुस्तिका/माउण्ट बांडिंग
मनरेगा	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम का एक्ट
मनरेग्स	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमओआरडी	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एमपीआर	मासिक प्रगति प्रतिवेदन
एनए	उपलब्ध नहीं
एनईजीएफ	राष्ट्रीय रोजगार गारंटी निधि
एनएफएफडब्लूपी	राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम
एनजीओ	गैर–सरकारी संगठन
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र
एनआरईजीए	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट
नरेगासॉफ्ट	नरेगा सॉफ्ट
पीसीआर	परियोजना समापन प्रतिवेदन
पी आई ओ	सार्वजनिक सूचना अधिकारी
पीएमजीएसवाई	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना
पी ओ	कार्यक्रम अधिकारी
पी आर आई	पंचायती राज संस्थान
पी डब्लू डी	लोक निर्माण विभाग

आरसीसी	प्रवलित सीमेन्ट कंक्रीट
आर डी	ग्रामीण विकास
आरडीडी	ग्रामीण विकास विभाग
आर ई जी एस	ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आर टी आई	सूचना का अधिकार
समिति	उत्तर प्रदेश ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना समिति
एस सी	अनुसूचित जाति
एस ई जी सी	राज्य रोजगार गांरटी परिषद
एस ई जी एफ	राज्य रोजगार गारंटी निधि
एसएफडी	सामाजिकी वानिकी प्रभाग
एस क्यू एम	राज्य गुणवत्ता मॉनीटर्स
एस टी	अनुसूचित जनजाति
टी ए	तकनीकी सहायक
टी ए सी	तकनीकी लेखापरीक्षा प्रकोष्ठ
टी आर एस जी	तकनीकी संसाधन समर्थन वर्ग
यू सी	उपभोग प्रमाण पत्र
यू आई डी	विशिष्ट पहचान संख्या
यूपी	उत्तर प्रदेश
यू पी डी ई एस सी ओ	उत्तर प्रदेश डेवलपमेन्ट सिस्टम कार्पोरेशन लिमिटेड
वी0एस0सी0	सतर्कता एवं निगरानी समिति
जेड् पी0	जिला पंचायत